

अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
दसवीं रिपोर्ट

वर्ष 2007

TENTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2007



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2009

‘मुझे मालूम है कि शोधकर्ताओं हेतु सरकारी दस्तावेजों की उपलब्धता न होने के कारण भारत में गहन शोध हेतु सरकारी नीति बाधित होती है.....अन्य लोकतन्त्रों में एक निश्चित अवधि के पश्चात् शोधकर्ताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं को सरकारी दस्तावेज देखने और अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की जाती है। जोकि समकालीन इतिहास के वृत्तिक अध्ययन एवं नीति-निर्माण को प्रोत्साहित करती है

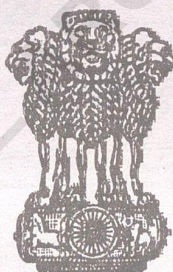
.....मुझे पूर्ण आशा है कि नीति-निर्माण हेतु हमें केवल याददाश्त एवं व्यक्तिगत नोट्स पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा’।

प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह

18 अप्रैल, 2006

अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
दसवीं रिपोर्ट
वर्ष 2007

TENTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2007



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2009

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना	1
2. आंकड़ों का विश्लेषण — सामान्य निष्कर्ष	2
3. विभागीय अभिलेख कक्ष	3—4
4. विभागीय अभिलेख अधिकारी	5—7
5. स्थान की भागीदारी	8—9
6. अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	10—11
7. अभिलेखों का सूचीकरण	12—13
8. अभिलेखों के प्रतिधारण सारणी का संकलन	14—15
9. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	16—17
10. निष्क्रिय समितियां/आयोग	18—19
11. अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई	20—21
12. संगठनात्मक इतिहास	22—23
13. 'क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्मिंग निर्माण	24
14. अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	25
15. संदर्भ माध्यम	26—27
16. अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण	28—29
17. अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची की पुनरीक्षा	30
18. परामर्शी कार्य	31—32
19. प्रशिक्षण	33—34
20. अभिलेख जागरूकता	35—41
21. प्राथमिकताएं	42—43

CONTENTS

1. Introductory (M)	1
2. Analysis of the Data : General Observations	2
3. Departmental Records Rooms H	3-4
4. Departmental Records Officers	5-7
5. Sharing of a Space (N)	8-9
6. Recording, Reviewing and Weeding Out of Semi-Current Records (M)	10-11
7. Indexing of Records	12-13
8. Compilation of Retention Schedules for Records	14-15
9. De-Classification of Classified Records	16-17
10. Defunct Commissions/ Committees (N)	18-19
11. Action initiated by Records Creating Agencies on Appraisal of Non-Current Records	20-21
12. Organisational History (N)	22-23
13. Microfilming of 'A' Category Records (M)	24
14. Appraisal of Non-Current Records (M)	25
15. Reference Media (M)	26-27
16. Accessions/ Acquisitions of Records (M)	28-29
17. Vetting of Retention Schedules for Records (N)	30
18. Advisory Work (N)	31-32
19. Training (M)	33-34
20. Archival Awareness (M)	35-41
21. Priorities	42-43

learn my

अनुलग्नक

अनुलग्नक -1

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना
प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

44-49

अनुलग्नक -2

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा
विनष्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक विवरणियां
प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

50-54

अनुलग्नक -3

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां भेजने
वाले संगठनों की सूची

55-59

अनुलग्नक -4

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2007 में आयोजित पांच दिवसीय अभिविन्यास
पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

60-63

ANNEXURES

ANNEXURE – I

List of Organizations who have furnished information
on the Implementation of the Public Records Act, 1993. (N)

44-49

ANNEXURE – II

List of Organizations who have furnished Half-yearly
returns on the progress made by them in Recording, Indexing,
Reviewing, and Weeding of Semi-current Records. (N)

50-54

ANNEXURE – III

List of Organizations who have furnished half-yearly
returns on De-classification of Classified Records. (N)

55-59

ANNEXURE – IV

Names of the Departmental Records Officers who have
attended Orientation Courses on Records Management during 2007. (N)

60-63

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह राष्ट्र की अभिलिखित विरासत का भंडार है और यह लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ठ) के अनुपालन में हर साल भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। तदनुसार 1565 अभिलेख सर्जक एजेंसियों, यानी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि को परिपत्र सं. 16-12(ए)/2008-आर.एम. दिनांक 10 अप्रैल, 2008 को भेजा गया जिसमें उनसे वर्ष 2007 के दौरान उपर्युक्त खंडों पर उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म-5 में रिपोर्ट भेजने को कहा गया था जिससे कि अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम 1993 पर अमल के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

1.1 प्रस्तुत प्रतिवेदन को अधिनियम के दायरे में आने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2007 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गयी कार्रवाई के बारे में 30 सितम्बर 2008 तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है:

1. एक संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण;
4. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए जगह की भागीदारी;
5. समय-समय पर अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को अभिलेखबद्ध करना, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण;
6. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन;
7. अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची का संकलन/संशोधन;
8. वर्गीकृत अभिलेखों की आवधिक समीक्षा;
9. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन;
10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन; और
11. निष्क्रिय आयोग/समितियों आदि के रिकार्ड को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण।

1.2 इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिन्दुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

INTRODUCTORY

National Archives of India is an Attached Office of the Ministry of Culture. It is the repository of the documentary heritage of the Nation and also serves as the Nodal Agency for the implementation of the Public Records Act, 1993. Under the provisions of the Rule 8 (2) of the Public Records Rules, 1997, Director General of Archives is required to submit to the Government of India an Annual Report every year on the action taken by the Departmental Records Officers in compliance of the provisions of Clauses (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, Circular letter No. 16-12(A)/2008-RM, dated 10 April 2008, was issued to 1565 records creating agencies i.e. Ministries/ Departments, Attached and Subordinate Offices of the Government of India, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. requesting them to furnish the report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2007 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act, 1993.

- 1.1 The present report has been prepared on the basis of the data received till 30 September 2008 from the records creating agencies falling under the purview on the action taken by them during the year 2007 on the following aspects: -
1. Setting up of an organized Departmental Records Room;
 2. Nomination of Records Officers;
 3. Training of Records Officers and Staff;
 4. Sharing of space for housing semi-current records;
 5. Periodical recording, reviewing and weeding out of semi-current records;
 6. Appraisal of non-current records;
 7. Compilation/ revision of Retention Schedules of Records;
 8. Periodical review of classified records;
 9. Compilation of Annual indices to records;
 10. Compilation of Organizational history, and
 11. Transfer of Records of Defunct Bodies/ Committees etc. to National Archives of India.
- 1.2 Details of information on the aforesaid aspects have been delineated in the chapters of the report.

आंकड़ों का विश्लेषण

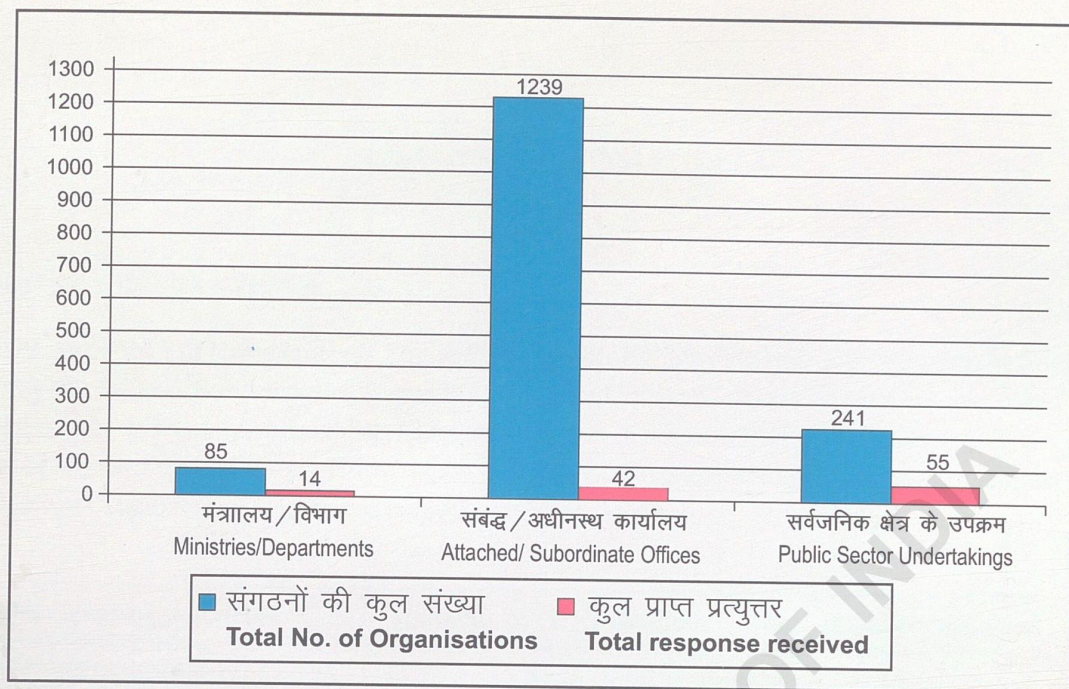
सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2007 में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार के 1,565 मंत्रालयों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से सूचना मांगी गयी थी। तथापि, इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर अमल के बारे में मात्र 111 संगठनों ने सूचना उपलब्ध करायी है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:

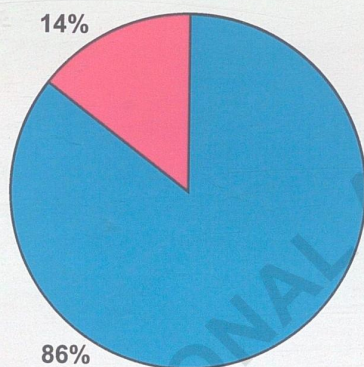
रिकार्ड सर्जक एजेंसियां	संगठनों की कुल संख्या	प्राप्त हुए कुल उत्तर
मंत्रालय/विभाग	85	14
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदि	1239	42
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	241	55
कुल	1565	111

2.1 उपर्युक्त आंकड़ों का विश्लेषण इंगित करता है कि मौजूदा रिपोर्ट के लिए कुल उत्तर 7 प्रतिशत बैठता है; यह पिछले वर्ष की रिपोर्ट के 7.22 प्रतिशत में 0.22 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। जाहिर है कि यह अच्छा संकेत नहीं है और मैं सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर ध्यान दें और यह देखें कि आगामी वर्षों में अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाए ताकि लोक अभिलेखों का प्रबन्धन और रखरखाव सही ढंग से किया जा सके।

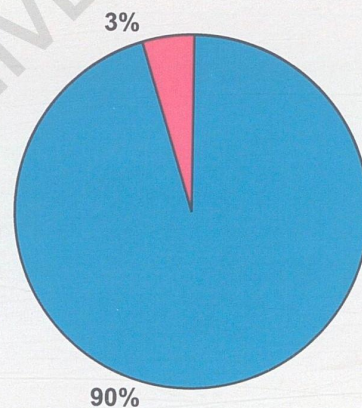
2.2 जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम अनुलग्नक-1 में देखे जा सकते हैं।



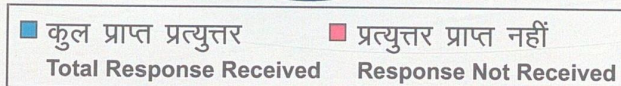
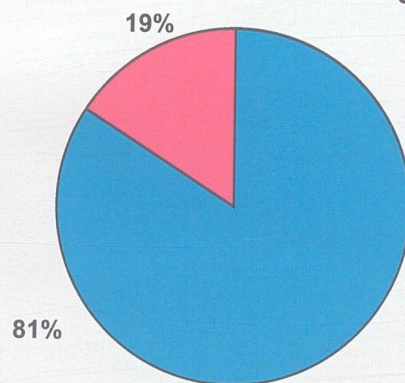
मंत्रालय / विभाग
Ministries/ Departments



संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय
Attached/ Subordinate Offices



सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
Public Sector Undertakings



ANALYSIS OF THE DATA

GENERAL OBSERVATIONS

Information on the implementation of Public Records Act, 1993 for the year 2007 was sought from 1565 Ministries/ Attached/ Subordinate Offices/ Public Sector Undertakings etc. of the Government of India. However, only 111 Organizations furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act. Response received during the period under report from various Organizations is indicated below in a tabulated form: -

Records Creating Agencies	Total No. of Organizations	Total response received
Ministries/ Departments	85	14
Attached/ Subordinate Offices etc.	1239	42
Public Sector Undertakings etc.	241	55
Total	1565	111

2.1 An analysis of the above data reveals that the total response is 7 per cent for the present report; it has gone down by 0.22 per cent as compared to the last year's report which had a total response of 7.22 per cent. Obviously, this is not a good sign and I, plead once again to all Records Creating Agencies to pay their attention and to see that the provisions of the Act are adhered to in the coming years so that the management and maintenance of the public records can be put on sound footing.

2.2 The names of the Ministries/ Departments/ Offices who have furnished information for this report may be seen at **Annexure-I**.

विभागीय अभिलेख कक्ष

एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष अभिलेखों की बेहतर प्रबन्धन प्रणाली के लिए एक पूर्वापेक्षा है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उपधारा (2) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उपयुक्त स्थानों पर अपने अभिलेख कक्ष स्थापित करने चाहिए और प्रत्येक अभिलेख कक्ष अभिलेख अधिकारी के प्रभार में होना चाहिए। विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य स्थायी महत्व के अभिलेखों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करना तथा उन्हें अभिलेखबद्ध करने, समीक्षा, सूचिका बनाने और उन अभिलेखों को नष्ट करने, जिनकी अब ज़रूरत नहीं रह गई है, के लिए समय पर कार्रवाई करना है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों का उक्त प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उन्हें अपने-अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अभिलेख कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया। तथापि, इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीय अभिलेखागार अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी एजेंसियों से अपने विभागीय अभिलेख कक्ष वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित और स्थापित करने का अनुरोध करता आ रहा है, इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इस संबंध में अभिलेख सर्जक एजेंसियों की ओर से और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3.1 कुल मिलाकर 111 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना भेजी है। इनमें से 56 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं और 55 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय आदि हैं। इस संबंध में प्राप्त की गई सूचना की विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है।

3.2 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय; योजना आयोग; प्रधानमंत्री कार्यालय; महा डाकपाल का कार्यालय (कर्नाटक क्षेत्र); भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, देहरादून; व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; अधीक्षक अभियंता का कार्यालय, पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, चैन्नई; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, (हिमाचल प्रदेश सर्किल), डाक विभाग, शिमला; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, कृषि मंत्रालय; वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; नेशनल एटलस एवं थिमैटिक मैपिंग संगठन; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कोलकाता; रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय, उर्वरक विभाग; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

DEPARTMENTAL RECORDS ROOMS

A well-organized Departmental Records Room is one of the pre-requisites of Records Management System. Sub-Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all records creating agencies should set up their Records Rooms at suitable locations and also place each records Room under the charge of a Records Officer. The objective of setting up of the Departmental Records Room is to preserve the records scientifically and take timely action for their recording, reviewing, indexing and weeding out of those records which are no longer required to be retained. Drawing the attention of the records creating agencies to the said provision, National Archives of India requested them to set up Records Rooms in their respective Ministry/ Department/ Office/ Public Sector Undertakings. However, response received in this regard reveals that in spite of the fact that National Archives of India has been requesting all agencies falling under the purview of the Act to organize and set up their Departmental Records Rooms in a scientific way, very little attention has been paid towards this important aspect. More efforts are required to be made by the records creating agencies in this regard.

3.1 In all 111 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings have sent information. Out of which are Ministries/ Departments/ Offices and 55 are Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. Detailed analysis of information received in this regard is given below.

3.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that their Records Rooms are well organized: Ministries of Environment and Forests; Office of the Directorate General, CRPF (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Department of Posts (Ministry of Communication & Information Technology), New Delhi; Department of Road Transport & Highways (O&M Section) (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore (Department of Posts); Forest Survey of India, (Ministry of Environment & Forests), Dehradun; Department of Expenditure (Ministry of Finance), New Delhi; Office of the Superintending Engineer; Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), New Delhi; Office of the Chief Post Master General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla; Department of Information Technology, (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways); Fishery Survey of India (Ministry of Agriculture), Mumbai; Air Headquarters, New Delhi; National Atlas & Thematic Mapping Organization (Department of Science and Technology), Kolkata; Railway Board (Ministry of Railways), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; Department of Fertilizers (Ministry of Chemicals and Fertilizers), New Delhi; Department of Commerce (Ministry of Commerce and Industry); Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; Central Board of Film Certification (Ministry of Information and Broadcasting), New Delhi; Office of the Liaison Officer, Department of Fertilizers (Ministry of Shipping, Road Transport & Highways), Raipur; Department of Disinvestment (Ministry of Finance).

3.3 निम्नलिखित संगठनों ने बताया है कि उनके अभिलेख कक्ष पूर्णतया व्यवस्थित नहीं है और उन्होंने 'शून्य' सूचना दी है, इनके नाम इस प्रकार हैं:- योग एवं प्राकृतिक उपचार केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली; आयकर आयुक्त (अपील-XXIV) का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर; आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर; इंजीनियर संपर्क कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), रांची; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, ज़िला संबलपुर, (उड़ीसा); पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान); योजना आयोग, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

3.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने सूचित किया है कि उनके पास सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष है - भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली; पॉवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली; इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स; इंडिया लि., नई दिल्ली; इस्कॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली; जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली; केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद; गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुम्बई; मजगांव डाक लि., मुंबई; प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, चेन्नई; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुम्बई; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम; नारियल विकास बोर्ड, कोची; एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर; नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद; भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून; नार्दन कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट।

3.5 राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड; अपर यमुना रिवर बोर्ड, दोनों नई दिल्ली में; भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ढाका; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि., शिलांग; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ ने सूचित किया है कि उनके द्वारा अभी अभिलेख कक्ष स्थापित किए जाने हैं।

3.6 नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख कक्ष स्थापित कर दिया है किन्तु यह अभी तक काम नहीं कर रहा है।

3.7 इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गोआ शिपयार्ड लि., वास्को-डि-गामा; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुम्बई से अस्पष्ट उत्तर प्राप्त हुए हैं।

3.3 The following organizations have informed that their Records Rooms are not fully organized and furnished 'NIL' information. These are: Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare); Commissioner of Income Tax (Appeals)-XXIV, New Delhi; Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Engineer Liaison Office (Department of Road Transport and Highways), Ranchi; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Distt. Sambalpur, (Orissa); North Eastern Regional Office (Ministry of Environment & Forests), Shillong; Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan); Project Evaluation Offices, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Guwahati, Patna, Shimla and Thiruvananthapuram and Regional Evaluation Offices, Chennai, Kolkata, Mumbai, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur and Lucknow of Planning Commission.

3.4 The following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have reported that they have well-organized Departmental Records Rooms-State Trading Corporation of India; Power Finance Corporation Limited; Engineering Projects (India) Limited; IRCON International Limited; Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited; all in New Delhi. Central Electronics, Sahibabad (U.P.); National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Garden Reach Shipping Builders & Engineers; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited; both in Kolkata. Indian Institute of Geomagnetism; Mazagon Dock Limited; all in Mumbai; Central Institute of Plastic Engineering & Technology; Petroleum Corporation Limited; both in Chennai. Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam; Coconut Development Board, Kochi; STCL Limited, Bangalore; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Indian Institute of Forest Management, Bhopal; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; National Aluminum Company Limited, Bhubaneswar; Northern Coalfield, Singrauli; Wildlife Institute, Dehradun; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam).

3.5 National Small Industries Corporation Limited, Upper Yamuna River Board, both in New Delhi; Bharat Cooking Coal, Dhanbad; Indira Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Indian Institute of Management, Ahmadabad; North Eastern Electric Power Corporation, National Handloom Development Corporation, Shillong; have informed that the Records Room are yet to be set up by them.

3.6 North Eastern Hill University, Shillong informs that they have set up a Record Room but it is not yet functioning.

3.7 Besides vague replies have been received from Goa Shipyard Limited, Goa and Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai.

विभागीय अभिलेख अधिकारी

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण को अपने एक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए नामित करना होगा। विभागीय अभिलेख अधिकारी से अपेक्षित है कि वह संगठन में विभिन्न अनुभागों/प्रभागों में समन्वय रखे एवं मार्गदर्शन दे और महत्वपूर्ण कार्यों के अभिलेख प्रतिधारण समय सारणी के संकलन, गैर-प्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन, स्थायी प्रकृति के 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के संबंध में महानिदेशक अभिलेखागार के साथ संपर्क भी बनाए रखे। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम की परिधि में आने वाले सभी संगठनों से विभागीय अभिलेख अधिकारियों को जल्द से जल्द नामित करने का अनुरोध किया है। इसके परिणामस्वरूप 934 संगठनों ने अब तक अपने एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 111 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों ने इस संबंध में अपेक्षित सूचना भेजी है। प्राप्त किए गए उत्तरों का विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के पास पूर्ण प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं। ये हैं:- भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, महालेखाकार (लेखा एवं पात्रता) का कार्यालय, मुंबई; भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, प्रधान महालेखाकार (सी एण्ड सी.ए.) का कार्यालय, ग्वालियर; भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, महालेखाकार (ए एण्ड ई) का कार्यालय, चंडीगढ़; भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, तमिलनाडु, महालेखाकार (वाणिज्य एवं आवती लेखा परीक्षा), चेन्नई, तमिलनाडु; लेखा परीक्षा महानिदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली; भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), शिमला, हिमाचल प्रदेश; लेखा परीक्षा, प्रधान निदेशक का कार्यालय (केन्द्रीय), मुंबई; भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, प्रधान निदेशक (लेखा परीक्षा) का कार्यालय, दक्षिण रेलवे, पार्क टाउन, चेन्नई; महालेखाकार (लेखा एवं पात्रता) का कार्यालय, तमिलनाडु, चेन्नई; भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य का कार्यालय, लेखा परीक्षा बोर्ड-2, नई दिल्ली; भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, प्रधान महालेखाकार (सी एण्ड आर लेखा परीक्षा), गुजरात, अहमदाबाद; प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (आयुध फैक्ट्री), कोलकाता; भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, महालेखाकार का कार्यालय, गोवा; महालेखाकार का कार्यालय (निर्माण एवं आवती लेखा परीक्षा) का कार्यालय, ग्वालियर, तमिलनाडु और पुदुचेरी, चेन्नई; भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), तिरुवनंतपुरम, केरल; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मुंबई; पोत परिवहन विभाग (स्था. अनुभाग), पोत परिवहन विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; वरिष्ठ उप महालेखाकार, (लेखा), का कार्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश; पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, नागपुर; डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, (ओ.एण्ड एम. अनुभाग) पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; योजना आयोग, नई दिल्ली; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (कर्नाटक सर्किल), बंगलोर; भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, देहरादून; केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; अधीक्षक अभियंता का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 provides that every records creating agency shall nominate one of its officers as Records Officer to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The Departmental Records Officer is required to coordinate and guide various sections/ Divisions of their respective organizations as well as liaising with the Director General of Archives regarding the compilation of Records Retention Schedule of substantive functions, appraisal of non-current records and transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for preservation. Taking into consideration the said provisions, National Archives of India has requested all the organizations falling under the purview of the Act to nominate Departmental Records Officer at their earliest. So far, 934 organizations have nominated one of their officers as Records Officer. During the period under report, 56 Ministries/ Departments/ Offices/ PSUs have furnished the requisite information in this regard. Details of replies received are given below.

4.1 Following Ministries/ Departments/ Offices have trained Departmental Records Officers. These are:

- Indian Audit & Accounts Department, Office of the Accountant General (Accounts & Entitlements), Mumbai (Maharashtra); Indian Audit & Accounts Department, Office of the Principal Accountant General (C&CA), Gwalior (Madhya Pradesh); Indian Audit & Accounts Department, Office of the Accountant General (A&E) Chandigarh (Punjab); Indian Audit & Accounts Department Tamil Nadu, Accountant General (Commercial and Receipt Audit), Chennai (Tamil Nadu); Office of the Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi, Indian Audit & Accounts Department, Accountant General (Audit), Shimla (Himachal Pradesh); Office of the Principal Director of Audit (Central), Mumbai; Indian Audit & Accounts Department, Office of the Principal Director of Audit, Southern Railway, Park town, Chennai; Office of the Accountant General (Accounts & Entitlements), Tamil Nadu, Chennai, Indian Audit & Accounts Department, Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board-II, New Delhi; Indian Audit & Accounts Department, Office of the Principal Accountant General (C&R Audit), Gujarat, Ahmadabad; Office of the Principal Director of Audit (Ordinance Factories), Kolkata; Indian Audit & Accounts Department, Office of the Accountant General, Goa; Office of the Accountant General (Works & Receipts Audit), Madhya Pradesh, Gwalior, Tamil Nadu and Pondicherry, Chennai; Indian Audit & Accounts Department, Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram, Central Board of Film Certification (Ministry of Information and Broadcasting, Government of India), Mumbai; Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Shipping, New Delhi. Office of the Senior Deputy Accountant General (Accounts) Himachal Pradesh, Shimla; Ministry of Environment and Forests; Office of the Directorate General, CRPF, Ministry of Home Affairs, New Delhi; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Department of Posts (Ministry of Communication & Information Technology), New Delhi; Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources,

राजमार्ग विभाग, चैन्नई; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, (हिमाचल प्रदेश सर्किल,) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, कृषि मंत्रालय, मुंबई; मात्स्यिकी, मुंबई; वायु सेना मुख्यालय, वायु भवन, नई दिल्ली; नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग संगठन, नई दिल्ली; रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

4.2 निम्न संगठनों ने यह सूचित किया कि वे छोटे संगठन हैं और उन्हें अभिलेख अधिकारी नामित करना आवश्यक नहीं लगता। कुछ कार्यालयों ने 'शून्य' उत्तर दिए हैं :- ये हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; समेकित मत्स्य परियोजना, कोचिन; फोरेज उत्पादन एवं प्रदर्शन हेतु क्षेत्रीय केन्द्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर; आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; इंजीनियर संपर्क अधिकारी (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग), रांची; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान); परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना शिमला तथा तिरुवानंतपुरम और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई, चंदीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

4.3 निम्नलिखित 3 संगठनों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष उनके दफ्तरी/क्लर्क के प्रभार में हैं। ये हैं; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (ज़िला सूरत); भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण मारमागांव, गोआ; तथा मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अण्डमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।

4.4 जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि का संबंध है, निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूर्णकालिक विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं— नेशनल लघु उद्योग कारपोरेशन लि., नई दिल्ली; भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली; इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली; प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कारपोरेशन लि. नई दिल्ली; जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्रिफेड), दिल्ली मे; इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स; इंडिया लि. नई दिल्ली; केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद; इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुंबई; मजगांव डाक लि., हैदराबाद; प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, चेन्नई; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम; नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली; नारियल विकास बोर्ड, कोची; एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद; भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली; भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल; नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग; पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि., शिलांग; भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट।

New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore (Department of Posts); Forest Survey of India (Ministry of Environment & Forests), Dehradun, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Central Pension Accounts Office, New Delhi, Office of the Superintending Engineer, Office of the Chief Post Master General, H.P. Circle (Department of Posts), Shimla; Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information Technology), New Delhi; Fishery Survey of India, Ministry of Agriculture; Fisheries, Mumbai; Air Headquarters (VB); New Delhi National Atlas & Thematic Mapping Organization, Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; Ministry of Chemical and Fertilizers, Department of Fertilizers, New Delhi; Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry; Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; Central Board of Film Certification (Ministry of Information and Broadcasting), New Delhi; Office of the Engineer Liaison Officer, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways), Raipur; Department of Disinvestment, Ministry of Finance.

4.2 The following Organizations have informed that they are small organizations and they do not feel necessity of nominating a Records Officer. Some offices have given 'NIL' replies. These are:- Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Thiruvananthapuram; Integrated Fisheries Project, Cochin; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I) Kanpur; Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Ranchi; Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan); Project Evaluation Offices, Ahmadabad, Bangalore, Bhopal, Guwahati, Patna, Shimla and Thiruvananthapuram and Regional Evaluation Offices, Chennai, Chandigarh, Mumbai, Hyderabad, Jaipur and Lucknow.

4.3 Following 3 organizations have intimated that their Records Rooms are under the charge of Daftry/Clerk. These are; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); Fishery Survey of India, Marmagao, Goa and Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour works, Port Blair.

4.4 As regards the Public Sector Uundertakings/Statutory Bodies, the following Public Sector Uundertakings have fulltime DROs – the National Small Industries Corporation Ltd.; the State Trading Corporation of India Ltd.; IRCON International Ltd.; Project Equipment Commodities; the Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Ltd.; Engineering Projects (India) Ltd.; all in New Delhi; Central Electronics Ltd., Ghaziabad; National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad; Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai; Mazagaon Dock Ltd., both in Mumbai; the Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Chennai; Petroleum Corporation Ltd.; both in Chennai, Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata; Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam; Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli; Coconut Development Board, Kochi; STCL Ltd., Bangalore; Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad; Bharat Cooking Ltd., Dhanbad; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur; Northern Coalfields Ltd., Singrauli (M.P.); Indian Institute of Forest Management, Bhopal; North-Eastern Hill University; North-Eastern Electric Power Corporation, both in Shillong; Wildlife Institute of India, Dehradun; and Numaligarh Refinery Ltd., Golaghat, Assam.

4.5 निम्नलिखित लोक उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई अभिलेख अधिकारी नहीं है :- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली; भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; ज्यूलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन, मुंबई; गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ; गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा ।

4.6 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुम्बई ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है ।

4.7 अपर यमुना रिवर बोर्ड, नई दिल्ली, ने सूचित किया है कि विभागीय अभिलेख अधिकारी का नामांकन उन पर लागू नहीं होता है ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

4.5. The following Public Sector Undertakings have informed that they have no Records Officer; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Indian Institute of Management, Ahmadabad; the Gem & Jewellery Export Promotion, Mumbai; Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd., Kolkata; National Handloom Development Corporation, Lucknow; Goa Shipyard Ltd., Goa.

4.6 Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai has forwarded a vague reply.

4.7 The Upper Yamuna River Board, New Delhi says that nomination of Departmental Records Officer is not applicable to them.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

स्थान की भागीदारी

यह देखा गया है कि अर्ध-प्रचलित चरण में अभिलेखों को उनके अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता। विशेषकर ऐसे मामलों में जहां अलग विभागी अभिलेख कक्ष नहीं बनाए जाते, वहां या तो इन अभिलेखों को गलियारों में रख दिया जाता है या अलमारियों में बेतरतीब ढंग से रख दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अभिलेखों की हालात के लिए उपयुक्त नहीं हैं और परिणामस्वरूप इनमें से कई अभिलेख जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, नष्ट हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी संगठनों को अपने एनेक्सी भवन नई दिल्ली में और भोपाल के क्षेत्रीय केंद्र तथा जयपुर, भुवनेश्वर एवं पांडिचेरी के अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी करने का प्रस्ताव दे रहा है।

5.1 कुल 111 संगठनों ने सूचना भेजी है उनमें से 56 सरकारी संगठन हैं और 55 लोक उपक्रम हैं। ज्यादातर सरकारी संगठनों ने नकारात्मक उत्तर दिया है और कुछ कार्यालयों ने स्थान की भागीदारी के लिए इच्छा दर्शाई है या पहले से ही अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार एनेक्सी भवन, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय अभिलेख केंद्रों, भोपाल, जयपुर, पांडिचेरी और भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिए हैं। इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के विवरण इस प्रकार है।

5.2 जो संगठन राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली या इसके अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी के इच्छुक हैं; इस प्रकार हैं - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग संगठन, नई दिल्ली; तबांकू विकास निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, दोनों चेन्नई में; इन दोनों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख केन्द्र पांडिचेरी में स्थान की भागीदारी की है; महाडाकपाल का कार्यालय (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर ने अपने अभिलेख एन. ए. आई. अभिलेख केंद्र, भुवनेश्वर को भेज दिए हैं और नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर ने सूचित किया है कि अभिलेख एन. ए. आई. अभिलेख केन्द्र, जयपुर को भेजे जाने हैं।

5.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट भेजी हैं:- पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, नागपुर; डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; योजना आयोग, नई दिल्ली; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (कर्नाटक सर्किल), बंगलोर; भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, देहरादून; केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; अधीक्षक अभियंता का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, (हिमाचल प्रदेश सर्किल), शिमला; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, कृषि मंत्रालय, मुंबई; वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय।

SHARING OF SPACE

It has been observed that during their semi-current stage the records are not well cared for by the records creating agencies. Especially in the case where a separate Departmental Records Room has not been organized, either these records are dumped in the corridors or stacked haphazardly in the almirahs. These types of conditions are not conducive to the health of the records and as a result many of these records, containing valuable information, may perish. Keeping all these problems in mind, National Archives of India has been inviting all the organizations to share space in its Annexe Building, New Delhi and also in its Regional Office at Bhopal and Records Centres at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar.

5.1 In all 111 Organizations have furnished information, out of which 56 are the Government Organizations and 55 are Public Sector Undertakings. Most of the Government Organizations have given negative response and only few Offices have shown their willingness to share space at National Archives of India, Annexe Building, New Delhi and its Regional Records Centres at Bhopal, Jaipur, Puducherry, and Bhubaneswar. Details of replies received in this regard are as follow: -

5.2 The Organizations that are willing to Share space at N.A.I., New Delhi or at its Records Centres are: Department of Road Transport and Highways, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Office of the Salt Commissioner, Jaipur; National Atlas & Thematic Mapping Organization; Directorate of Tobacco Development and Office of the Commissioner of Central Excise, both in Chennai, have already shared space at NAI, Record Centre, Puducherry; Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar, has already sent records to NAI, Record Centre, Bhubaneswar and Office of the Salt Commissioner, Jaipur has intimated that the records are to be sent to NAI, Record Centre, Jaipur.

5.3 The following Ministries/ Departments/ Offices have furnished 'nil' reports: these are: Ministries of Environment and Forests, Office of the Directorate General, CRPF, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, Nagpur, Department of Posts, Ministry of Communication & Information Technology, New Delhi, Ministry of Defence, New Delhi, Ministry of Water Resources, New Delhi, Prime Minister's Office, New Delhi, Planning Commission, New Delhi, Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore, Department of Posts, Forest Survey of India, Ministry of India Environment & Forests, Dehradun, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Central Pension Accounts Office, New Delhi, Office of the Superintendent Engineer, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Shipping), New Delhi, Office of the Chief Post Master General, H.P. Circle, Department of Posts, Shimla, Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, New Delhi, Fishery Survey of India, Ministry of Agriculture, Fisheries, Mumbai, Air Headquarters (VB), New Delhi, Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, Ministry of Chemical and Fertilizers, Department of Fertilizers, New Delhi, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, Central Board of Film Certification, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, Department of Disinvestment, Ministry of Finance.

5.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों में से दो सगठन जिन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय अभिलेख केंद्रों में स्थान की भागीदारी से संबंधित सूचना दी थी, उनमें से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. और भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद ने आवश्यकता पडने पर स्थान की भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है।

5.5 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय इत्यादि हैं जो किसी न किसी कारण से अभिलेख भण्डारण के स्थान की भागीदारी करने के इच्छुक नहीं हैं। ये हैं — भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली; पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लि.; इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि., नई दिल्ली; जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली मे; प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली; इस्कॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली; इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, नवी मुम्बई; मजगांव डाक लि., हैदराबाद; प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, चेन्नई; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा; विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापत्तनम; नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली; नारियल विकास बोर्ड, कोची; एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ; भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून; पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि., शिलांग; भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल; नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.सिंगरौली; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद।

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि की एक और श्रेणी है जिन्होंने सूचना दी है कि उन्हें स्थान की भागीदारी की ज़रूरत नहीं है। ये हैं — जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली और अपर यमुना रिवर बोर्ड, नई दिल्ली।

5.7 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि; गोलाघाट ने सूचित किया है कि यह उनका विषय नहीं है।

5.8 सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने सूचित किया है कि स्थान की भागीदारी की इस समय उन्हें आवश्यकता नहीं है वे हैं :- गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता, नेशनल लघु उद्योग कारपोरेशन लि., नई दिल्ली और भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद।

5.9 नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद ने सूचित किया है कि भण्डारण स्थान की आवश्यकता उन्हें नहीं है।

5.4 The following 2 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. who have furnished information showing willingness regarding sharing of space in National Archives of India, Regional Office and Record Centres are the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi and Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

5.5 The following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc are unwilling to share records storage space for one reason or the other. They are : The State Trading Corporation of India; Power Finance Corporation Limited; Engineering Projects (India) Limited, Project Equipment Commodities; IRCON International Limited, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited all in New Delhi; Hindustan Petroleum, Indian Institute of Geomagnetism, Mazagon Dock Limited, all in Mumbai; Central Institute of Plastic Engineering & Technology, Chennai Petroleum Corporation Limited both in Chennai; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Indian Institute of Management, Ahmadabad; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Goa Shipyard Limited, Goa; Visakhapatnam Port Trust, Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Coconut Development Board, Kochi; STCL Limited, Bangalore; National Aluminum Company Limited, Bhubaneswar; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow; Wildlife Institute, Dehradun; North Eastern Hill University, North Eastern Electric Power Corporation, both in Shillong; Indian Institute of Forest Management, Bhopal; Northern Coalfield, Singrauli; Indira Gandhi Uran Akademi, Rae Bareli, Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad.

5.6 There is another category of two Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc., who have forwarded the information that the sharing of space is not required by them. These are Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, Upper Yamuna River Road both in New Delhi.

5.7 Numaligarh Refinery Limited, Golaghat has informed that it is not contemplative to them.

5.8 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies that have intimated that sharing of space is not required at this stage are: Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited, Kolkata, National Small Industrial Corporation Limited, New Delhi; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

5.9 National Hydro Electric Power Corporation Limited states that storage space is not required.

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन

पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने दिन-प्रतिदिन के लेन देन में अभिलेखों का सृजन करता है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अल्पावधि के अभिलेखों से पृथक करने के लिए और इनके उचित प्रबंधन/ रख-रखाव के लिए भी, उनका समय पर अभिलेखन/समीक्षा/छंटाई आदि ऐसे आवश्यक कदम हैं जिन्हें सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (ख) और लोक अभिलेख नियम, 1997 का नियम (9) उपबंधित करता है कि किसी भी अभिलेख को अभिलेखन और समीक्षा के बगैर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम (9) आगे उपबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण को इस विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के समक्ष अर्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों सहित लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि को दिनांक 10 सितम्बर 2008 को परिपत्र सं. 16-5/2007 आर एम जारी किया गया था। उन संगठनों की सूची जिन्होंने सूचना भेजी है अनुलग्नक-11 पर देखी जा सकती है। अन्य परिपत्र सं. 16-12 क/2008 आर एम जो दिनांक 10 अप्रैल 2008 को जारी किया गया था के उत्तर में निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों / कार्यालयों और लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचना भेजी है। सूचना का विश्लेषण निम्नानुसार है:-

6.1 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे अभिलेखन, समीक्षा, सूची बनाने और अभिलेखों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं; ये इस प्रकार हैं:- पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, नागपुर; डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; योजना आयोग, नई दिल्ली; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (कर्नाटक सर्किल), बंगलोर; डाक विभाग, नई दिल्ली; भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, देहरादून; केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; अधीक्षक अभियंता का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, चैन्नई; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, (हिमाचल प्रदेश सर्किल), शिमला; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, कृषि मंत्रालय, मुंबई; मात्स्यिकी, मुंबई; वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग संगठन, नई दिल्ली; उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मुंबई; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

6.2 निम्न संगठनों ने शून्य सूचना भेजी है। ये हैं: अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग चण्डीगढ़; इंजीनियर संपर्क अधिकारी का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) छत्तीसगढ़; समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); जिला संबलपुर (उड़ीसा) और सूरतगढ़ (राजस्थान); भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मारमागांव, गोआ; केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त,

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Every Records Creating Agency creates records in their day-to-day transactions. To segregate the important records from those of ephemeral ones and also for their proper management/ maintenance, their timely recording/ reviewing/ weeding are the essential steps which are required to be taken by all records creating agencies. The Section 6(1) (b) of Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rule, 1997, stipulate that no record shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997, further stipulates that each record-creating agency should furnish half-yearly returns on the subject to National Archives of India. Accordingly, a circular letter No. 16-5/2007-RM, dated 10 September 2007 was issued to all Ministries/ Departments/ Offices including Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. A list of organizations who have sent information may please be seen in Annexure II. In response to another circular letter No. 16-12A/2008-RM, dated 10 April 2008 the following Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have sent information. The analysis of information is given below.

6.1 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are attending the job of Recording, Reviewing, Indexing and Weeding of records. These are: Ministries of Environment and Forests, Office of the Directorate General, CRPF (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Department of Posts, Ministry of Communication & Information Technology, New Delhi; Department of Road Transport & Highways (O&M Section), Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore, Department of Posts; Forest Survey of India (Ministry of Environment & Forests), Dehradun; Ministry of Finance, Department of Expenditure, Central Pension Accounts Office, New Delhi, Office of the Superintendent Engineer, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Shipping), New Delhi, Office of the Chief Post Master General, H.P. Circle, (Department of Posts), Shimla, Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, New Delhi; Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Shipping); Fishery Survey of India, Ministry of Agriculture, Fisheries, Mumbai, Air Headquarters (VB), New Delhi; National Atlas & Thematic Mapping Organization, Kolkata; Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers, New Delhi; Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry; Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; Central Board of Film Certification (Ministry of Information and Broadcasting), New Delhi; Office of the Engineer Liaison Officer, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways), Raipur; Department of Disinvestment, Ministry of Finance.

6.2 The following Organizations have furnished 'NIL' report. These are: Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways, Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer

का कार्यालय, पणजी, गोआ; फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर); आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, नागपुर; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) रांची; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद; भोपाल; गुवाहाटी; पटना; शिमला; तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई; कोलकाता; मुंबई और चंडीगढ़।

6.3 निम्न लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचना भेजी है कि वे अभिलेखन, समीक्षा, सूची बनाने और अभिलेखों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। ये हैं:- जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली मे; इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि., नई दिल्ली; प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, चेन्नई; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई; मजगांव डाक लि., हैदराबाद; न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लि., मुंबई; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद; गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा; एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर; नारियल विकास बोर्ड, कोची; नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली; भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट; अपर यमुना रिवर बोर्ड, नई दिल्ली; पूर्वोत्तर विद्युत पावर कारपोरेशन लि., शिलांग।

6.4 जो संगठन इस कार्य को नहीं कर रहे हैं वे हैं:- भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम; गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता; इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुंबई; प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कारपोरेशन लि., नई दिल्ली।

6.5 निम्नलिखित संगठनों ने शून्य रिपोर्ट भेजी है - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम; इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुंबई; होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., मुंबई

6.6 भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद और नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग ने सूचित किया है कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है।

6.7 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. और इरकॉन इंटरनेशनल लि., दोनों नई दिल्ली में, ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं।

(Department of Road Transport and Highways), Chhattisgarh; Integrated Fisheries Project, Cochin; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); District Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Fishery Survey of India, Marmagao, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore; Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur; Central Agmark Laboratory, Nagpur; Engineer Liaison Office (Department of Road Transport and Highways), Ranchi; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Project Evaluation Offices, Ahmadabad; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla; Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; and Chandigarh.

6.3 Following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have reported that they are attending to the recording, reviewing, and weeding of records: these are the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd.; Engineering Projects (India) Ltd.; all in New Delhi; Central Institute of Plastic Engineering & Technology, Chennai; Petroleum Corporation Ltd.; both in Chennai; Mazagaon Docks Ltd.; Hindustan Petroleum Corporation Ltd.; Nuclear Power Corporation of India Ltd.; all in Mumbai; National Hydroelectric Power Corporation of India Ltd., Faridabad; Goa Shipyard Ltd., Goa; STCL Ltd., Bangalore; Coconut Development Board, Kochi; Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli; Indian Institute of Forest Management, Bhopal; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; Central Electronics Ltd., Ghaziabad; National Handloom Development Corporation Ltd., Lucknow; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata; Numaligarh Refinery Ltd., Golaghat; North-Eastern Electric Power Corporation, Shillong; Upper Yamuna River Board, New Delhi.

6.4 Organisations who are not doing the job are the State Trading Corporation Ltd., Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam; Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Kolkata; Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai; Project Equipment Commodities, New Delhi.

6.5 The organizations who have forwarded Nil reports are: Indira Gandhi Rastriya Uran Akademi, Rae Bareli; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore; Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad; Hindustan Shipyard Ltd., Vishakhapatnam; Indian Institute of Geomagnetism, Hotel Corporation of India, both in Mumbai.

6.6 Bharat Cooking Coal Ltd, Dhanbad and North Eastern Hill University, Shillong, say it is not applicable to them.

6.7 The National Small Industries Corporation Ltd. and IRCON Industries Ltd., both in New Delhi have given vague replies.

6.8 The Northern Coalfields Ltd., Singrauli is silent on the subject.

अभिलेखों का सूचीकरण

किसी भी संगठन की प्रशासनिक दक्षता निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों को समय पर और आवश्यकतानुसार सूचना प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है जो तभी संभव है यदि अभिलेखों में से तुरंत सूचना निकाली जा सके। अभिलेखों से आसानी और तेजी से सूचना प्राप्त करने के लिए अच्छे संदर्भ की ज़रूरत होती है। वार्षिक विभागीय सूचियों को अभिलेखों की श्रेणी 'क' और 'ख' में संकलित करने से इस कार्य में बहुत सहायता मिलती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने परिपत्र सं. 16-12क/2008 आरएम दिनांक 10 अप्रैल 2008 के ज़रिए सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना देने का अनुरोध किया था। इस काम के बारे में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई उत्साहवर्धक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कुल 111 संगठनों ने सूचना भेजी है। इनमें से 56 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं और 55 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सांविधिक निकाय इत्यादि हैं।

7.1 निम्न अभिलेख सर्जक अभिकरणों ने सूचित किया कि उन्होंने सूचियों का संकलन कर लिया है या संकलन प्रगति पर है। ये हैं:— नेशनल साइंस अकादमी, इलाहाबाद; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़; रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, चण्डीगढ़ ने सूचित किया है कि अभिलेखों का सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि 1979-1982 अवधि के लिए उनके अभिलेखों की सूचियों का संकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सूचियों का संकलन प्रगति पर है।

महाडाकपाल (कर्नाटक मंडल), बंगलोर; (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर के कार्यालय और विशाखापत्तन डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम सूचियों का संकलन कर रहे हैं।

7.2 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने विभिन्न उत्तर भेजे हैं, यथा, कि वे वार्षिक सूचियों का संकलन नहीं कर रहे या वे ऐसा आवश्यक नहीं समझते या उन्होंने 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं:— पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; रेल (रलवे बोर्ड); पोत परिवहन; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग; योजना आयोग; जूट विकास निदेशालय; जूट आयुक्त का कार्यालय और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (ज़िला सूरत); जिला संबलपुर (उड़ीसा); और सूरतगढ़ (राजस्थान); केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, दोनों मारमागांव, गोआ में; केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोआ; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कानपुर; केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, और भारतीय खान ब्यूरो

INDEXING OF RECORDS

Administrative efficiency of an organization depends upon the submission of information to the decision-making authorities on time and as per requirement, which can only be done if the information is called out from amongst records quickly. Easy and quick retrieval of information from records requires good reference media, compilation of annual departmental indices of 'A' and 'B' Category of records that will go a long way in facilitating this job. National Archives of India requested all the records Creating agencies vide its circular Nos. 16-12A/2008-RM dated 10 April 2008 to furnish the information on the action taken by them in this regard. No appreciative response has been received from the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings on this score.

In all 111 organizations have furnished information. Out of these 56 are Ministries/ Departments/ Offices and 55 are Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc.

7.1 The following records creating agencies have informed that they have compiled indices or compilation of Indices is in progress. These are as under:- National Academy of Sciences, Allahabad; Department of Information Technology, Ministry of Communication & IT, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Council of Scientific & Industrial Research; Terminal Ballistic Research Laboratory; Defence Research Development and Organization, Chandigarh; have intimated that the indices of their records are being compiled. Ministry of Water Resources, New Delhi, has intimated that the indices of their records are being compiled for the period 1979-1982. Prime Minister Office, New Delhi has intimated that compilation of Indices is under process. Offices of the chief Post Master General, (Karnataka Circle), Bangalore; (Orissa circle), Bhubaneswar and Visakhapatnam dock Labour Board, Visakhapatnam are compiling the Indices.

7.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have sent varying responses e.g. not compiling, not necessary, not required, nil reports, etc.: these are: Ministries of Environment and Forests, Railways (Railway Board); Shipping, Road Transport and Highways, Planning Commission, Directorate of the Jute Development, Office of the Jute Commissioner and Government of India Stationery Office, all in Kolkata; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Income Tax Appellate Tribunal and Fishery Survey of India, all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore; Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); District Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Central Drugs Standard Control Organization, Ghaziabad; Port Health Organizations and Fishery Survey of India both in Marmagoa, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji (Goa); Office of the Commissioner of Central Excise, Kanpur; Central Agmark Laboratory and Indian Bureau of Mines both in Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Project Evaluation Offices, Ahmadabad; Bangalore;

दोनों नागपुर में; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ।

7.3 कुल 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/निगमों इत्यादि ने उत्तर दिया है। उनमें से चार संगठन सूचियां तैयार कर रहे हैं ! वे हैं: गोआ शिपयार्ड लि. वास्को-डि-गामा ने सूचित किया है कि वे आईएसओ गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रक्रियात्मक मैनुअल के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुम्बई; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट; नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर ।

7.4 सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन पर ये लागू नहीं होता, वे हैं:— जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ; मजगांव डाक लि., हैदराबाद; प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कारपोरेशन लि., नई दिल्ली; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली और नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग ।

7.5 चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई ने सूचित किया कि यह कार्य शीघ्र ही किया जाएगा ।

7.6 निम्न लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया कि वे कार्य नहीं कर रहे हैं। ये हैं: एस. टी.सी.एल. लि., बंगलौर; भारत कृकितंग कोल लिमिटेड, धनबाद; पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि., शिलांग; नेशनल लघु उद्योग कारपोरेशन लि.,; अपर यमुना रिवर बोर्ड, दोनों नई दिल्ली में और इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुम्बई ।

7.7 भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल ने शून्य रिपोर्ट भेजी है ।

Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow of Planning Commission; Department of Road Transport & Highways (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Ministry of Information and Broadcasting; and Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), New Delhi.

7.3 In all twenty-two Public Sector Undertakings/Committees/Corporations etc. have responded. Out of which four organizations are preparing indices. These are: Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama have informed that they are doing the job as per ISO Quality Management System Procedural Manual; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; National Aluminum Company Limited; Bhubaneswar.

7.4 Public Sector Undertakings/ Organizations that have intimated that Indexing of records is not applicable to them are: Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, Delhi; Bharat Dynamic Limited, Hyderabad; National Handloom Development Corporation, Lucknow; Mazagon Docks Limited, Mumbai; Project Equipment Commodities, New Delhi; Indira Gandhi Rastriya Uran Akademi, Rae Bareilly and North Eastern Hill University, Shillong.

7.5 Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai have informed that the job will be taken up in due course.

7.6 The following Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have informed that they are not preparing indices. These are:- STCL Limited, Bangalore; Coconut Development Board, Kochi; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; North Eastern Electric Power Corporation, Shillong; National Small Industries Corporation Limited, Upper Yamuna River Board both in New Delhi; Indian Institute of Geomagnetism, Mumbai.

7.7 Indian Institute of Forest Management, Bhopal, has sent a nil report.

अभिलेखों के प्रतिधारण समय-सूची का संकलन

एक सुव्यवस्थित अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए सुव्यवस्थित अभिलेख प्रतिधारण सारणी की जरूरत होती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि द्वारा सृजित किए जा रहे विभिन्न अभिलेख समूहों के लिए प्रतिधारण समयावधि निर्धारित की गई हो। वास्तविक कार्यों से संबंधित आधिकारिक उनका कार्य भी करते हुए, इसके अलावा, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (3) और उक्त अधिनियम के तहत बनाई गई लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर ऐसी प्रतिधारण सारणी के संशोधन से संशोधित प्रतिधारण सारणी में उनकी प्रतिधारण अवधि के साथ नए विषयों का शामिल होना सुनिश्चित हो पाएगा। ऐसी प्रतिधारण सारणियां उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके संकलित की जानी चाहिए। कुल मिलाकर 111 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने परिपत्र सं. 16-12 क/2008 दिनांक 10 अप्रैल 2008 का उत्तर दिया है जिसमें वर्ष 2007 की मौजूदा रिपोर्ट संकलित करने के संबंध में अभिलेख प्रतिधारण सारणी बनाने की सूचना मांगी गई थी। इनमें से 56 सरकारी संगठनों और 55 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि हैं। प्राप्त उत्तर का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

8.1 निम्न कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण समय सारणी का संकलन किया है ये हैं: प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; रेल (रेलवे बोर्ड); पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली; नेशनल एलटस एण्ड थिम्पेटिक मैपिंग संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग; जल संसाधन मंत्रालय; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; योजना आयोग; उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली; विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई; पोत परिवहन विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय; टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (ज़िला सूरत); समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन।

8.2 निम्नलिखित कार्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची संकलित नहीं की है और शून्य सूचना भेजी है। ये हैं: जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना; पशुपालन विभाग, डेयरी, एवं मत्स्य; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान); आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; अतिरिक्त निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई; केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सभी चेन्नई में; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (कैर्नाटक मण्डल), बंगलोर और (उड़ीसा मण्डल), भुवनेश्वर; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, चंडीगढ़; केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोआ; फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद,

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS

A sound records management system requires a well drawn up Records Retention Schedule laying down retention periods for various records groups being created by different Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. while conducting their official business pertaining to substantive functions. Further, revision of such Retention Schedule after the expiry of every fifth year, as required under Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997, framed under the said Act, would ensure inclusion of the new subjects along with their retention period within the body of the revised retention schedule. Such Retention Schedules should be compiled in consultation with the National Archives of India under the aforesaid section of the said Act. In all 111 Records creating agencies have furnished information in response to the circular letter No.16-12A/2008-RM, dated 10 April 2008 seeking information on formulation of Records Retention Schedule in connection with compiling the present report for the year 2007, out of which 56 Government organizations and 55 are Public Sector Undertakings etc. Details of the replies received are indicated below: -

8.1 The following Offices have informed that they have compiled Retention Schedule. These are: Prime Minister's Office; Ministry of Environment and Forests; Office of the Director General CRPF (Ministry of Home Affairs); Department of Posts, Ministry of Communication & IT; Railways (Railway Board); Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways; Ministry of Defence; Ministry of Labour & Employment; National Atlas & Thematic Mapping Organization, Department of Science and Technology; Ministry of Water Resources; Department of Information Technology, Ministry of Communication & IT; Planning Commission; Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Disinvestment, Ministry of Finance; Council of Scientific & Industrial Research; Ministry of Information & Broadcasting; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; National Film Archive, Pune; Central Board of Film Certification, Mumbai; Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways; Directorate General of Supplies and Disposals; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Integrated Fisheries Project, Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

8.2 The following organizations have not compiled Retention Schedule of their records and furnished 'Nil' reports. These are: Office of the Jute Commissioner Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme; Office of the Commissioner of Central Excise; Department of Animal Husbandary, Dairying & Fisheries; Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh; Commissioner Income Tax (Appeals-I), Kanpur; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai; Office of the Commissioner of Customs & Central Excise, Ministry of Finance, Department of Revenue; Office of the Chief Engineer & Administrator, Department of Shipping, Port Blair; Fishery Survey of India, all in Chennai; Offices of the Chief Post Master General (Karnataka Circle), Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways, Chandigarh; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for

बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

8.3 निम्न कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनकी अपनी प्रतिधारण समय सारणी है, ये हैं:— महाडाकपाल का कार्यालय, (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर एवं बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री, चेन्नई।

8.4 वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अभिलेख प्रतिधारण समय-सारणी का अनुपालन कर रहे हैं।

8.5 जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विधिक नियमों इत्यादि का संबंध है, उन संगठनों जिन्होंने इस संबंध में सूचना भेजी है, उनमें से निम्न ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेखों के लिए प्रतिधारण सारणी तैयार कर ली है। ये हैं— नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट; गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुम्बई; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई; इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि., और पॉवर फाईनैस कारपोरेशन लि., दोनों दिल्ली में; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम।

8.6 निम्न लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। ये हैं: पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि., शिलांग; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; मजगांव डाक लि., हैदराबाद; नेशनल लघु उद्योग कारपोरेशन लि., नई दिल्ली; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई ने सूचित किया कि वे कंपनी अधिनियम के अनुसार अभिलेख प्रतिधारण सारणी का पालन कर रहे हैं।

8.7 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे अभिलेखों के प्रतिधारण समय सूची का कार्य अपने प्रस्ताव के अनुसार कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर अपने अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची का कार्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के निर्देशों के अनुसार कर रहा है।

8.8 भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग; प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, चेन्नई ने सूचित किया है कि अभिलेखों की प्रतिधारण सारणी उन पर लागू नहीं होती है।

8.9 निम्न संगठनों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची को पूरा करने का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया है:— नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली; गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली; नारियल विकास बोर्ड, कोची; भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली; भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद।

8.10 भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने अभिलेखों के प्रतिधारण समय सूची के संकलन के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है।

8.11 इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है।

Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Project Evaluation Offices, Ahmadabad; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.

8.3 The following offices have informed that they have their own Retention Schedule. These are: Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar and BCG Vaccine, Chennai.

8.4 Department of Commerce, New Delhi has informed that they are following the Records Retention Schedule issued by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi.

8.5 As regards Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc., following organizations have furnished information in this regard that they have prepared Retention Schedule for records. These are: Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Goa Shipyard Limited, Goa; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai; North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong; National Aluminum Company Limited, Bhubaneswar; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Engineering Project (India) Limited and Power Finance Corporation Limited both in New Delhi; Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.

8.6 The following organizations have informed that they have initiated action for compilation of record retention Schedule, these are:- (North Eastern Electric Power Corporation, Shillong;) Bengal Chemical & Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Magazon Docks Limited, Mumbai; the National Small Scale Industries Corporation Limited, New Delhi. Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai mentions that their document retention policy mainly adheres to the rule and regulations laid down in the Companies Act and other applicable tax laws including retention of commercial records and documents, hence without consultation with National Archives of India.

8.7 Jawaharlal Nehru University, New Delhi have informed that they are following their own Resolution regarding period of preservation of records. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore is compiling their Retention Schedule under instructions of the Executive Council of the University.

8.8 Indian Institute of Management, Ahmadabad; STCL Limited, Bangalore; North Eastern Hill University, Shillong; Central Institute of Plastics Engineering & Technology have informed that the Compilation of Records Retention Schedule is not applicable to them.

8.9 Following organizations have informed that they have not yet started work on the completion of the Records Retention Schedule: Northern Coalfields Limited, Singrauli; Garden Reach Shipbuilder & Engineers Limited, Kolkata and Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, Indira Gandhi Uran Akademi, Rae Bareilly; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Coconut Development Board, the State Trading Corporation of India, New Delhi; Bharat Cooking Coal Limited, Dhandbad; National Aluminum Company Limited, Bhubaneswar; Central Electronics Limited, Ghaziabad.

8.10 Wildlife Institute of India, Dehradun is silent about compilation of Record Retention Schedule in their Organization.

8.11 IRCON International Limited, New Delhi has sent vague reply.

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा (6) (च) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 7 अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लिए अपने वर्गीकृत अभिलेखों को पांच वर्षों में एक बार समीक्षा को अनिवार्य बनाता है ताकि इनकी श्रेणी को कम किया जा सके। इन उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए दिनांक 10 अप्रैल, 2008 को परिपत्र से 16-12.क/2008 आर.एम सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को जारी किया गया था। इस संबंध में प्राप्त हुए उत्तर उत्साहवर्धक नहीं हैं क्योंकि केवल 111 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों आदि ने उत्तर दिया है। प्राप्त की गई सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया है।

9.1 निम्न मंत्रालयों/कार्यालयों जिन्होंने अपने विवर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत किया है, वे हैं:- पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली; योजना आयोग; प्रधान मंत्री कार्यालय; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोवा; डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, कोचीन; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर; नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग संगठन, (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग); महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली; नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेज, इलाहाबाद; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई।

9.2 निम्न संगठन जो वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं/जिनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं या जिन्होंने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं, ये हैं:- खान मंत्रालय; गृह मंत्रालय; पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय; उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय नई दिल्ली; विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (कर्नाटक सर्किल), बंगलोर; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; जूट आयुक्त का कार्यालय; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, (हिमाचल प्रदेश सर्किल), शिमला और (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय - बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग चंडीगढ़; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत), चिपलिमा, संबलपुर, (उड़ीसा) और सूरतगढ़ (राजस्थान); नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; आयकर आयुक्त (अपील-XXIV) का कार्यालय, नई दिल्ली; व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, सेकेन्डरी एवं हायर एजुकेशन विभाग, कोलकाता; केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।

DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

De-classification of classified records is one of the important aspects of records management. Section 6(1) (f) of Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997, lay down that all records creating agencies falling within the purview of said Act, shall review their all classified files once in five years with a view to downgrading them. In order to implement these provisions, circular letter No. 16-12A/2008-RM, dated 10 April 2008 was issued to all records creating agencies. Replies received in this regard are not encouraging as only 111 Ministries/ Department/ Offices/ Public Sector Undertakings statutory Bodies etc. have responded. A detailed analysis of the information received is given below.

9.1 The following Offices who have de-classified their classified records are: Ministries of Environment and Forests, Defence, Water Resources, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board); Planning Commission, Prime Minister's Office, Department of Information & Technology, Ministry of Communication & IT; Office of the Commissioner of Central Excise, Panaji, Goa; Department of Posts, Ministry of Communication & IT, Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour works, Port Blair; National Atlas & Thematic Mapping Organization (Department of Science & Technology), Office of the Directorate General, CRPF, National Academy of Sciences, Allahabad, Central Board of Film Certification, Mumbai,.

9.2 The organizations who are not doing De-classification of classified records/ do not have classified records or given vague replies are: Ministries/ Departments of Mines, Home Affairs, Shipping, Road Transport and Highways, Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Disinvestment, Ministry of Defence, Departments of Commerce, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi, Air Headquarters (VB), New Delhi, Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore, National Film Archive, Pune, Office of the Jute Commissioner, Kolkata; Office of the Chief Post Master General, Karnataka Circle (Bangalore), H.P. Circle (Shimla) and Orissa Circle (Bhubaneswar); Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways, Chandigarh; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); Chiplima, Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Office of the Salt Commissioner both in Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), XXIV, New Delhi; Board of Practical Training, Eastern Region, Department of Secondary & Higher Education, Kolkata; Central Pension Accounting Office, Department of Expenditure, Ministry of Finance; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur and Project Evaluation Offices, Ahmadabad; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow, Fishery Survey of India, Mumbai, Office of the Engineer Liason Officer, Department of Road Transport & Highways, Raipur, Forest Survey of India, Dehradun.

9.3 इस संबंध में लोक उपक्रमों/निगमों/वैधानिक निकायों आदि से प्राप्त सूचना का विश्लेषण इस प्रकार है। दो संगठनों ने सूचित किया है कि वे फाइलों का विवर्गीकरण कर रहे हैं। नौ ने सूचित किया है कि वे इसे नहीं कर रहे हैं। ग्यारह संगठनों ने सूचित किया है कि ये उन पर लागू नहीं हैं जबकि 12 संगठनों ने शून्य सूचना भेजी है और जबकि 1 संगठन ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है, अन्य चुप है।

9.4 दो संगठन जिन्होंने सूचित किया है कि वे विवर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं, वे हैं:- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई, ने सूचित किया है कि विवर्गीकरण का कार्य कंपनी एक्ट/टैक्स लॉज के अनुसार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि., शिलांग भी अभिलेखों का विवर्गीकरण कर रहा है।

9.5 गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता ने सूचित किया है कि चूंकि उनके ज्यादातर अभिलेख रक्षा उत्पादन से संबंधित हैं इसलिए ये अभिलेख वर्गीकृत हैं और उन्हें ऐसा बनाये रखना है। मजगांव डाक लि., हैदराबाद ने सूचित किया है कि उनकी वर्गीकृत फाइलों का नियंत्रण एवं रखरखाव जल सेना द्वारा किया जा रहा है।

9.6 अन्य संगठन जो कि अभिलेखों के विवर्गीकरण का कार्य नहीं कर रहे हैं, वे हैं:- जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली; भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली; नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम; नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद।

9.7 संगठनों की एक अन्य श्रेणी यह महसूस करती है कि यह उन पर लागू नहीं है। ये हैं:- इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुम्बई; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.; प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली; इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि, गोलाघाट; भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा; नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग; नारियल विकास बोर्ड, कोची; इंडियन सिक्वोरिटी प्रेस, नासिक रोड।

9.8 निम्न संगठनों ने शून्य रिपोर्ट भेजी है:- जैम एण्ड ज्युलियरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन लि., दोनों मुम्बई में; जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली; पॉवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली; केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर; प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, चेन्नई; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर; एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल।

9.9 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है।

9.10 न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन लि., मुम्बई ने सूचना दी है कि उनके पास केवल एक वर्गीकृत फाइल है।

9.11 प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली सूचित करता है कि उनके अभिलेख बुनियादी तौर पर वाणिज्यिक प्रकृति के हैं जो कि व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित हैं और वर्गीकृत प्रकृति के नहीं हैं।

9.3 The analysis of information received from Public Sector Undertakings/ Corporations/ Statutory Bodies etc. in this regard is as follows. In all, two organizations have intimated that they are doing declassification of files. Nine have informed that they are not doing it. Eleven organizations have intimated that it is not applicable to them and twelve Organizations have sent nil reports. One has sent a vague reply, others are silent.

9.4 Two organizations that have intimated that they are doing the de-classification of files are: the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai has informed that declassification is carried out as per Company Acts/ Tax Laws, the North Eastern Electric Power Corporation, Shillong, is also declassifying the files.

9.5 Garden Reach Shipbuilder and Engineers Limited, Kolkata has informed that as many of their old records relate to Defence production, these records are classified and are to be retained. Mazagon Docks Limited, Mumbai has informed that the Navy controls and maintains all its classified files.

9.6 Other organizations who are not attending to declassification of records are: Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India; State Trading Board; both in New Delhi; National Hydroelectric Corporation Limited, Faridabad; Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam; Neyveli Lignite Limited, Neyveli; National Aluminum Company Limited, Bhubaneswar; Central Electronics Limited, Ghaziabad.

9.7 The other category of Organizations who feel that it is not applicable to them are- Indian Institute of Geomagnetism, Mumbai; National Small Industries Corporation Limited; Project Equipment Commodities; IRCON International Ltd; all in New Delhi; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Goa Shipyard Ltd, Goa; North Eastern Hill University, Shillong; Coconut Development Board, Koshi; India Security Press, Nasik.

9.8 The following organizations have forwarded 'nil' reports- the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Nuclear Power Corporation of India, both in Mumbai; Tribal Cooperation Marketing Development Federation of India Ltd, Delhi; Power Corporation of India, New Delhi; Central Board of Workers, Nagpur; Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Chennai; Bharat Dynamics Ltd, Hyderabad; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Indian Institute of Management, Ahmadabad; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, STCL Ltd, both in Bangalore; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly and Indian Institute of Forest Management, Bhopal.

9.9 The National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow has sent a vague reply.

9.10 The Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai has informed that it has only 1 file of this nature.

9.11 Project Equipment Commodities, New Delhi informs that their records are primarily of commercial nature relating to their business activities and not of classified nature.

निष्क्रिय आयोग/समितियां

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) के साथ पठित धारा 3(2) के अनुसरण में, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के अन्तरण से संबंधित सूचना एकत्र करने के प्रयास जारी रखे ताकि उन्हें वैज्ञानिक ढंग से संरक्षित किया जाए और उन्हें अनुसंधान कर्ताओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाए। कहना न होगा कि ऐसे निष्क्रिय निकायों के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें निहित सूचना उन परिस्थितियों को समझने के लिए, जिनमें उनका गठन किया गया, और उनके द्वारा किए गए कार्य को जानने के लिए स्त्रोत-सामग्री का काम करती है। इस संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 10 अप्रैल 2008 को परिपत्र सं. 16-5/2008 आर एम जारी किया। केवल 111 मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि ने सूचना भेजी है। इनमें से 56 सरकारी संगठन हैं और 55 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

10.1 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों की सूचना दी है लेकिन इन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थान्तरित करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

10.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों इत्यादि ने शून्य रिपोर्ट भेजी है या ये उन पर लागू नहीं हैं। ये हैं:- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो, (खान मंत्रालय), नागपुर; डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग(ओ.एण्ड एम अनुभाग), पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; योजना आयोग; प्रधानमंत्री कार्यालय; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (कर्नाटक सर्किल), बंगलोर; भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, देहरादून; केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; अधीक्षक अभियंता का कार्यालय, पोत परिवहन विभाग, नई दिल्ली; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, (हिमाचल प्रदेश सर्किल), शिमला; सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग), नई दिल्ली; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, कृषि मंत्रालय, मुंबई; वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग संगठन; रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

DEFUNCT COMMISSIONS/ COMMITTEES

In pursuance of Section 3(2) (n) read with Section 6(1) (I) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information in respect of transferring of records of defunct bodies with a view to preserve them in a scientific manner and to make them available for consultation by the researchers. Needless to mention here that the records of such defunct bodies are very important as information contained therein will be source material for understanding the circumstances under which these were set up and work accomplished by them. To collect information in this regard, National Archives of India issued circular letter No. 16-5/2008-RM, dated 10 April 2008, to all records creating agencies. In all 111 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. have furnished information. Out of these 56 are Government organizations and 55 are Public Sector Undertakings. Detailed analysis of information received is indicated below.

10.1 Ministry of Water Resources, Department of Shipping, Road Transport and Highways, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways; Department of Posts, Ministry of Communication and IT; Department of Disinvestment, Ministry of Finance, New Delhi have informed that they have records of defunct bodies. They have, however, not proposed to transfer them to the National Archives of India.

10.2 The following Ministries/ Departments/ Offices etc. have given 'nil' report or 'not applicable to them': Ministry of Environment and Forests; Office of the Directorate General, CRPF (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Department of Posts, Ministry of Communication & Information Technology, New Delhi; Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, New Delhi; Ministry of Defence, New Delhi; Ministry of Water Resources, New Delhi; Prime Minister's Office, New Delhi; Planning Commission, New Delhi; Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore, Department of Posts; Forest Survey of India, Ministry of Environment & Forests, Dehradun; Ministry of Finance, Department of Expenditure, Central Pension Accounts Office, New Delhi; Office of the Superintending Engineer, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Shipping), New Delhi; Office of the Chief Post Master General, H.P. Circle, Department of Posts, Shimla; Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, New Delhi; Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Shipping); Fishery Survey of India, Ministry of Agriculture, Fisheries, Mumbai; Air Headquarters, New Delhi; National Atlas & Thematic Mapping Organization, Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers, New Delhi; Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry; Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; Central Board of Film Certification, Mumbai; Office of the Engineer Liaison Officer, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways), Raipur; Department of Disinvestment, Ministry of Finance.

10.3 इस संबंध में कुल 26 लोक उपक्रमों/समितियों/निगमों आदि ने उत्तर दिया जिनमें से एक ने 'शून्य' सूचना भेजी, जबकि 8 संगठनों ने सूचित किया कि ये उन पर लागू नहीं होता, जबकि बाकी 17 ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय संगठनों के अभिलेख नहीं हैं ।

10.4 भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद ने निष्क्रिय संगठनों के अभिलेखों के बारे में 'शून्य' सूचना भेजी है ।

10.5 निम्न संगठनों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता :- जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ और अपर यमुना रिवर बोर्ड, दोनों नई दिल्ली में; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., और मजगांव डाक लि., दोनों मुंबई में; प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान और एस.टी.सी.एल. लि., दोनों बंगलौर में; गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता; गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; नारियल विकास बोर्ड, कोची; नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग ।

10.6 निम्न संगठनों ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय संगठनों के अभिलेख नहीं हैं । ये हैं:- भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली; नेशनल लघु उद्योग कारपोरेशन लि., नई दिल्ली; पॉवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली; इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुंबई; हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर; भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि, नागपुर; नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली; भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि., शिलांग ।

10.3 In all twenty-six Public Sector Undertakings/ Committees/ Statutory Bodies/ Corporations etc. responded in this regard. Out of which one has furnished Nil report, eight organizations have intimated that it is not applicable to them, while the remaining seventeen have informed that they do not have records of defunct bodies.

10.4 Bharat Cooking coal Limited, Dhanbad has furnished NIL regarding records of defunct bodies.

10.5 Following organizations have informed that it is not applicable to them- Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited; Upper Yamuna River Bed; both in New Delhi; Hindustan Petroleum Corporation Limited; Mazagon Docks Limited; both in Mumbai; Central Institute of Plastics Engineering & Technology; STCL Limited; both in Bangalore; Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd., Kolkata; Goa Shipyard Ltd. Goa; Indira Gandhi Rashtirya Uran Akademi, Rae Bareli; Coconut Development Board, Kochi; North East Hill University, Shillong.

10.6 The following organisations have intimated that they do not have any records of defunct bodies. These are the State Trading Corporation Ltd.; the National Small Industrial Corporation Ltd.; Power Finance Corporation Ltd.; all in New Delhi. Indian Institute of Geomagnetism, Mumbai; Hindustan Salts Ltd., Jaipur; Wild Life Institute of India, Dehradun; Chennai Petroleum Corporation of India, Chennai; Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam; Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad; Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur; Northern Coalfields Ltd., Singrauli; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli; Indian Institute of Management Ahmadabad; North Eastern Electric Power Corporation Ltd. Shillong.

अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्यवाई

राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के तहत निर्धारित एक सांविधिक अपेक्षा है क्योंकि इससे अनावश्यक अभिलेखों का नष्ट करके जरूरी शेल्फ स्थान की बचत करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, इस प्रकार बना शेल्फ स्थान नए अभिलेखों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वही दूसरी ओर स्थायी स्वरूप के अभिलेखों को अभिलेखागार में स्थायी संरक्षण के लिए अंतरित किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परिपत्र सं. 16-12क/2008 आर एम दिनांक 10 अप्रैल, 2008 जारी किया गया था ताकि इस संबंध में उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाई का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त परिपत्र के उत्तर में 111 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना भेजी है। ब्यौरा निम्नानुसार है :-

11.1 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों जिन्होंने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये हैं:- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; गृह मंत्रालय; योजना आयोग; प्रधान मंत्री कार्यालय; रसायन और पेट्रोरसायन विभाग; वाणिज्य विभाग; डाक विभाग; सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग; सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग; आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय सभी नई दिल्ली में; तंबाकू विकास निदेशालय, और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, चेन्नई; जूट आयुक्त का कार्यालय; भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय दोनों कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, मुंबई; मुख्य माहाडाकपाल का कार्यालय (कर्नाटक मण्डल), बंगलोर और (उड़ीसा मण्डल) भुवनेश्वर; टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, कोचीन; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मारमागांव, गोवा; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम; महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली; नेशनल एटलस एण्ड थिमेटिक मैपिंग संगठन, कोलकाता; नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेज, इलाहाबाद; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई।

11.2 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने शून्य सूचना भेजी है। ये हैं:- पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; खान मंत्रालय; गृह मंत्रालय; उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली; विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; भारतीय मौसम विभाग; वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (कर्नाटक सर्किल), बंगलोर; आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, (हिमाचल प्रदेश सर्किल), शिमला, और (उड़ीसा मण्डल), भुवनेश्वर; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवन्नतपुरम; अधीक्षक अभियंता का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, चण्डीगढ़; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of Non-current records of the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings in consultation with the National Archives of India, is a statutory requirement as stipulated under Section 6(1)(c) of the Public Records Act, 1993 as it helps in saving precious shelf space by destroying records of ephemeral value. Further, on the one hand shelf space thus created can be utilized for storing fresh accrual of records, on the other hand records of permanent nature could be transferred to the Archival repository for permanent preservation. Keeping in view the above said provision, a circular letter No. 16-12A/2008-RM, dated 10 April 2008 was issued to all Records Creating Agencies so as to ascertain the extent of action initiated by them in this regard. In response to the above said circular 111 Ministries/ Departments/ Office and Public Sector Undertakings have furnished information. Details are as under: -

11.1 The following Ministries/ Departments/ Offices who have informed that they are conducting appraisal of Non-current records in consultation with National Archives of India. These are: Ministries of Information and Broadcasting; Railways (Railway Board); Defence; Environment and Forests; Shipping, Road Transport and Highways; Water Resources; Home Affairs; Planning Commission; Prime Minister's Office; Departments of Chemicals and Petrochemicals; Commerce; Posts; Road Transport and Highways; Information & Technology; Directorate General of Supplies and Disposals; all in New Delhi; Directorate of Tobacco Development and Fishery Survey of India, Chennai; Office of the Jute Commissioner and Government of India Stationery Office, both in Kolkata; Offices of the Commissioner of Central Excise, Mumbai; Office of the Post Master General (Karnataka Circle), Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin; Central Drugs Standard Control Organization (North Zone), Ghaziabad; Port Health Organization, Marmagao, Goa; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam; Office of the Directorate General, CRPF, New Delhi; National Atlas & Thematic Mapping Organization, Kolkata; National Academy of Sciences, Allahabad; Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; Central Board of Film Certification, Mumbai.

11.2 These following Ministries/ Departments/ Offices have sent 'Nil' reports. These are: Ministries of Shipping, Road Transport and Highways; Mines; Department of Fertilizers; Ministry of Chemicals & Fertilizers; Department of Disinvestment; Ministry of Defence; Departments of Commerce, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi; India Meteorological, Road Transport & Highways; Air Headquarters, New Delhi; Office of the Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore; National Film Archive, Pune; Office of the Jute Commissioner, Kolkata; Office of the Chief Post Master General (Karnataka Circle) Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar and (H.P. Circle), Shimla; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways, Chandigarh; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod

(जिला सूरत); केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान); केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलामा, संभलपुर (उड़ीसा); केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन), गाजियाबाद; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; आयकर आयुक्त (अपील-XXIV) का कार्यालय, नई दिल्ली; व्यवहारिक प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वी क्षेत्र, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, कोलकाता; केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, भुवनेश्वर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून ।

11.3 निम्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में सकारात्मक सूचना दी है। ये हैं—चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई; न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर; नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली; केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स लि., गाजियाबाद; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता ।

11.4 निम्न संगठन अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन का कार्य नहीं कर रहे हैं :- भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., पॉवर फाईनेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, इरकॉन इंटरनेशनल लि., सभी नई दिल्ली में; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम; भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद; जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली में और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ ।

11.5 निम्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचित किया है कि अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन का उपबंध उन पर लागू नहीं होता - नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली ।

(District Surat); Chiplima, Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Central Drugs Standard Control Organization(North Zone), Ghaziabad; Regional Office of Department of Road Transport and Highways; Office of the Salt Commissioner both in Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), XXIV, New Delhi; Board of Practical Training, Eastern Region, Department of Secondary & Higher Education, Kolkata; Central Pension Accounting Office, Department of Expenditure, Ministry of Finance; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur and Project Evaluation Offices, Ahmadabad; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow; Fishery Survey of India, Mumbai; Office of the Engineer Liason Officer; Department of Road Transport & Highways, Raipur; Forest Survey of India, Dehradun.

11.3 The following Public Sector Undertakings have furnished positive report about appraisal on non-current records: Chennai Petroleum Corporation Ltd., Chennai; New Mangalore Port Trust, Mangalore; Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli; Central Electronics Ltd., Ghaziabad; National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Kolkata.

11.4 The following organizations are not appraising the non-current records: the State Trading Corporation of India; Power Finance Corporation Ltd.; IRCON International Ltd.; all in New Delhi; Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam; Bharat Cooking Coal Ltd., Dhanbad; Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad and Tribal Cooperative Marketing Federation of India Ltd., New Delhi and the National Handloom Development Ltd., Lucknow.

11.5 Following Public Sector Undertakings/ Organizations have reported that appraisal of records is not applicable to them: North Eastern Hill University, Shillong, National Aluminum Company Ltd., Bhubaneswar and Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly.

संगठनात्मक इतिहास

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) में यह निर्धारित किया गया है, कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपना संगठनात्मक इतिहास संकलित करना चाहिए क्योंकि यह वर्षों से सृजित अभिलेखों का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक साधन है। इस लेख में उसकी स्थापना, कार्य, विभिन्न स्कंधों प्रभागों इत्यादि के विकास के बारे में सूचना होनी चाहिए। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को परिपत्र सं. 16-2/2008 आर एम दिनांक 10 अप्रैल 2008 जारी किया जिसमें उनसे उनके संगठनात्मक इतिहास को संकलित करने के लिए उनके द्वारा सन् 2007 में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि से प्राप्त उत्तर नीचे सार में दिया गया है।

12.1 निम्न कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके संगठनों का इतिहास संकलित किया गया है और उसकी एक प्रति भेजी है। ये हैं:- पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली; वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; पोत परिवहन विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली; भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली; वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून; महानिदेशालय दीप स्तंभ दीप पोत, नोएडा; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, (पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय), अंडमान; रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली।

12.2 ऐसे कार्यालय, जिन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है वे हैं:- रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; डाक विभाग, नई दिल्ली; श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (कर्नाटक मण्डल), बंगलोर; आयकर आयुक्त (अपील); केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, कृषि मंत्रालय, मुंबई; उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली; नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग संगठन, नई दिल्ली; जूट आयुक्त का कार्यालय; कपड़ा मंत्रालय, कोलकाता; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे।

12.3 निम्न ऐसे संगठन हैं जिन्होंने सूचित किया है कि उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन का कार्य चल रहा है। ये हैं- योजना आयोग, नई दिल्ली और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

12.4 डाक विभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके विभाग का स्थापना प्रभाग इस विषय से संबंधित कार्य करता है।

ORGANISTIONAL HISTORY

Section 6 (1)(I) of the Public Records Act, 1993 stipulates that each records creating agency shall compile its organizational History, as it is an essential tool for having proper appreciation of the nature of records generated by it over the years. This write up should include the information about its setting up, functions, growth of different wings, division's etc. National Archives of India accordingly issued circular letter No. 16-2/ 2008 RM dated 10 April 2008 to all Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. requesting them to furnish the information in regard to the action taken by them during the year 2007 for compiling their organizational Histories. Response received from Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings etc. is summarized below:-

12.1 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that they have compiled organizational histories and submitted the copy of the same. These are: Ministry of Environment and Forests, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Department of Road Transport & Highways (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road, Transport and Highways), New Delhi; Central Water Commission, (Ministry of Water Resources); Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Heavy Industry, New Delhi; Forest Research Institute; Indian council of Forestry Research & Education, Dehradun; Department of Shipping, (Ministry of Shipping Road Transport & Highways), Directorate General of Light Houses & Lightships, Noida (U.P); Office of the chief Engineer & Administrator (Ministry of Shipping, Road Transport & Highways), Andaman, Ministry of Railways(Railway Board), Central Board of Film Certification (Ministry of Information and Broadcasting), New Delhi, .

12.2 The following Ministries/ Departments/ Offices, who have not compiled their Organizational Histories are: Ministry of Defence; Prime Minister's Office; Department of Posts; Ministry of Labour & Employment; Air Headquarters (VB) New Delhi; Chief Postmaster General, Karnataka Circle, Bangalore; Commissioner of Income Tax(APPEALS); Ministry of Finance, Department of Expenditure; Central Pension Accounts Office, New Delhi; Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Chennai; Fishery Survey of India, Ministry of Agriculture, Fisheries, Mumbai; Ministry of Chemical and Fertilizers, Department of Fertilizers, New Delhi; Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi; National Atlas & Thematic Mapping Organization, New Delhi; Office of the Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Kolkata; National Film Archive, Pune.

12.3 These are organizations who have informed that the compilation of their organizational history is in progress. These are: Planning Commission, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi

12.4 Department of Posts, New Delhi has informed that Establishment Division of their Department is concerned with the subject.

12.5 निम्नलिखित 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / समितियों / निगमों / आयोगों ने अपने संगठनात्मक इतिहास की प्रतियां भेजी हैं— जल एवं उर्जा परामर्शी सेवाएँ, (वापकोस); नेशनल लघु उद्योग-कारपोरेशन लि., नई दिल्ली; प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, चेन्नई; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई; न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर; एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई; चेन्नई टैरिफ अथॉरिटी फार मेजर पोर्ट्स; भारतीय जहाजरानी निगम लि., मुंबई; अपर यमुना रिवर बोर्ड, नई दिल्ली; गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा; मर्मागाओ पत्तन न्यास, गोवा; टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोरिन; कांडला पत्तन न्यास, कच्छ; सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लि., चेन्नई; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, दोनों विशाखापत्तनम में; नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद ।

12.6 मुंबई पत्तन न्यास ने विवरणिका भेजी है ।

12.7 ऐसे तीन संगठन हैं जिन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर लिया है। ये इस प्रकार हैं :- गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता; एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर और बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता ।

12.8 निम्न ने सूचित किया है कि उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन का कार्य प्रगति पर है:- इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुम्बई; पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि.; नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, दोनों शिलांग में; भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून; प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कारपोरेशन लि., नई दिल्ली; भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ ।

12.9 नार्दन कोलफील्ड लि. सिंगरौली, इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली; राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., नई दिल्ली में; केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद; भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद ने सूचित किया कि ये उपबंध उन पर लागू नहीं होते हैं ।

12.10 निम्न 2 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं। ये हैं: जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली और भारत डायनैमिक्स लि. हैदराबाद ।

12.5 The following 21 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies/ Committees/ Corporations/ Commissioner, have furnished copies of their organizational histories - Water and Power Consultancy Services, The National Small Industries Corporation; both in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Chennai; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai; New Mangalore Port Trust, Mangalore; Ennore Port Trust, Chennai Tariff Authority for Major Ports; The Shipping Corporation of India Limited; all in Mumbai; Upper Yamuna River Board(Head Quarters in National Capital Region); Goa Shipyard Limited, Vaco-Da-Gama; Mormugao Port Trust, Goa; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Kandla Port Trust, Kutch; Sethusamundram Corporation Ltd., Chennai; Visakhapatnam Dock Labour Board and Visakhapatnam Port Trust, both in Visakhapatnam; Neyvelli Lignite Corporation Ltd., Neyvelli; Paradip Port Trust, Paradip; Indian Institute of Forest Management, Bhopal; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad.

12.6 The Mumbai Port Trust has sent their brochure.

12.7 The 3 Public Sector Undertakings which have informed that they have compiled their organizational history are: Garden Reach Ship Builder and Engineers Ltd., Kolkata; STCL, Bangalore; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals, Kolkata.

12.8 The following have informed that the compilation of their organizational history is in progress; Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai; North Eastern Electric Power Corporation Limited; North Eastern Hill University; both in Shillong; Wildlife Institute of India, Dehradun; Project Equipment Commodities Limited; the State Trading Corporation of India Limited; National Handloom Development Corporation Limited; all in New Delhi.

12.9 Northern Coalfields Limited, Singrauli; IRCON International Limited, New Delhi; National Buildings Construction Corporation Limited, Central Electronics Limited, Sahibabad; Indian Institute of Management, Ahmadabad have intimated that this provision is not applicable to them.

12.10 The following two Organizations have sent vague replies. These are: Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

‘क’ श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग

अभिलेख सर्जक एजेंसियों की अभिरक्षा में रखे “क” श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग के कार्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को परिपत्र सं. 16-6/2008 आर एम दिनांक 10 अप्रैल 2008 जारी किया जिसमें उनसे यह मामला उनके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों और उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया गया था ताकि वे इस विभाग को अपेक्षित सूचना भेज सकें। संदर्भाधीन अवधि के दौरान कुल 15 संगठनों ने सूचना भेजी है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

13.1 भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके पास संपत्ति से संबंधित लगभग 40,000 फाइलें हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय में 115 फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोफिल्मिंग के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट किया जाना है। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, वापी ने सूचित किया है कि उनके पास 18 भवन एवं वाहन किराया समझौते हैं। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, वाडोदरा और सूरत-1 ने सूचित किया है कि उनके पास कमशं 27 और 5 फाइलें हैं जिन्हें प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए स्थाई रूप से परिरक्षित करना है और इसलिए उनकी माइक्रोफिल्मिंग होनी चाहिए।

13.2 जल संसाधन मंत्रालय ने अपने अधीन सभी संगठनों को संबोधित पत्र प्रति अग्रेषित की है जिनमें क श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग के संबंध में सूचना सीधे राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, साथ ही इसकी सूचना मंत्रालय को भी देने को कहा है ताकि राष्ट्रीय अभिलेखागार उनकी माइक्रोफिल्मिंग के लिए कार्यक्रम तय कर सकें।

13.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधि निकाय/समिति/निगमों में से केवल मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर ने शून्य सूचना भेजी है, जबकि अन्य संगठनों ने प्रोफार्मा को विधिवत भरकर वापस नहीं भेजा।

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

To accelerate the work of Microfilming of 'A' Category records lying in the custody of records creating agencies, the National Archives of India issued a circular letter No. 16-6/2008-RM, dated 10 April 2008 to all Ministries/ Departments/ Offices of the Government of India with the request to bring the matter to the knowledge of their Attached/ Subordinate Offices and Public Sector Undertakings which are functioning under their control as this would enable them to furnish the requisite information to this Department. During the period under report, in all 15 organizations have furnished information, details of which are as under:-

13.1 Land & Development Office, Ministry of Urban Development, New Delhi has informed that their Office is having approximately 40,000 files relating to property. Prime Minister's Office, New Delhi has informed that their office is having 115 files, which are to be identified for microfilming purpose. Office of the Commissioner of Central Excise & Customs, Vapi has informed that they have 18 Building and Vehicle hire agreements. Office of the Commissioner of Central Excise & Customs, Vadodara and Office of the Commissioner of Central Excise & Customs, Surat, have informed that they have 27 and 5 files respectively which require permanent preservation for administrative purpose and as such should be microfilmed.

13.2 Ministry of Water Resources, New Delhi has forwarded a copy of letter addressed to all organizations under the Ministry to furnish due information in respect of microfilming of 'A' Category records directly to NAI under intimation to the Ministry to enable NAI to chalk out a programme to undertake their Microfilming.

13.3 Of the Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies/Committees/ Corporations, only Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur has sent a 'nil' report while other organizations did not send back duly filled-in proforma.

राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) के साथ पठित लोक अधिनियम नियमावली 1997 के विस्तारित नियम 5 के अनुसार अभिलेखागार महानिदेशक को मूल्यांकन करने के लिए और स्थायी प्रकृति के जमा किए गए अभिलेख जो 25 वर्ष से पुराने हैं और अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे हुए हैं को स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसी प्रकार अभिलेख अभिनियम 1993 की धारा 6 (1) (ग) के तहत प्रत्येक रिकार्ड ऑफिसर को 25 वर्ष पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके स्थायी महत्व के अभिलेखों की छटाई करके राष्ट्रीय अभिलेखागार में वैज्ञानिक परिरक्षण हेतु अंतरित किया जाना चाहिए।

14.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कुल 42,476 फाइलों को मूल्यांकित किया। इनमें से 3,304 फाइलों का प्रातिधारण के लिए अनुशंसित किया गया और 39,172 फाइलों को नष्ट करने को अनुशंसित किया गया।

14.2 जिन संगठनों के अभिलेखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित किया गया, इस प्रकार है: पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली (1976-82); पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (1952-81), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, (1964-82), मुंबई; केन्द्रीय अनुवीक्षण सेवाएं (1970-78), नई दिल्ली दोनों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय; पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहट (पहले की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला), (1960-82); भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय (1940-82); महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) का कार्यालय (1940-82), नई दिल्ली।

14.3 इसके अलावा, अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी जोन), पुदुचेरी ने चेन्नई क्षेत्र में स्थित चार सार्वजनिक उपक्रमों की 491 फाइलों (1960-82) का मूल्यांकन किया जिनमें से 122 फाइलों को प्रतिधारण के लिए अनुशंसित किया गया और 369 फाइलों को नष्ट करने के लिए अनुशंसित किया गया। इसके अतिरिक्त नेशनल टेस्ट हाउस चेन्नई के कार्यालय की 2,872 टेस्ट रिपोर्टों को प्रतिधारण के लिए अनुशंसित किया गया।

14.4 इसके अलावा अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने भी 4,227 फाइलों का मूल्यांकन किया। इनमें से 333 को प्रतिधारण के लिए और 3,894 फाइलों को नष्ट करने के लिए अनुशंसित किया गया। जिन कार्यालयों के अभिलेखों को मूल्यांकित किया गया वे हैं:- एन्थ्रोपॉलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कोलकोता (1946-1976), भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता (1914-1982)।

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS BY NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Under Section 3(2) of the Public Records Act, 1993 with the elaborate Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, the Director General of Archives has been authorized to undertake the appraisal and also accept for deposit public records of permanent nature. Similarly, Section 6 (1)(c) of the Public Records Act, 1993 also made the Departmental Records Officer responsible for appraisal of Public Records, which are more than twenty-five years old in consultation with National Archives of India with a view to identifying the records of permanent value for subsequent transfer to National Archives of India for scientific preservation.

14.1 During the period under report, the National Archives of India appraised 42,476 non-current records. Out of these 3,304 was recommended for permanent retention and 39,172 for destruction.

14.2 The organizations whose records were appraised by the officers of National Archives of India are: Ministries of Environment and Forest, New Delhi (1976-1982); Bureau of Police Research and Development (1952-1981)(Ministry of Home Affairs), New Delhi ; Central Board of Film Certification (1964-1982), Mumbai; Central Monitoring Services (1970-1978), New Delhi both under Ministry of Information and Broadcasting; North East Institute of Science & Technology, Jorhat (Formerly Regional Research Laboratory) (1960-1982); Office of the Comptroller and Auditor General of India (1940-1982), Office of the Accountant General (Audit) (1940-1982) Delhi.

14.3 Further, Record Centre (Southern Zone), Puducherry appraised 491 files of four PSUs located at Chennai region (1960-1982). Out of which 122 files were marked for permanent retention and 369 were marked for destruction. Besides, 2,872 test reports of the office of the National Test House, Chennai were marked for permanent retention.

14.4 In addition to the above, the Record Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar appraised 4,227 records. Out of these 333 files were marked for permanent retention and 3,894 files for destruction of the following offices: Anthropological Survey of India, Kolkata (1946-76); Government of India Stationery Office, Kolkata (1914-82).

संदर्भ माध्यम

संदर्भ माध्यम एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रशासनिक साधन है जिसे प्रत्येक संगठनों द्वारा अपनाए जाने की जरूरत है। तदनुसार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के धारा 3(2)(ड) में निर्धारित किए अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वस्तु-सूची, संसूची, तालिका के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखे अभिलेखों का उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के प्रयास जारी रखे ताकि अनुसंधान कर्ताओं और प्रशासकों के लिए तत्काल सूचना प्राप्त की जा सके।

15.1 (क) "अभिलेखों के संदर्भ माध्यम का कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम" के तहत, आउटसोर्सिंग द्वारा सैनिक/सैन्य विभाग की निम्नलिखित शाखाओं की 4,59,930 फाइलों की डाटा प्रविष्टि की गई:- सैनिक/सैन्य विभाग (1873-1963); सैनिक ब्रॉच ए.बी और सी (1800-1860); संपदा (1849-1860); संपदा पत्राचार (1826-1860); वर्क्स (1863-1906); आपूर्ति एवं परिवहन (1879-1909); वार ब्रॉच (1914-1917); वार डायरी (1942-1945); वार डायरी विविध (1778-1985); अप कंट्री (1837-1867); क्वार्टर मास्टर जनरल (1838-1850); सैन्य विविध (1875-1953); मेरीन ब्रॉच, बंगाल, मद्रास (1838-1937), और बोम्बे (1813-1892)।

(ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेखों के संदर्भ माध्यमों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को जारी रखते हुए, हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट (1755-1980), और केटलॉग ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट (1871-1888, 1801-1901) की 11,037 फाइलों की डाटा प्रविष्टि की गई।

(ग) निजी अभिलेख अनुभाग में जनरल के.एम.करिअप्पा सग्रहण पत्राचार की 5,383 प्रविष्टियों की गई।

(घ) रेप्रोग्राफी प्रभाग में उपलब्ध फोरेन एक्यूजिसन रजिस्टर, नं.1-4, प्राईवेट मिसलेनियस की 8,492 प्रविष्टियों की गई।

15.2 69,551 मुद्रित प्रविष्टियों के ऑनलाइन डाटा को आवश्यक जांच एवं सुधार के उपरान्त मान्यीकृत किया गया। अभिलेखाधिकारियों और आउटसोर्स किए गए डाटा मान्यकर्ताओं द्वारा सैनिक/सैन्य विभाग की निम्नलिखित शाखाओं की जांच की गई :- सैन्य संपदा (1854-1864), संपदा पत्राचार (1826-1860), सैन्य विभाग (1800-1957), अप कंट्री (1838), वार डायरी (1940), वार डायरी विविध (1848-1952), वर्क्स (1863), जल आपूर्ति (1891)।

15.3 ओरियन्टल रिकार्ड्स (ओ आर) प्रभाग ने निम्नलिखित संदर्भ माध्यम तैयार किया।

1. डिस्कटिव लिस्ट ऑफ पर्शियन कारसपोंडेंस खण्ड V (1806) : खण्ड अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।
2. डिस्कटिव लिस्ट ऑफ पर्शियन कारसपोंडेंस खण्ड VI (1806) : 175 पत्रों की विवरणात्मक सूची तैयार की गई।
3. डिस्कटिव लिस्ट ऑफ अक्वाइर्ड डाक्यूमेंट्स खण्ड VII (1851-70) : खण्ड के टंकण का कार्य पूरा हो गया है। आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए हैं। मसौदे में पुनः संशोधन का कार्य प्रगति पर है।

REFERENCE MEDIA

Reference Media is an important administrative tool, which needs to be undertaken by each and every organization. Accordingly, the National Archives of India as stipulated Section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993 continued its efforts to prepare suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogue of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

- 15.1 (a) Under the programme 'Computerization of Reference Media of Records', data entry of 4,59,930 files of the following branches of Military Department/ Army Department were completed through outsourcing: Military/ Army Department (1873-1963); Military Branch A, B & C (1800-1860); Estates (1849-1860); Estates Correspondence (1826-1860); Works (1863-1906); Supply & Transport (1879-1909); War branch (1914-1917); War Diaries (1942-1945); War Diaries Misc. (1778-1985); Up country (1837-1867); Quarter Master General (1838-1850); Military Misc. (1875-1953); Marine Branch of Bengal, Madras (1838-1937) and Bombay (1813-1892).
- (b) Continuing the work of computerization of reference Media of records in National Archives of India Data entry of 11,037 entries of Historical Department (1755-1980) and catalogue of Revenue Department (1871-1888, 1801-1901) were completed.
- (c) 5,383 entries of Gen. K.M. Cariappa collection correspondence was also completed in the Private Archives Section.
- (d) 8,492 entries of Foreign Acquisition Register, No.1-4, Private Misc in the possession of the Reprography Division, were also completed.

15.2 The online data validation of 69,551 printed entries were carried out for necessary checking and corrections. The record series of the Military/ Army Department of the following branches were checked : Military Estates (1854-1864); Estates Correspondence (1826-1860); Military Department (1800-1957); Up country (1838); War Diary (1940); War Diary Misc. (1848-1952); Works (1863); Water Supply (1891) by Archivist and outsourced Data Validators.

15.3 The Oriental Records (O.R.) Division has prepared the following reference media:

- (a) *Descriptive List of Persian Correspondence Vol. V (1806)* : The volume is under submission.
- (b) *Descriptive list of Persian Correspondence vol VI (1806)* : Descriptively listed 175 letters.
- (c) *Descriptive list of Acquired Document Vol VII (1851-70)*: Work of typing the volume has been completed. Necessary corrections have also been made. The work of re-correction in the draft is in progress.
- (d) *Catalogue of the Acquired Books*: 28 books received as gift were catalogued.

4. कॅटलाग ऑफ अक्वाइर्ड बुक्स : दान में प्राप्त 28 पुस्तकों की संदर्भ सूची तैयार की गई ।
5. कॅटलाग कार्ड्स ऑफ अक्वाइर्ड डाक्यूमेंट्स : अधिगृहित दस्तावेजों के 500 संदर्भ कार्ड तैयार किए गए ।
6. ओरियन्टल रिकार्ड्स (ओ आर) प्रभाग में पाण्डुलिपियों की माइक्रोफिश की चेक लिस्ट : 3577 माइक्रोफिश की जाँच की गई और चेकलिस्ट तैयार की गई ।

अषोब खण्ड ।। (हिन्दी) 116 उर्दू कविताओं (18 पुस्तिकाओं एवं पाठ के 151 एकल पन्नों से) का 261 फुलस्केप पन्नों में लिप्यन्तरण किया गया ।

उपरोक्त के अतिरिक्त ओ.आर. प्रभाग ने निम्नलिखित संग्रहणों को व्यवस्थित करने का कार्य भी प्रारंभ किया:-

(क) इनायत जंग संग्रहण के 6,300 दस्तावेजों का क्षेत्रीय वर्षों के अनुसार और

(ख) फोर्ट विलियम कॉलेज कलेक्शन (एफ.डब्ल्यू.सी.सी.) की 1,000 पुस्तकें ।

15.4 निजी अभिलेखागार अनुभाग ने के० एम० मुंशी और एन० संजीवा रेड्डी के पेपरो की माइक्रोफिल्म रोल्ल्स/रिकार्ड्स से 5,250 मदों/पत्रों की विषय सूची बनाई ।

15.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त, कार्टोग्राफिक प्रभाग ने भारत पाक राजस्व मानचित्र खण्ड 1 की संदर्भ सूची भी बनाई है । उपर्युक्त संदर्भ सूची के प्रकाशित किए जाने की संभावना है ।

- (e) Catalogue cards of the acquired documents: 500 catalogue cards of acquired document were prepared.
- (f) Checklist of microfiche of manuscripts and Books in OR Division: 3577 microfiche were checked and list prepared.

Ashob, vol. II (Hindi) Transliterated 116 Urdu Poems (From 18 booklets and 151 single pages of the text) in 261 foolscap pages.

In addition to the above the OR Division also took up arrangement of the following collections:-

- (i) 6300 documents of Inayat Jung collection according to regional years, and
- (ii) 1000 books of the Fort William College Collection (FWCC).

15.4 Private Archives section has prepared subject lists of 5,250 items/ letters of K.M. Munshi papers, N. Sanjiva Reddy papers from microfilm rolls/ records were subject listed.

15.5 In addition to above, Cartographic Division has prepared catalogue of Indo-Pak Revenue map Vol. I. The above mentioned Catalogue is likely to be published.

अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (ख) महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिनियम की परिधि में आने वाले समस्त अभिलेख सर्जक अभिकरणों से स्थायी स्वरूप के लोक अभिलेखों को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत करता है। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) भी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख की किसी निजी स्रोत से उपहार, खरीद या अन्य ढंग से स्वीकार्यता को भी विहित करती है। उपर्युक्त उपबंधों के अनुपालन में, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित लोक अभिलेख सीरीज और समस्त निजी पत्र अधिग्रहित किए हैं:-

16.1 संदर्भाधीन अवधि में राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त लोक अभिलेखों की अवाप्ति-अधिग्रहण का ब्यौरा इस प्रकार है : भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय की 1,724 फाइलें (1961-80)/निम्नलिखित मंत्रालयों की कुल 9,954 फाइलों की अधिप्राप्ति की गई। रेल (रेलवे बोर्ड) (1906-69); सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (1936-80), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (डाक विभाग) (1949-76), गृह मंत्रालय (1970-80); स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और 10 भारत-भूटान सीमा स्ट्रिप मानचित्रों की अधिप्राप्ति की गई।

16.2 उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार रिकार्ड केन्द्र (पूर्वी मंडल), भुवनेश्वर ने मुख्य खनन सलाहकार के कार्यालय, पूर्वी रेलवे, धनबाद की 579 फाइले (1806-1978); भारत सरकार लेखन-सामग्री कार्यालय, कोलकाता की 12 फाइलें (1914-64); पेटेंट एण्ड डिजाइन, कोलकाता की 2500 फाइलें (1961-66); और भारत के राजपत्र (1948-89) के 523 खण्ड की अधिप्राप्ति की।

16.3 सार्वजनिक रिकार्ड के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित भारतीयों के निजी दस्तावेजों (पेपरों) और विदेशों से भारतीय हित संबंधी रिकार्डों का अधिग्रहण करना भी जारी रखा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत:-

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार का निजी दस्तावेज संग्रहण श्री सी.के.नायर की डायरी (माइक्रोफिल्म) की अवाप्ति से समृद्ध हुआ। वह उन 78 सत्याग्रहियों में से एक थे जिन्होंने 1930 में साबरमती से दाण्डी तक की गाँधी जी की ऐतिहासिक पदयात्रा में भाग लिया था।
2. विदेशों से भारतीय विषयों की माइक्रोफिल्म (1828-1955):- एफ0 ओ सीरीज की 18 माइक्रोफिल्म रोल राष्ट्रीय अभिलेखागार (यू.के) से प्राप्त हुई है। ये इन विषयों से संबंधित हैं- भारतीय न्यायालयों की कार्य प्रणाली; मिशन सर्वेक्षक एवं ड्राफ्ट्समैन द्वारा तैयार किए गए सिन्ध एवं वहाँ के निवासियों के स्केच मैप; कैप्टन एच.जी.राबर्ट्स, चार्ल्स मैसन, काबुल, के पत्र; पॉटिंगर की रिपोर्टें; मद्रास विश्वविद्यालय और मद्रास तोपखाना; इंडियन कॉन्सुल जनरल, पुडुचेरी और उप उच्चायुक्त, मद्रास।

ACCESSIONS/ ACQUISITIONS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993, the Director General, National Archives of India is empowered to accept Public records of permanent nature from all the records creating organizations falling within the purview of said Act. Likewise, Section 11(1) of the said Act also stipulates about the acceptance of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. Keeping in view the above said provisions, the National Archives of India acquired the following series of Public records as well as private papers during the period under report.

16.1 Details of accessioning/ acquisition of Public Records from Records Creating agencies to National Archives of India during the period under report are: 1,724 files (1961-1980) of the Office of the Comptroller and Auditor General of India. Total number of 9954 files of following Ministries were accessioned: Ministry of Railways (Railway Board) (1906-1969), Ministry of Information & Broadcasting (1936-1980), Ministry of Communication & Information of Technology (Department of Posts) (1949-1976), Ministry of Home Affairs (1970-1980), Ministry of Health & Family Welfare and 10 India - Bhutan Boundary strip maps were accessioned.

16.2 In addition to above, the National Archives of India, Record Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar accessioned Public records. The Office of the Chief Mining Advisor, Eastern Railway, Dhanbad sent 597 files (1806-1978). 12 files (1914-1964) were received from the Government of India Stationery Office, Kolkata, 2,500 files (1961-66) and 523 volumes of the *Gazette of India* (1948-89) were also received from the Patent and Designs, Kolkata.

16.3 Besides Public Records, National Archives of India continued to acquire private papers of eminent Indians in various fields as well as of Indian interest from abroad. Under this programme: -

1. The private paper collection of National Archives of India was enriched with the accession of the Diary of Shri C.K. Nair:- One of the 78 Satyagrahis who participated in the historic march of Gandhiji from Sabarmati to Dandi in 1930 (in microfilm).
2. Microfilm of Indian interest from abroad (1828-1955):- 18 microfilm rolls of F.O. series have been received from the National Archives U.K. These rolls are relating to procedure in India courts; sketches of Sind and its inhabitants by the mission surveyor & Draughtsman; General letters; letters from Capt H.G. Roberts, Charles Masson at Kabul; also Pottinger's Reports; Madras University and Madras Artillery, Indian Counsel General, Puducherry and Deputy High Commissioner, Madras.

3. एल./पी जे/7 श्रृंखला (1930-47):- 19 माइक्रोफिल्म रोल ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन (यू.के.) से प्राप्त हुई हैं। ये इन विषयों से संबंधित हैं:- उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन की घटनाएं; सिलीगुडी टी एस्टेट; दुरांग जिला, आसाम, पर दंगे की रिपोर्ट; अंग्रेजी कपड़ों पर धरना और बहिष्कार से संबंधित संसदीय प्रश्न; भारतीय राज्य विधान परिषद, 1937 के लिए चुनाव; भारत में महिलाओं की स्थिति; इंडियन लिमिटेशन (संशोधन) कानून और कौंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए चुनाव ।

16.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार, रिकार्ड केन्द्र, भुवनेश्वर ने, उड़ीसा अनुसंधान परियोजना से संबंधित मौलिक पाण्डुलिपियों की अनुलेखित और लिप्यंतरित प्रतियों के 53 खण्ड अधिगृहीत किए । ये खण्ड हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी के ओरियन्टल कलेक्शन से प्राप्त किए गए ।

16.5 राष्ट्रीय अभिलेखागार, रिकार्ड केन्द्र, पुदुचेरी ने सार्वजनिक अभिलेखों की अधिप्राप्ति की । तम्बाकू विकास निदेशालय, चेन्नई ने 32 फाइलें (1955-1982) स्थानांतरित की ।

16.6 राष्ट्रीय अभिलेखागार, रिकार्ड केन्द्र, जयपुर ने राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे की 161 फाइलें (1963-1982) की अधिप्राप्ति की ।

3. L/PJ/7 Series (1930-1947):- 19 microfilm rolls have been received from the British Library, London, U.K. These relates to disobedience campaign events in N.W. Frontier Province; Report of a Riot on Siliguri Tea Estate; Durrang Distt. Assam; Parliamentary Questions concerning picketing and boycotting of British Cloth etc.; Shooting of Indians by British soldiers; Elections to Indian Provincial Legislature Council 1937, Status of women in India; The Indian Limitation (Amendment) Act; Elections to the Council of States.

16.4 National Archives of India, Record Centre, Bhubaneswar, acquisitioned 53 volumes of transcribed and transliterated copies of the original manuscripts procured from the Oriental collection of Orissa Research Project (ORP) held at the Heidelberg University, Germany.

16.5 The National Archives of India, Record Centre, Puducherry accessioned Public Records. 32 files were transferred by the office of the Directorate of Tobacco Development, Chennai (1955-1982).

16.6 The National Archives of India, Record Centre, Jaipur, accessioned 161 files (1963-1982) of the National Film Archive, Pune.

अभिलेख प्रतिधारण समय सूची की पुनरीक्षा

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (ग) में यह प्रावधान है कि अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को पांच वर्ष में एक बार सशोधित किया जाना अपेक्षित है ताकि नए विषय शीर्ष शामिल किए जा सकें जो पांच वर्ष की अवधि में संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों के बदलते और बढ़ते कार्यकलापों के कारण शामिल हो गए हैं। संदर्भाधीन अवधि में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 23 मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों के महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण सारणियों की पुनरीक्षा की है। विस्तृत सूचना नीचे दी गई है :

17.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण समय सूचियों की पुनरीक्षा के लिए उसी स्थान पर अध्ययन कार्य किया गया, रिपोर्टें पूरी की गईं और पुनरीक्षित अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को संबंधित संगठनों के पास कार्यान्वयन के लिए भेजा गया : केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई और नई दिल्ली (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); मुम्बई रेल विकास निगम लि., (रेल मंत्रालय), मुम्बई; रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), नई दिल्ली; इण्डियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लि., (संचार मंत्रालय), बंगलौर ।

17.2 अभिलेख केन्द्र, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर ने तीन कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण समय सूचियों की पुनरीक्षा की और उन्हें कार्यान्वयन के लिए भेजा। ये हैं:- एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, जूट विकास निदेशालय और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, सभी कोलकाता में ।

17.3 सेना मुख्यालय (रक्षा मंत्रालय) के डाइरेक्टोरेट ऑफ जनरल स्टॉफ शाखा, के उसी स्थान पर अभिलेख प्रतिधारण सारणियों का अध्ययन कार्य किया गया और रिपोर्टें अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों पर हैं।

VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS

Section 6(1)(e) of the Public Records Act, 1993 provides that the Records Officer shall be responsible for compilation of Records Retention Schedules in consultation with the National Archives of India. These Records Retention Schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new subject Heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the span of preceding five years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted records retention schedules of substantive functions of 23 Ministries/ Departments/ Offices during the period under report. Information in detail is indicated below:-

17.1 On the spot studies for vetting the Records Retention Schedules of the following Ministries/ Departments/ Offices were taken up, completed the reports and the vetted Records Retention Schedules were sent for implementation to the respective organizations:- Central Board of Film Certification Regional Offices both in Mumbai and New Delhi (Ministry of Information and Broadcasting); Mumbai Rail Vikas corporation Limited (Ministry of Railways) Mumbai; Department of Chemicals and Petrochemicals (Ministry of Chemicals & Fertilizers) New Delhi; India Telephone Industries Limited (Ministry of communication), Bangalore.

17.2 The Record Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar vetted the Records Retention Schedule of the 3 offices and sent them for implementation and these are:- Anthropological Survey of India; Directorate of Jute Development and Government of India Stationery Office, all in Kolkata.

17.3 On the spot study for vetting the Records Retention Schedule of the Directorates of General Staff Branch, Army Hqs (Ministry of Defence) were taken up, completed.

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) (झ) के तहत महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से यह अपेक्षित है कि वह अभिलेखों के सृजन, निपटान और उनके अर्ध-प्रचलित चरण के दौरान अभिलेख प्रबंधन के मानदंडों, तकनीकी और वैज्ञानिक संरक्षण के अनुप्रयोग के संबंध में सभी मंत्रालयों विभागों इत्यादि को परामर्श दें। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन कार्यों से संबंधित मामलों पर विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने के प्रयास जारी रखे।

18.1 अर्ध प्रचलित अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण को अभिलेख प्रबंधन का एक मुख्य कार्य मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मंत्रालयों/ विभागों कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया और उन्हें मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिए वही पर सलाह और मार्गदर्शन किया गया।

संदर्भाधीन अवधि में, राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने 7 संगठनों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया। ये हैं— पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड); रक्षा मंत्रालय; व्यय विभाग; भारी उद्योग विभाग सभी नई दिल्ली में और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई।

18.2 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उनके अनुरोध प्राप्त होने पर अभिलेख प्रबंधन के मामलों पर परामर्श देना जारी रखा। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सलाह दी गई: राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, दोनों संगठन भोपाल में स्थित हैं।

18.3 रिकार्ड केन्द्र, पुडुचेरी ने जिलाधीश व अतिरिक्त सचिव कार्यालय, पुडुचेरी सरकार को अभिलेख प्रबंधन कार्यों के बारे में सलाह दी।

18.4 अभिलेख केन्द्र, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर ने निम्नलिखित कार्यालयों को अभिलेख प्रबंधन कार्यों के बारे में सलाह दी:— भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता; खण्ड रेलवे प्रबंधक, ईस्ट कोस्ट रेलवे, थुन्डरा, कृत्रिमांग निर्माण निगम (ए.एल.आई.एम.सी.ओ.), भुवनेश्वर और स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुर्नवास प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, ओल्टापुर, कटक।

18.5 अभिलेख केन्द्र, जयपुर की अभिलेखाधिकारी ने नमक आयुक्त का कार्यालय का दौरा किया और विभागीय अभिलेख कक्ष के प्रबंधन पर सलाह दी।

18.6 विभिन्न रेपोग्राफिक सेवाओं के बारे में निम्नलिखित कार्यालयों को तकनीकी/ जानकारी मार्गदर्शन दिया गया:— निदेशक (टी.डी.), केन्द्रीय जल आयोग, तकनीकी प्रलेखन निदेशालय 502 (5); निदेशक (अभिलेख), दिल्ली राज्य अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार; वैज्ञानिक और संयुक्त निदेशक, प्रबंधन पद्धति, भारतीय

ADVISORY WORK

Under Section 3(2) (i) of Public Records Act, 1993, Director General, National Archives of India is required to render advice to all Ministries/ Departments etc. on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their Semi-Current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various records creating agencies on the matters related to records management activities.

18.1 Considering the upkeep and preservation of semi-current records as one of the prime areas of the records management, National Archives of India inspected the Departmental Records Rooms of various Ministries/ Departments/ Offices and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

During the period under report, the Departmental Records Rooms of seven organizations were inspected by the officers of the National Archives of India. These are: Ministry of Shipping, Road Transport and Highways; Ministry of Environment and Forests; Ministry of Railways (Railway Board); Ministry of Defence; Department of Expenditure; Department of Heavy Industries, all in New Delhi and Central Board of Film Certification in Mumbai.

18.2 Further, National Archives of India continued to render advice on the matters of Records Management to records creating agencies as and when such requests were received. Accordingly, advice on various aspects of records management was tendered by officers of National Archives of India to the following offices: National Institute of Technical Teachers Training & Research; Madhya Pradesh Waqf Board, both organizations are located at Bhopal.

18.3 The Records Centre (Southern Zone), Puducherry tendered advice to the Office of the Collector cum Additional Secretary, Government of Puducherry.

18.4 The Record Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar tendered advice to the Anthropological Survey of India, Kolkata; Divisional Railway Manager, East coast Railway, Thundra; Artificial Limb Manufacturing Corporation (ALIMCO), Bhubaneswar; Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Oltaipur, Cuttack.

18.5 The Archivist, Record Centre, Jaipur visited the Salt Commissioner Office and tendered advice on management of Departmental Records Room.

18.6 The Technical Information/ Guidance on the various Reprographic services were also given to the following organization: Director (TD), Central Water Commission, Technical Documentation Directorate; Director (Archives) Department of Delhi Archives, Government of NCT; Scientist & Joint Director, Management System, Bureau of Indian Standards; Assistant Director (M), Archaeological Survey of India; Director, Office

मानक ब्यूरो; सहायक निदेशक (एम), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण; निदेशक, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय; पुस्तकालयाध्यक्ष और प्रमुख (के.एन.) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, तीन मूर्ती हाउस, सभी दिल्ली में स्थित ।

एसोसिएट महानिदेशक (अकादमी), आर्काइव्स एण्ड रिसर्च सेन्टर फॉर एथनोम्यूजिकोलॉजी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया स्टडीज, गुड़गांव को भी परामर्श दिया गया । निदेशक—प्रभारी, संग्रहालय निदेशालय, असम, गुवाहाटी; निदेशक, अभिलेख विभाग, पंचकुला, हरियाणा; निदेशक, अभिलेख निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई; प्रधान आयुक्त, अभिलेख एवं ऐतिहासिक अनुसंधान, तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार, चेन्नई और सहायक सचिव, (अभिलेख), अण्डमान एण्ड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर ।

18.7 उपरोक्त के अतिरिक्त, श्री बी.सी. मजूमदार और श्री जगमोहन सिंह, दोनों माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने 'रैप्रोग्राफिक तकनीकियाँ' पर लगातार दो दिन एल.एन.जे.पी. राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रशिक्षुओं को व्याख्यान दिए ।

18.8 उपरोक्त के अतिरिक्त, श्री एन.एस.मणि, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट, ने नेशनल कौंसिल ऑफ आर्किविस्ट की शिमला में हुई 43वीं मीटिंग में "अभिलेखागार में इलेक्ट्रानिक रिकार्ड्स: परिरक्षण के लिए एक चुनौती" विषय पर एक पेपर प्रस्तुत किया ।

18.9 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, गुड़गांव, में "अभिलेखागार और संग्रहालय में फोटोग्राफिक पेपर्स और फाइलों का परिरक्षण" विषय पर आयोजित दो बैठकों में श्री एन.एस.मणि ने भाग लिया ।

इसके अलावा, दस्तावेजी विरासत के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर निम्न संगठनों को तकनीकी जानकारी दी गई:— सत्य साई संग्रहालय, पो.आ. अनन्तपुर, आ.प्र.; निदेशक, उ.प्र.राज्य अभिलेखागार, लखनऊ (यूपी.); और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), नई दिल्ली ।

अभिलेखों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के बारे में निम्न कार्यालयों को भी तकनीकी जानकारी दी गई:— निदेशक, हरियाणा राज्य अभिलेखागार, पंचकुला; विकास आयुक्त—कम—सचिव (राजस्व), दिल्ली राज्य सरकार; निदेशक, उत्तरांचल राज्य अभिलेखागार, देहरादून; आयुक्त, तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार एवं ऐतिहासिक अनुसंधान, चेन्नई; सहायक महानिदेशक, आर.बी.आई. जोनल ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली; आर०आर०आई०, भुवनेश्वर; निदेशक, उ.प्र. राज्य अभिलेखागार, लखनऊ; पुलिस उपायुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली और नटरंग प्रतिष्ठान, दिल्ली ।

18.10 डा. सी.एल. प्रजापति, सहायक अभिलेख निदेशक (परिरक्षण), राष्ट्रीय अभिलेखागार ने त्रिवेन्द्रम और गोवा में संरक्षण एवं रेप्रोग्राफी पर आयोजित दो कार्यशालाओं में भाग लिया । उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर में आयोजित एक सेमिनार में पेपर प्रस्तुत किया ।

of the Comptroller & Auditor General of India, Librarian and Head (KN) Indira Gandhi National Centre for Arts, Assistant Library & Information Officer, Teen Murti House all these are located in New Delhi.

Advice was also given to the Associate DG (Academic), Archives & Research Centre for Ethnomusicology American Institute of India Studies, Gurgaon; Director-in-charge, Directorate of Museums, Assam, Guwahati; Director, Archives Department, Panchkula, Haryana; Director, Directorate of Archives, Government of Maharashtra, Mumbai; Principal Commissioner of Archives and Historical Research, Tamil Nadu State Archives, Chennai; Assistant Secretary (Archives), Andaman & Nicobar, Port Blair.

18.7 In addition to the above, Shri B.C. Majumdar and Shri Jagmohan Singh, both microphotographist, delivered lectures to the trainees of the LNJP National Institute of Criminology and Forensic Science, Ministry of Home Affairs, New Delhi (on two consecutive days) on various "Reprographic Techniques".

18.8 Shri N.S. Mani, Microphotographist, presented a paper on "Electronic Records in Archives: A challenge for preservation" in the 43rd meeting of the National Council of Archivists in Shimla.

18.9 Shri Mani also attended a meeting on consultation and workshop on "Preservation of Photographic Papers and Files for Archives and Museums, American Institute Indian Studies, Gurgaon; another meeting on consultation and workshop on "Intellectual Property Issues for Archives" in the same Institute.

Further, technical information on various aspects of conservation on documentary heritage was supplied to: Sathya Sai Museum, P.O. Anthapur, Andhra Pradesh; Director, U.P. State Archives, Lucknow (U.P.), Indian Council for Cultural Relations (ICCR), New Delhi

Technical advice was also rendered to the following offices regarding conservation and renovation of records; Director, Haryana State Archives, Panchkula; Development commissioner cum Secretary (Revenue), Government of NCT Delhi, Delhi; Director, Uttaranchal State Archives, Dehradun; Commissioner, Tamil Nadu State Archives and Historical Research, Chennai; Assistant Director General, RBI Zonal Training Centre, New Delhi; RRI, Bhubaneswar; Director UP State Archives, Lucknow; Deputy Commissioner of Police, Delhi Police Hqrs, New Delhi and Natarang Prasthan, Delhi.

18.10 Dr. C.L. Prajapati, Assistant Director Archives, National Archives of India (Presentation) attended two workshops on consultation and Reprography organized in Thiruvananthapuram and Goa. He presented a paper in Seminar organized by Institute of Astrophysics at Bangalore.

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय अभिलेखीय अध्ययनो में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा। इनमें अभिलेख और रिकार्ड प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम और रिकार्ड प्रबंधन, रिकार्ड प्रशासन तथा पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों के संरक्षण एवं रिकार्डों की मरम्मत से संबंधित अल्पकालिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा सकते हैं। इसके अलावा, सचिवों की समिति के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निर्दिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) के तहत यथानिर्धारित कार्य करने में समर्थ हो सकें। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सितम्बर 1998 में इसकी शुरुआत से अब तक 74 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और 934 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2007 के दौरान अभिलेख प्रबंधन में अभिमुखी पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 4 में देखी जा सकती है।

19.1 शैक्षिक वर्ष 2006-07 में अभिलेखों के रखरखाव के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बैच में 13 विद्यार्थी थे, इनमें से केवल एक को भाषा एवं संस्कृति (अभिलेखागार) विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ने प्रायोजित किया था और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.2 अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय ने पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण से संबंधित दो अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जिसमें 16 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से दो को क्रमशः राष्ट्रपति कार्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रबंधन, रिकार्ड्स और आर्काइव्स प्रबंधन प्रभाग, दार-अस-सलाम, तंजानिया और विरासत, जागरूकता एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान, नई दिल्ली ने प्रायोजित किया और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.3 अभिलेख प्रबंधन में दो अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 31 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 7 अभ्यर्थी प्रायोजित वर्ग से थे। प्रायोजक संगठन निम्न हैं:- हिंडालको इंडस्ट्रीज लि., कोलकाता; केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली; श्रीमाता शंकर देव कला क्षेत्र सोसायटी, गुवाहाटी; मेसर्स स्मार्ट सर्विसेज नेटवर्क, महालक्ष्मीपुरम, बंगलोर; रक्षा मुख्यालय और प्रशिक्षण संस्थान, डलहौजी और केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली। शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.4 अभिलेखीय विद्यालय अध्ययन ने अभिलेख प्रशासन में भी पाठ्यक्रम आयोजित किया जिसमें 12 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें से एक अभ्यर्थी को धर्म एवं संस्कृति विभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश ने प्रायोजित किया था और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.5 रेप्रोग्राफी में अल्पकालिक पाठ्यक्रम के दो सत्र भी आयोजित किए गए जिसमें 24 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से चार अभ्यर्थियों को डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India continued to conduct training courses in Archival Studies. These comprise of One-Year Diploma Course in Archives and Records Management, Short Term Certificate Courses in Records Management, Records Administration and Conservation of Books, Manuscripts and Archives and Repair of records. Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. can avail of this facility and get their staff working in Departmental Records Room trained. Besides, as per the directives of the Committee of Secretaries, National Archives of India started Five Days Orientation Courses in Record Management for designated Departmental Records Officers with a view to enable them to discharge various functions as stipulated under Section 6 (1) of the Public records Act, 1993. The National Archives of India has so far conducted 74 Courses after its introduction in September 1998 and imparted training to 934 officers. A list of Departmental Records Officers who have attended the Orientation Courses in Records Management during the year 2007 may please be seen in Annexure IV of the report.

19.1 One-Year Diploma Course in Archives and Records Management for the academic year 2006-2007 had a batch of 13 students. Out of these, only one candidate was sponsored by the Department of Language and Culture (Archives) Shimla, Government of Himachal Pradesh and the rest were private candidates.

19.2 School of Archival Studies also conducted two short term Courses in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives which were attended by 16 candidates. Out of these, two candidates were sponsored by the President's Office, Public Services Management, Records and Archives Management Division; Der-es Salam, Tanzania and the Foundation for Heritage Awareness and Research, New Delhi.

19.3 Two Short Term Courses in Records Management were conducted which were attended by 31 Candidates. Out of these, seven candidates were from sponsored category. The sponsoring organizations are: Hindalco Industries Limited, Kolkata; Central Social Welfare Board, New Delhi Srimanta Sankardeva Kalashetra Society, Guwahati; M/s Smart Services Network, Mahalakshmiipuram, Bangalore and Defence Hqrs. and Training Institute, Dalhousie and Central Water Commission, New Delhi. The rest were private candidates.

19.4 School of Archival Studies also conducted course in Archives Administration which was attended by 12 candidates. Out of them only one was sponsored by the Department of Religion and Culture, Dharamshala, Himachal Pradesh and rest were private candidates.

19.5 Two sessions of Short Term Course in Reprography were also conducted which were attended by 24 students. Out of these Four were sponsored by Defence Institute of Advanced Technology, Defence R&D Organization, Ministry of Defence, Pune; J.S.(T) & (AO), Ministry of Defence, New Delhi; two candidates were from Anthropological Survey of India, Ministry of culture, Kolkata.

मंत्रालय, पुणे; जे.एस.(टी) एण्ड (ए.ओ.), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने तथा दो अभ्यर्थियों को एन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय, कोलकाता ने प्रायोजित किया तथा शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.6 अभिलेखों के रखरखाव और मरम्मत से संबंधित दो अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में 24 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से 2 अभ्यर्थियों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ने और कमशः एक अभ्यर्थी को भाषा एवं संस्कृति विभाग, शिमला और मेसर्स स्मार्ट सर्विसेज नेटवर्क, महालक्ष्मीपुरम, बंगलोर ने प्रायोजित किया था और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

19.6 Two Short Term Courses in Servicing and Repair of Records were attended by 24 candidates. Out of these two were sponsored by Central Social Welfare Board, New Delhi; one each from the Department of Language & Culture, Shimla; M/s Smart Services Network, Mahalakshampuram, Bangalore; and the rest were private candidates.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अभिलेख जागरूकता

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) (घ) के तहत अभिलेख महानिदेशक को लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित की और अन्य कार्य-कलाप भी किए गए।

20.1 डॉ० भाल चंद्र मुंगेरकर, सदस्य, योजना आयोग ने 10 जनवरी 2007 को भारत में प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालयों की स्थापना के 150 वर्षों के अवसर पर मुंबई, कोलकाता और चैन्नई विश्वविद्यालयों से प्राप्त निजी दस्तावेजों और सामग्री पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी जनता के लिए 30 जनवरी 2007 तक खुली रही और समाज के हर क्षेत्र के लोग इसे देखने आए।

उपरोक्त प्रदर्शनी भारत में प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालयों (1857-2007) 150 वर्षों का उत्सव को संक्षिप्त रूप में कोलकाता, मुंबई और चैन्नई स्थित तीनों प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालयों में 19-23 मार्च 2007 के दौरान और जामिया के प्रेमचंद्र अभिलेखागार और साहित्यिक केन्द्र, नई दिल्ली के सहयोग से जामिया मिलिया इस्लामिया में 24 अगस्त से 28 सितम्बर 2007 के दौरान आयोजित किया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आग्रह पर इस प्रदर्शनी का आयोजन 10-11 अक्टूबर 2007 के दौरान होटल ताज मानसिंह, नई दिल्ली में उच्च शिक्षा का विकास : प्रसार, प्रविष्टि और उत्कृष्टता पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। श्री अर्जुन सिंह, माननीय केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन किया। श्री कपिल सिब्बल, माननीय केन्द्रीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इस प्रदर्शनी में पद पारे। केन्द्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने सम्मेलन में भाग लिया। पहली बार विभाग की वेबसाइट पर इस प्रदर्शनी का ऑनलाइन वर्जन उपलब्ध कराया गया।

20.2 पूर्व में फ्रैंकफर्ट में आयोजित प्रदर्शनी द वर्ड इज सेक्रेड : इज द वर्ड का राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। श्री एन. गोपालास्वामी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 7 फरवरी 2007 को इस प्रदर्शनी को जनता के लिए औपचारिक रूप से खोला। प्रो. लोकेश चन्द्रा, प्रो. बी. एन. चन्द्रा, श्रीमती सुधा गोपालकृष्णा, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और अन्य विशिष्ट अतिथि भी उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। यह प्रदर्शनी जनता के लिए 7 मार्च 2007 तक खुली रही।

20.3 आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर हिंदी - देस से परदेस तक शीर्षक पर एक प्रदर्शनी का राष्ट्रीय अभिलेखागार में 5-31 जुलाई 2007 के दौरान आयोजन किया गया। श्री सीताराम येचुरी, अध्यक्ष, संसदीय स्थायी समिति (पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय) ने 4 जुलाई 2007 को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि और मीडिया के लोग उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे।

ARCHIVAL AWARENESS

Under Section 3(2)(d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorized by the Central Government to hold exhibition of Public records so as to create archival awareness among the masses. Accordingly, National Archives of India mounted the following exhibitions and also undertook other activities during the period under report.

20.1 On the occasion of 150 years of Presidency Universities in India, an exhibition based on Private papers and material from the Universities of Mumbai, Calcutta and Madras was inaugurated by Dr. Bhala Chandra Mungekar, Member, Planning Commission on 10 January 2007. This exhibition remained open for public till the 30 January 2007 and was visited by the people from all walks of life.

The condensed version of the above-mentioned exhibition 'Commemorating 150 years of Presidency Universities in India (1857-2007)' was organized in three Presidency Universities at Kolkata, Mumbai and Chennai from 19-23 March 2007 and at Jamia Millia Islamia in collaboration with Jamia's Premchand Archives & Literary Centre, New Delhi from 24 August-28 September 2007.

This Exhibition was also organized during the two days at National Conference on Development of Higher Education; Expansion, Inclusion and Excellence held at Hotel Taj Mansingh, New Delhi from 10-11 October 2007 on the request of University Grants Commission. The Exhibition was formally opened by Shri Arjun Singh, Hon'ble Union Minister for Human Resources Development and visited by Shri Kapil Sibal, Hon'ble Union Minister for Science & Technology and Earth as well as Vice Chancellors of Central, State and Deemed Universities participated in the Conference.

For the first time, an online version of the exhibition was also made available on the website of the Department.

20.2 The exhibition entitled 'The word is sacred: sacred is the word' which was earlier displayed at Frankfurt was jointly organised by National Mission for Manuscripts and National Archives of India at New Delhi, was formerly declared open by Shri N. Goplaswamy, Chief Election Commissioner on 7 February 2007. Prof Lokesh Chandra, Prof B.N. Goswamy, Smt Sudha Gopalkrishna, Mission Director, National Mission for Manuscripts and other distinguished guests were also present during the inauguration. This exhibition remained open for public till 7 March 2007.

20.3 On the occasion of Eighth World Hindi Conference, an exhibition entitled 'Hindi-Desh se Pardesh Tak' was organized in the premises of National Archives of India from the 5 July to 31st July 2007. The exhibition was inaugurated by Shri Sitaram Yachuri, Chairman, Parliamentary Attending Committee, Ministry of Tourism and Culture on 4 July 2007. The inaugural function was attended by distinguished guests and media persons.

इसके अलावा, इस प्रदर्शनी का अयोजन न्यूयॉर्क में आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में 13-15 जुलाई 2007 के दौरान किया गया। श्री आनन्द शर्मा, विदेश राज्य-मंत्री ने इस प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन श्री पवन वर्मा, महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, श्री पी.एस.ससि कुमार, चांसरी प्रमुख और विश्व के विभिन्न भागों से आए बहुत से विशिष्ट हिंदी विद्वानों की उपस्थिति में किया।

बैठक और व्याख्यान

20.4 संदर्भाधीन अवधि में महानिदेशक, अभिलेखागार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया।

1. डॉ० शीतला प्रसाद, महानिदेशक (इंचार्ज), अभिलेखागार ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया :-
 - (क) 3 जनवरी 2007 को भारत-इजरायल सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के मसौदे की समीक्षा हेतु निदेशक (आई.सी.आर.), संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित बैठक।
 - (ख) 26 मार्च 2007 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् नई दिल्ली में आयोजित 52वीं वार्षिक आम बैठक।
 - (ग) 6 जून 2007 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी की वार्षिक आम बैठक।
 - (घ) 3 और 4 सितंबर 2007 को राष्ट्रों की साझी स्मृति के रूप में अभिलेख पर बाली, इंडोनेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में इंडोनेशिया से संबंधित अभिलेख विषय पर शोध-पत्र प्रस्तुत किया।
 - (च) 20 अगस्त 2007 को डॉ० प्रसाद और श्री राजेश वर्मा, सहायक अभिलेख निदेशक ने भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में अभिलेख प्रशासन पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को अभिलेख और अभिलेख प्रशासन के महत्व पर व्याख्यान दिए।
2. श्री रघुनाथ मीणा, अभिलेख उपनिदेशक ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया :-
 - (क) 9 जुलाई 2007 को नई दिल्ली में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् की 53वीं वार्षिक आम बैठक।
 - (ख) 12 जुलाई 2007 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित प्रथम स्वाधीनता संग्राम, 1857, की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में लाल किले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रहालय स्थापित करने संबंधित बैठक।
 - (ग) 3 जुलाई 2007 को वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा में समेकित श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम की संयुक्त सलाहकार समिति की 19वीं बैठक।
3. डॉ० मीना गौतम, अभिलेख उपनिदेशक को 14 जुलाई 2007 को गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर दस्तावेजों की प्रतिलिपियों से संबंधित आर.टी.आई मामलों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
4. सर्व श्री के.के. शर्मा, सहायक अभिलेख निदेशक और एन.एस.मणि, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को 14 सितंबर 2007 को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली में विभिन्न अभिलेखीय सामग्रियों की उपलब्धता और प्रसार से संबंधित सुसंगत मार्गदर्शी सिद्धान्त और वेब दरें तय करने की नीतियों पर बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

Besides, this exhibition was also organized during the Eight World Hindi Conference held at New York from 13-15 July 2007. It was formally inaugurated by Shri Anand Sharma, Minister of State and External Affairs, in the presence of Shri Pawan Verma, Director General, Indian Council of Cultural Relations, Shri P.S. Sasi Kumar, Head of Chancery and many distinguished Hindi Scholars from various parts of the world.

Meetings and Lectures:

20.4 The Director General of Archives and other Senior Officers attended the following meetings during the period under report: -

1. Dr. Shitla Prasad, Director General of Archives (I/C), attended the following meetings:-
 - i) To review the draft Cultural Exchange Programme between India and Israel held on 3-1-2007 in the Chamber of the Director (ICR), Ministry of Culture, New Delhi.
 - ii) 52nd Annual General Meeting of the Indian Council for Historical Research held on 26th March 2007 at New Delhi.
 - iii) Annual General Meeting of the Indian Institute of Advanced Study held on 6th June 2007 at India International Centre, New Delhi.
 - iv) Presented a paper on "Records on Indonesia in the National Archives of India" at an International Seminar on 'Archives as the Collective Memory of the Nations' held from 3-4 September 2007 in Bali, Indonesia.
 - v) He along with Shri Rajesh Verma, Assistant Director delivered lectures on importance of Records and Archives Administration to the participants of the Archives Administration Course held on 20.08.2007 at RBI, Regional Office, New Delhi.
2. Sh. Raghunath Meena, Deputy Director of Archives attended the following meetings:-
 - i) 53rd General Meeting of the Indian Council of Historical Research held on 9th July 2007 at New Delhi.
 - ii) The meeting in Archaeological Survey of India in connection with the establishment of a National Freedom Museum at Lal Quila in commemoration of the 150th Anniversary of the 1st war of Independence (1857) held on 12-7-2007.
 - iii) 19th Meeting of the Joint Advisory Committee of the Integrated Labour History Research Programme held on 03.08.07 at V.V. Giri National Labour Institute, Noida.
3. Dr. Meena Gautam, Deputy Director was deputed to Ministry Home Affairs to attend a meeting on RTI matters reg. copies of documents on Netaji Subhash Chandra Bose held on 14.08.2007.
4. S/Shri K.K. Sharma, Assistant Director and N.S. Mani, Microphotographer were deputed to Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi to attend a meeting in connection with policies regarding fixing of relevant guidelines and web rates of access and dissemination of various archives material held on 14th September 2007.

5. सर्व श्री संजय गर्ग, सहायक अभिलेख निदेशक और जे.सी.ढाबी, अभिलेखाधिकारी को 13 मार्च 2007 को सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में संस्थान के अभिलेख प्रबंधन पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को क्रमशः विभागीय अभिलेख कक्ष और विभागीय अभिलेख अधिकारियों के कार्य और लोक अभिलेख अधिनियम और उसके तहत नियमावली विषयों पर व्याख्यान देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। 13 मार्च 2007 को आइ.एस.टी.एम. के 29 प्रतिभागियों के समूह ने पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता के साथ राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग दिखाया गया और विभाग की गतिविधियाँ बताई गईं।
6. श्री संजय गर्ग, सहायक अभिलेख निदेशक को 12 जून 2007 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कला क्रय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
7. डॉ० प्रमोद मेहरा, सहायक अभिलेख निदेशक को 11 मार्च 2007 को वृन्दावन में वृन्दावन अनुसंधान संस्थान की गवर्निंग और जनरल बॉडी की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
8. डॉ० प्रमोद मेहरा, सहायक अभिलेख निदेशक को 19 दिसंबर 2007 को 2007-08 में क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढीकरण योजना के तहत विशेषज्ञ समिति की राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में हुई बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
9. श्री नवरतन सिंह, सहायक अभिलेख निदेशक और श्री फरीद अहमद, अभिलेखाधिकारी को 9-12 अप्रैल 2007 को आइ.एस.टी.एम. नई दिल्ली में विंडोज और एम.एस.वर्ड : एक परिचय नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
10. श्री राजेश वर्मा, सहायक अभिलेख निदेशक को 3 मई 2007 को समरबिल स्कूल, दिल्ली में छात्रों के लिए इतिहास पर कैरियर-काउंसिलिंग कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
11. श्री राजेश वर्मा, सहायक अभिलेख निदेशक को 27 अगस्त 2007 को आर.बी.आई. क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित अभिलेख प्रशासन पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को अभिलेख प्रशासन विषय पर व्याख्यान देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
12. बिहार सरकार के आग्रह पर, सर्वश्री राजेश वर्मा, सी.एल. प्रजापति, दोनों सहायक अभिलेख निदेशक और एन. एस.मणि, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को 30-31 अक्टूबर 2007 को बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना में राज्य अभिलेखागार को अभिलेख प्रबंधन, परिरक्षण, संरक्षण, माइक्रोफिल्मिंग आदि के पहलुओं पर परामर्श देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
13. डॉ० सी.एल. प्रजापति, सहायक अभिलेख निदेशक को 14-15 जुलाई 2007 को राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ में सीमित संसाधन संतुलन, संरक्षण और संग्रहण के प्रयोग का प्रबंधन पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
14. डॉ० सी.एल. प्रजापति, सहायक अभिलेख निदेशक को 16-17 जुलाई 2007 राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली में संस्थान की प्रवेश समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
15. सर्वश्री मीमांसक, हिंदी अधिकारी और राजमणि, अभिलेखाधिकारी को 12-15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.) में आयोजित आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रदर्शनी लगाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

5. Shri Sanjay Garg, Assistant Director of Archives and Sh. J.C Dabi, Archivist were deputed to Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi to deliver lectures on "Departmental Records Room and Functions of Departmental Records Officers" and "Public Records Act and Rules under it" respectively to the trainees of Records Management of the Institute held on 13th March 2007. The group of 29 participants along with the Course Coordinator from the ISTM visited National Archives of India on 13th March 2007. They were shown round and briefed on the activities of the Department.
6. Shri Sanjay Garg, Assistant Director of Archives, was deputed to Kurukshetra University to attend the meeting of the Art Purchase Committee of the University held on 12-6-2007.
7. Dr. Pramod Mehra, Asstt. Director of Archives, was deputed to Vrindaban to attend the meetings of the Governing and General Body held on 11th March 2007 at Vrindaban Research Institute.
8. Dr. Pramod Mehra, Asistant. Director of Archives, was deputed to attend the Expert Committee Meeting under the Scheme for "Promotion and Strengthening of Regional and Local Museum" for 2007-2008 held on 19-12-2007 at National Museum, New Delhi.
9. Shri Navarattan Singh, Assistant Director of Archives, and Sh. Farid Ahmad, Archivist were deputed to ISTM, New Delhi, to attend a training progarmme on 'Introduction to Windows and MS Word' held on 9-12 April 2007.
10. Shri Rajesh Verma, Assistant Director of Archives, was deputed to Somerville School, New Delhi to deliver/conduct a career-counseling workshop on History to the Students of the School held on 3-5-2007.
11. Shri Rajesh Verma, Assistant Director of Archives was deputed to RBI, Regional Office, New Delhi to deliver lecture on Archives Administration to the participants of the Archives Administration Course of RBI held on 27.08.2007.
12. On the request of the Government of Bihar, Sh. Rajesh Verma, Assistant Director of Archives, Dr. C.L. Prajapati, Assistant Director of Archives, and Sh. N.S. Mani, Microphotographist, were deputed to Bihar State Archives, Patna from 30-31 October 2007 to advise the State Archives on the aspects of Records Management, Preservation, Conservation, Microfilming, etc.
13. Dr. C.L. Prajapati, Assistant Director of Archives, was deputed to National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow, to attend a conference on "Managing a finite Resource Balancing Conservation and use of collection" held from 14-15 July, 2007.
14. Dr. C.L. Prajapati, Assistant Director of Archives, was deputed to National Museum Institute, New Delhi, to attend the Admission Committee meeting of the Institute held from 16-17 July, 2007.
15. Shri Mimansak, Hindi Officer, and Shri Rajmani, Archivist were deputed to New York to mount an Exhibition during the 8th World Hindi Conference held from 12-15 July, 2007 at New York, U.S.A.

16. नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्टस (एन.सी.ए.) का पुनर्गठन किया गया। कमेटी में सदस्यों को नियुक्त करने से संबंधित ज्ञापन जारी किया गया।

हिमाचल प्रदेश सरकार के निमंत्रण पर, नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्टस की 43वीं बैठक का आयोजन 24-25 सितंबर 2007 को शिमला में किया गया। श्री प्रेम शर्मा, निदेशक (भाषा और संस्कृति) ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और श्री अशोक ठाकुर, प्रधान सचिव (संस्कृति) ने बैठक का उद्घाटन किया। डॉ० शीतला प्रसाद, अभिलेख निदेशक व अध्यक्ष, एन.सी.ए. ने अध्यक्षीय अभिभाषण दिया।

डॉ० शीतला प्रसाद, अभिलेख निदेशक व अध्यक्ष, नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्टस की अध्यक्षता में 24 सितंबर 2007 को कार्य बैठक हुई। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 11 प्रस्तावों और राष्ट्रीय अभिलेखागार और राज्य अभिलेखागारों के मध्य सहयोग के तीन क्षेत्रों पर विचार-विमर्श हुआ। निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई:- डिजिटल अभिलेखों का भण्डारण और उपलब्धता, समान वेतनमान और अभिलेखीय स्टाफ की राज्यों में नामोद्विष्टि, अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग और संरक्षण, अभिलेखागारों की नेटवर्किंग, अभिलेखों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन, इत्यादि।

नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्टस की बैठक के बाद 25 सितंबर 2007 को नेशनल रजिस्टर ऑफ प्रायवेट रिकार्ड्स के राज्य प्रतिनिधियों की बैठक हुई। श्री प्रेम शर्मा, निदेशक (भाषा और संस्कृति) ने इसकी अध्यक्षता की।

25 सितंबर 2007 को पेपर रीडिंग सेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता श्री एन. नारायणन, प्रधान आयुक्त, तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार ने की। राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों और निदेशक, कर्नाटक राज्य अभिलेखागार द्वारा तीन पेपर पढ़े गए और उन पर चर्चा हुई। नेशनल कमेटी ऑफ आर्किविस्टस की बैठक की कार्यवाही समिति के सदस्यों और एन.ए.आई. के अनुभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई।

आगन्तुक

20.5 वर्ष 2007 में राष्ट्रीय अभिलेखागार में अनेक गणमान्य अतिथि पधारे जो कि निम्नलिखित हैं :-

1. 12 जनवरी 2007 को राष्ट्रीय अपराध-शास्त्र और फॉरेन्सिक विज्ञान संस्थान के आठ प्रशिक्षुओं के एक समूह ने अपने पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता के साथ राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। श्री जगमोहन सिंह, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने उन्हें निम्न विषयों पर व्याख्यान दिया : (क) मेक्रो और माइक्रोफोटोग्राफी, पुराने और मद्धम दस्तावेजों की माइक्रोफिल्मिंग, (ख) पुराने/भंगुर दस्तावेजों का परिरक्षण।
2. डॉ० (श्रीमती) सरला राजपूत, प्रोफेसर, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अन्य तीन अधिकारियों के साथ 18 जनवरी 2007 को भारतीय संविधान की मूल प्रति देखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें अभिलेखागार का संग्रहालय भी दिखाया गया।
3. यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसरों सर्व श्री क्लोइंडा डोनाटो, टिमोथी कीरू और नार्बर्ट शुरेर ने 12 छात्रों के साथ 19 जनवरी 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और अभिलेख महानिदेशक के साथ बैठक की। उन्हें अभिलेखागार दिखाया गया और उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई।
4. डॉ० (श्रीमती) पेन्टेरू उनघने लोनिया, अभिलेखाधिकारी, हंगरी राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 19 जनवरी 2007 को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें अभिलेखागार दिखाया गया और उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई।

16. National Committee of Archivists(NCA) was reconstituted. Memorandum was issued regarding appointment of members on the Committee.

At the invitation of the Government of Himachal Pradesh, the 43rd Meeting of the National Committee of Archivists was held at Shimla on 24-25 September 2007. The delegates were welcomed by Sh. Prem Sharma, Director (Language and Culture), Govt. of Himachal Pradesh and meeting was inaugurated by Sh. Ashok Thakur, Principal Secretary (Culture), Govt. of Himachal Pradesh. The Presidential address was delivered by Dr Shitla Prasad, DGA and Chairman, NCA.

The Business Meeting was held on 24 September 2007 under the Chairmanship of Dr. Shitla Prasad, Director General of Archives and Chairman, National Committee of Archivists. 11 Resolutions forwarded by Members were considered along with three areas of Collaboration between National Archives of India and State Archives. Among the important issues discussed were storage and access of digital records, uniform pay scales and designations of archival staff in States, microfilming and conservation of records, networking of archives, international conference on archives, etc.

The meeting of the National Committee of Archivists was followed by the Meeting of the State Representatives of National Register of Private Records on 25 September 2007. It was chaired by Sh. Prem Sharma, Director (Language and Culture), Government of Himachal Pradesh.

The paper reading Session was held on 25 September 2007 and was chaired by Sh. N. Narayanan, Principal Commissioner, Tamil Nadu Archives. Three papers were presented by officers of the National Archives of India and Director, Karnataka State Archives and discussed. The proceedings of the Meeting of the National Committee of Archivists were forwarded to the members of the committee as well as Sections of NAI for necessary action.

Visitors:

20.5 The National Archives of India saw a stream of distinguished visitors during 2007. These included:

1. A group of 8 trainees from the National Institute of Criminology and Forensic Science visited National Archives of India along with their Course Coordinator on 12 January 2007. Sh. Jagmohan Singh, Microphotographist delivered lectures to them on the topics (1) Macro and Microphotography, Microfilming of old faded documents (2) Preservation of old/ fragile documents.
2. Dr. (Mrs) Sarla Rajput, Professor, National Council of Educational Research & Training, along with the three officials visited National Archives of India on 18 January 2007 for viewing the original copy of the Indian Constitution. They were also shown the Museum of NAI.
3. Cloinda Donato, Timothy Keiru and Norbert Schurer Professors from the University State of California visited National Archives of India along with 12 Students on 19 January 2007 and held meeting with the Director General of Archives. They were shown round and briefed on the activities of the National Archives of India.
4. Dr (Mrs) Penterue Unghnay Lionia, Archivist, National Archives of Hungary, visited National Archives of India on 19 January 2007. She was shown round and briefed on the activities of the National Archives of India.

5. श्री मुराट मुख्तावोरिच एजोव, महानिदेशक, कजाखस्तान गणतंत्र राष्ट्रीय पुस्तकालय ने 15 फरवरी 2007 को आई.सी.सी.आर. विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और विभाग के उपनिदेशकों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्हें अभिलेखागार दिखाया गया और उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई।
6. परम श्रेष्ठ श्री मौरिटस सफदर एच. हसनखान, गृहमंत्री, सूरीनाम गणतंत्र ने श्री कृष्णदत्त बजनाथ, सूरीनाम गणतंत्र के राजदूत के साथ 28 मार्च 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और उपनिदेशक (पी) एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
7. परम श्रेष्ठ श्री रोजेलियो ग्रंगिलहोम, मैक्सिको के राजदूत ने 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और अभिलेख महानिदेशक एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
8. परम श्रेष्ठ श्री अली मुहम्मद रसीद अब्दुल्ला, यू.ए.ई. दूतावास के कार्यदूत ने 12 मार्च 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और अभिलेख महानिदेशक एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
9. मदुराई कामराज विश्वविद्यालय के 60 छात्रों के एक समूह ने अपने अध्यापक के साथ 20 मार्च 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग दिखाया गया और उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई।
10. ताइवान राष्ट्रीय कला महाविद्यालय की सुश्री चैन वान-पिंग ने 19 मार्च 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और अभिलेखों के संरक्षण पर अभिलेख उपनिदेशक (पी.) एवं सहायक अभिलेख निदेशक (पी.) से चर्चा की।
11. परम श्रेष्ठ श्री डेविड डेनिली, भारत में इजरायल के राजदूत ने 21 मई 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और अभिलेख महानिदेशक के साथ बैठक की। उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध भारत-इजरायल संबंधों से जुड़े अभिलेखों पर भी परामर्श किया।
12. श्री उर्स शेडेगर, प्रमुख, मीडिया एवं संचार विभाग, स्विटजरलैंड सरकार ने 24 मई 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत-स्विटजरलैंड संबंधों पर उपलब्ध दस्तावेजों पर परामर्श किया।
13. श्री कालोस ए. यरीगोयेन, माननीय मंत्री और काउंसलर, पेरू ने 28 मई 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और अभिलेख महानिदेशक एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
14. लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध-शास्त्र और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रशिक्षुओं के एक समूह ने अपने पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता के साथ 9 मई 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। श्री बी. सी. मजूमदार, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने माइक्रोफिल्मिंग और माइक्रो फोटोग्राफी और माइक्रोफिल्मों का परिरक्षण एवं भण्डारण विषयों पर व्याख्यान दिया।
15. श्री जे.एस. मोहंती, आई.ए.एस. ने 7 जून 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उनको विभाग दिखाया गया और उसके कार्यों के विषय में जानकारी दी गई।
16. सचिवालय प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान के 10 प्रतिभागियों के एक समूह ने अपने पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता के साथ 26 जून 2007 राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग दिखाया गया।

5. Mr. Murat Mukhtavorich Auezov, Director General, National Library of the Republic of Kazakhstan, visited the National Archives of India on 15 February 2007 under the ICCR distinguished visitors programme and held discussions with DDAs and other Senior Officers of the Department. He was shown round and briefed on the activities of the National Archives of India.
6. H.E. Mr. Maurits Safdar H. Hassankhan, Home Minister of the Republic of Suriname, along with Sh. Krishnedat Bajnath, Ambassador of the Republic of Suriname, visited National Archives of India on 28 March 2007 and held meeting with DDA(P) and other senior officers of the Department.
7. H.E. Mr. Rogelio Granguillhome, Ambassador of Mexico, visited National Archives of India on 5.3.2007 and held meeting with DGA and other Sr. Officers of the Department.
8. H.E. Mr. Ali Mohamad Rased Abdulla, Charge d' Affairs UAE Embassy, visited National Archives of India on 12 March 2007 and held meeting with DGA and other Senior Officers of the Department..
9. A group of 60 students from the Madurai Kamraj University along with the teacher visited National Archives of India on 20 March 2007. They were shown round and briefed on the activities of the Department.
10. Ms. Chen wan-ping, Taiwan National College of the Arts, visited National Archives of India on 19 March 2007 and held discussions with DDA(P) and ADA(P) on Conservation of Records.
11. H.E. Mr. David Daneili, Ambassador of Israel in India, visited National Archives of India on 21 May 2007 and held meeting with Director General of Archives. He also consulted materials regarding Indo-Israel relations in the National Archives of India.
12. Mr. Urs Scheidegger, Head, Media and Communication Department, Government of Switzerland, visited National Archives of India on 24 May 2007. He consulted documents relating to Indo-Switzerland relations in the National Archives of India.
13. Mr. Carlos A. Yrigoyen, Hon'ble Minister and Counselor, Peru, visited National Archives of India on 28 May 2007 and held meeting with Director General of Archives and other Senior Officials of the Department.
14. A group of trainees from the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Sciences along with their course coordinator visited National Archives of India on 9 May 2007 as part of their course. A lecture on "Microfilming, and Micro Photography" and "Preservation and storage of Microfilms" was delivered by Sh. B.C. Majumdar, Microphotographer.
15. Shri J.C. Mohanty, IAS, visited National Archives of India on 7 June 2007. He was shown round and briefed about the functioning of the Department.
16. A group of 10 participants along with course coordinator from the Institute of Secretariat Management & Training visited National Archives of India on 26 June 2007. They were shown round the Department.

17. डॉ० एस.आर.डैश, व्याख्याता एवं अध्यापक, ओटाणी विश्वविद्यालय, जापान ने 9 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग दिखाया गया और उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई।
18. प्रो. ओ. अनन्तरमैया, उप-कुलपति, तुमकूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक ने 9 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और अभिलेख महानिदेशक के साथ बैठक की। उन्हें विभाग दिखाया गया।
19. भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशिक्षुओं की दो टीमों ने अपने पाठ्यक्रम समन्वयकर्ताओं के साथ क्रमशः 22 और 30 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग दिखाया गया और उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई।
20. परम श्रेष्ठ डॉ० सैयद मखदूम रहीम, भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने 28 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने अभिलेख महानिदेशक और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
21. वायु सेना अभिलेख कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम ने 14 सितंबर 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग दिखाया गया और उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई।
22. जे.डी. टाइटलर स्कूल के छात्रों के एक समूह ने अपने अध्यापक के साथ 26 सितंबर 2007 राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग दिखाया गया।
23. प्रो० रॉबिन जेफ्री, निदेशक, रिसर्च स्कूल ऑफ पैसिफिक एंड एसियन स्टडीज (आर.एस.पी.ए.एस.) आस्ट्रेलिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने 5 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने अभिलेख महानिदेशक और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय दिखाया गया।
24. सर एडविन ल्यूटन न्यास के 57 सदस्यों के एक समूह जिसमें यू.के. और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख वास्तुकार और नागरिक शामिल थे, ने 8 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने अभिलेख महानिदेशक और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें विभाग दिखाया गया।
25. वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानदानी (अवकाश प्राप्त) ने समेकित मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नेवी) के चार अधिकारियों के साथ 19 नवंबर 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें विभाग दिखाया गया और उसके कार्यों के विषय में जानकारी दी गई।
26. श्रीमती हीथर ब्राउन, सहायक निदेशक, आर्टलैब ऑस्ट्रेलिया ने 19 नवंबर 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने अभिलेख महानिदेशक और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें विभाग दिखाया गया।
27. चीन के विदेश मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आर्काइव्स के प्रमुख अभिलेखाधिकारी श्री गो चोंगली के नेतृत्व में चीनी अभिलेखाधिकारियों की एक टीम ने 20 नवंबर 2007 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने अभिलेख उप-निदेशक और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और दोनों देशों के सामान्य हितों के विषय में चर्चा की। उन्हें विभाग दिखाया गया और उसकी गतिविधियों और कार्यों के विषय में जानकारी दी गई।

17. Dr. S.R. Dash Lecturer & Research Fellow, Otani University, Japan, visited National Archives of India on 9 August 2007. She was shown round and briefed on the activities of NAI.
18. Prof. O. Anantharamaiah, Vice Chancellor, University of Tumkur, Karnataka visited National Archives of India on 9 August 2007 and held meeting with Director General of Archives. He was shown round the Department.
19. Two teams of trainees from Reserve Bank of India along with their course coordinators visited National Archives of India on 22 and 30 August 2007. They were shown round and briefed on the activities of National Archives of India.
20. His Excellency, Dr. Sayed Makhdoom Raheen, Ambassador of Afghanistan to India visited National Archives of India on 28 August 2007. He held meeting with Director General of Archives and other senior Officers of the Department.
21. A team of officers from Air force Record Office visited National Archives of India on 14 September 2007. They were shown round and briefed on the activities of the department.
22. A group of students along with their teachers from J.D. Tytler School visited National Archives of India on 26 September 2007. They were shown round the Department.
23. Prof. Robin Jeffrey, Director, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), Australia National University visited National Archives of India on 5 October 2007. He held meeting with Director General of Archives and other senior officers of the Department and shown the National Archives of India Museum.
24. A group of 57 members of Sir Edwin Lutyen Trust including the members of the Lutyen family, prominent architects and citizens from U.K. and Australia visited National Archives of India on 8 October 2007. They held meeting with Director General of Archives and other senior officers of the Department and were shown round the Department.
25. Vice Admiral G.M. Hiranadani (Retd.) along with 4 officers from the Integrated Headquarter, Ministry of Defence (Navy) visited National Archives of India on 19 November 2007. They were shown round and briefed on the activities and functions of the Department.
26. Mrs. Heather Brown, Assistant Director, Artlab Australia visited National Archives of India on 19 November 2007. She held meeting with Director General of Archives and other senior officials and was shown round the Department.
27. A team of Chinese Archivists headed by Mr. Guo Chongli, Chief Archivist in Bureau of Archives of Ministry of Foreign Affairs of China visited National Archives of India on 20 November 2007. They held meeting with Deputy Director of Archives (R) and other senior officials of the Department and held discussion on the common interest of the two countries. They were shown round and briefed on the activities and function of the department.

मल्टीमीडिया निर्माण:

20.6 देश में अभिलेखीय जागरूकता प्रसारित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपने पोर्टल को विभिन्न मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरणों के निर्माण हेतु खोल दिया। इस प्रकार निम्नलिखित को सुविधाएं प्रदान की गई :-

1. दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली को उनके द्वारा तैयार किए जा रहे वृत्तचित्र 1857 की 150वीं वर्षगांठ का उत्सव की शूटिंग। यह शूटिंग राष्ट्रीय अभिलेखागार में 24 जनवरी 2007 को की गई।
2. माया विजन इंटरनेशनल को 10 मई 2007 को उनके वृत्तचित्र भारत का इतिहास से संबंधित दस्तावेजों की राष्ट्रीय अभिलेखागार में शूटिंग और विख्यात लेखक एवं इतिहासकार श्री विलियम डालरिम्पल के साक्षात्कार की फिल्म बनाने के लिए।
3. एक्स.ई.बी.ई.सी. इंडिया टूर एंड एक्सपोरट्स प्रा.लि. को 29 और 31 मई 2007 को उनके वृत्तचित्र जस्टिस राधाबिनोदपाल आन टोकियो ट्रायल्स से संबंधित दस्तावेजों की राष्ट्रीय अभिलेखागार में शूटिंग।
4. एन.डी.टी.वी. को 7 अगस्त 2007 को उनके वृत्तचित्र लीडिंग अप टू इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस से संबंधित दस्तावेजों की राष्ट्रीय अभिलेखागार में शूटिंग।
5. नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय को उनके दृश्य और श्रव्य कार्यक्रम शहीद भगतसिंह की 100वीं वर्षगांठ से संबंधित दस्तावेजों की राष्ट्रीय अभिलेखागार में शूटिंग।

20.7 वर्ष 2007 में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया : भारत-फ्रांस (2006-2009), भारत-इटली (2006-2009), भारत-बोत्सवाना (2007-10), भारत-मिस्र (2006-09), भारत-रूस (2006-09), भारत-चीन (2006-09), और भारत-वियतनाम (2006-09)

Multimedia Productions:

20.6 With a view to spreading archival awareness in the country, the National Archives of India opened its portals for the production of various multimedia presentations. Thus, facilities were provided to

1. Doordarshan Kendra, New Delhi, in connection with shooting of documentary film on "Commemorating 150 years of 1857" being prepared by them. The shooting was held on 24 January 2007 at National Archives of India.
2. Maya Vision International in connection with shooting of Documents and filming of an interview with Mr. William Dalrymple, well known author and historian, for their documentary on 'History of India' on 10 May 2007 at the National Archives of India.
3. XEBEC India Tour and Exports Pvt. Ltd in connection with shooting of Documents, for their documentary on 'Justice Radhabinod Pal on Tokyo Trials' on 29 and 31 May 2007 at the National Archives of India.
4. NDTV to film documents for their documentary film on "Leading up to India's first Independence Day" held on 7 August 2007 at National Archives of India, New Delhi.
5. Nehru Memorial Museum & Library for shooting documents in National Archives of India for the Audio-Visual Programme on 100th Birth Anniversary of Shaheed Bhagat Singh.

Cultural Exchange Programme:

20.7 During 2007 the National Archives of India finalized the following Cultural Exchange Programmes that it received from the Ministry of Culture: Indo-France (2006-09), Indo-Italy (2006-09), Indo-Botswana (2007-10), Indo-Egypt (2006-09), Indo-Russian (2006-09), Indo-China (2006-09), and Indo-Vietnam (2006-09).

प्राथमिकताएं

वर्ष 2007, लोक अभिलेख नियमावली, 1997 की अधिसूचना के दसवें वर्ष को चिन्हित करता है। यह वर्ष भारत सरकार एवं केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन की विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 को लागू करने के दस महत्वपूर्ण वर्षों को भी चिन्हित करता है। लोक अभिलेख अधिनियम और लोक अभिलेख नियमावली में प्रतिष्ठापित मुख्य पहलकदमियां आसाम, दिल्ली, मणिपुर, महाराष्ट्र और उत्तरांचल राज्य सरकारों के समान विधानों में भी परिलक्षित हुई हैं। तथापि, इन नीतिगत रूपरेखाओं और अच्छी अभिलेख प्रबंधन क्रियाओं के महत्व के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के बावजूद हम सरकारी कार्यालयों की तस्वीर में कोई प्रशंसनीय सुधार नहीं देखते हैं।

पिछले दो वर्षों की रिपोर्टों में मैंने यह विस्तार से बताया है कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के बाद के समय में सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अभिलेख प्रबंधन ने किस तरह एक नाजुक आयाम ग्रहण कर लिया है, और साथ ही यह भी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) ने प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह लोक अभिलेखों के महत्व पर बल दिया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिक सूचना एवं आधिकारिता की मांगों को पूरा करने के लिए एकमात्र उपाय के रूप में अपने कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत पर मैं पुनः जोर देना चाहूंगा।

यह देखकर मुझे कष्ट होता है कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी के रूप में जबकि राष्ट्रीय अभिलेखागार, अधिनियम के दायरे में आने वाली विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को पूरा सहयोग और समर्थन देता रहा है, इन एजेंसियों ने उपर्युक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रायः ढीला-ढाला रवैया अपनाया है। यहाँ तक कि अनिवार्य प्रावधानों जैसे अधिकारियों में से किसी एक को विभागीय अभिलेख अधिकारी के तौर पर नामांकित करना (धारा-5, उपधारा-1) और विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना (धारा-5, उपधारा-2), को भी सभी एजेंसियों ने लागू नहीं किया है। यह स्थिति हर हाल में बदलनी चाहिए। प्राथमिकता बिन्दुओं को रखने से पहले मैं कुछ तथ्य आपके सम्मुख रखना चाहूंगा।

21.1 अभिलेख सर्जक एजेंसियों के संगठनों में लोक अभिलेख अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति में बारे में प्राप्त समग्र प्रतिक्रिया से पिछले वर्ष (2006) की तुलना में सुधार का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा है। वास्तव में यह 2006 की 7.2 प्रतिशत प्रतिक्रिया की तुलना में 0.22 प्रतिशत गिरकर 7 प्रतिशत पर पहुँच गई है। भारत सरकार के मुख्य मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया 13 प्रतिशत से 14 प्रतिशत पर आकर मामूली रूप से बढ़ी है, जोकि शायद ही संतोषजनक कही जा सकती है क्योंकि 71 मंत्रालयों/विभागों ने इस रिपोर्ट में सम्मिलित करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया ही नहीं भेजी। उसी तरह से, सार्वजनिक निकायों की प्रतिक्रिया में 37 से 55 की अल्प वृद्धि हुई है, फिर भी तथ्य यह है कि 186 सार्वजनिक निकायों ने अपनी रिपोर्टें नहीं भेजी। सबसे खराब स्थिति संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की रही जिनकी प्रतिक्रिया वर्ष 2006 की 63 से नीचे गिरकर वर्ष 2007 में 42 पर पहुँच गई।

21.2 लोक अभिलेख अधिनियम के अन्तर्गत नामांकित किए गए विभागीय अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण एक बेहद जरूरी पहलू है क्योंकि वे अपने विभाग और राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच में एक संपर्क सूत्र का काम करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1998 से विभागीय अभिलेख अधिकारियों के हित में नियमित रूप से अभिलेख प्रबंधन में

PRIORITIES

The year 2007 marks the 10th year of the notification of the Public Records Rules. It also marks ten eventful years of the implementation of the Public Records Act, 1993 by various records creating agencies of the Government of India and Union Territory Administration. The major initiatives set forth in the Public Records Act and Public Records Rules have also got reflected in similar legislations enacted by the State Governments of Assam, Delhi, Manipur, Maharashtra and Uttaranchal. However, in spite of these policy initiatives and increasing awareness about the importance of alround records management practices, we do not see any remarkable transformation in the picture of a Government office.

In my reports of the last two years I have underlined as to how in the post-Right to Information Act days, the management of public records in the Government offices has assumed a critical dimension, and also as to how the second Administrative Reforms Commission (ARC) has stressed the importance of public records as a vital tool to ensure accountability in governance. I would again lay emphasis upon the need to adopt some drastic measures to streamline the records management as the only way to cope with the demands of a informed and empowered citizenry under the Right to Information Act.

It pains me to note that despite the full cooperation and support of National Archives of India to various records creating agencies in the implementation of the Public Records Act, 1993, these agencies have, by and large, shown a total lackadaisical approach towards implementing the said Act. So much so that even the mandatory requirements such as the nomination of one of their officers as the Departmental Records Officer (Section 5(1)) and establishment of a Departmental Records Room (Section 5(2)) have not been complied with majority of records creating agencies. This situation has to change. Before I lay down the priority points, let me place some facts before you.

21.1 The overall response received from various record creating agencies about the state of implementation of the Public Record Act in their respective organizations during 2007 has not shown any sign of improvement as compared to the last year (2006). In fact, it has gone down by 0.22 percent to 7 percent as compared to 7.22 percent. Response from the main Ministries/ Departments of the Government of India, has marginally increased from 13 to 14, which can hardly be called satisfactory as 71 Ministries/ Departments did not send their reports for 2007 for inclusion in this Report. Similarly, while there was a slight increase in the response received from the Public Sector Units from 37 to 55, the fact remains that 186 Public Sector Units did not submit their reports. The worst was the situation regarding the attached/subordinate offices, where the response has gone down from 63 in 2006 to only 42 during the period under report.

21.2 Training of the Departmental Record Officers designated under the Public Records Act is a vital building block to establish a sound records management system as they serve as a link between the National Archives of India – the nodal agency for the implementation of the Public Records Act – and their own Department.

अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करता आया है । फिर भी, वर्ष 2006 में जहाँ 109 अधिकारियों ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया था, वहीं वर्ष 2007 में यह संख्या 96 रह गई ।

21.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के उन सभी लोक अभिलेखों के लिए अंतिम निधान के रूप में कार्य करता है जो मूल्यांकन के बाद स्थाई परिरक्षण के योग्य पाए जाते हैं । फिर भी, पिछले कई वर्षों में स्थाई महत्व के ऐसे अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों में जमा हो गए हैं, और इस विभाग द्वारा पहल करने के बावजूद भी ऐसे अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार में अपने स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इस प्रकार, जहाँ वर्ष 2006 में 37, 498 फाईलें राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थाई परिरक्षण हेतु स्थानांतरित की गई थीं, वहीं वर्ष 2007 में यह संख्या नीचे गिरकर 5,416 पर पहुँच गई है । ऐसे सभी अप्रचलित अभिलेख जिनका मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है, उन्हें लोक अभिलेख नियमावली के नियम 5 (3), के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित करने की महती आवश्यकता है, जिससे कि हम उनसे सदा के लिए वंचित न हो जाएं ।

21.4 पूर्व-वर्णित तथ्यों के प्रकाश में, प्राथमिकताओं के बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

- विभागीय अभिलेख अधिकारियों का नामांकन,
- विभागीय अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण,
- विभागीय अभिलेख कक्षों की स्थापना,
- अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन तथा
- स्थाई महत्व के अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरण ।

मुझे विश्वास है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगी और अगले वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट तत्परता से भेजेंगी ।

H.N.L. Bakshi

(स.म.र.बाकर)

अभिलेख महानिदेशक,
भारत सरकार

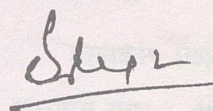
The National Archives of India has been, since 1998, conducting regular Orientation Courses in Records Management for the benefit of the said Departmental Records Officers. However, while 109 officers attended their courses in 2006, for 2007, this number was only 96.

21.3 The National Archives acts as the final repository of all Public Records of the Government of India that are found worthy of permanent preservation after their appraisal. However, over the years a large number of such records of enduring value have accumulated in various records creating agencies and the initiative taken by this Department, notwithstanding, these records still await their transfer to the National Archives of India. Thus, while 37,498 files were transferred to the National Archives of India for their permanent preservation during 2006, this number has dwindled to 5,416 during 2007. All these non-current records, which have already been appraised by the officers of National Archives of India, need to be deposited with the National Archives of India under the provisions of the Rules 5(3) Public Records Rules, 1997, lest we lose them irrecoverably.

21.4 In the light of the foregoing facts, the priority points are enumerated below:

- Nomination of the Departmental Record Officers
- Training of Departmental Record Officers
- Establishment of Departmental Record Rooms
- Appraisal of Non Current Records and
- Transfer of records of enduring value to the National Archives of India

I am sure that all the records creating agencies would initiate action on these points and would promptly submit their reports for the next year.



(S.M.R. Baqar)

Director General of Archives
Government of India

अनुलग्नक-1

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

कृषि मंत्रालय

1. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत)।
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
3. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

4. उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

5. वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

6. डाक विभाग, नई दिल्ली।
7. आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (कर्नाटक सर्किल), बंगलोर।
8. आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, (हिमाचल प्रदेश सर्किल), शिमला।
9. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली।

रक्षा मंत्रालय

10. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़।
12. वायु सेना मुख्यालय, डायरेक्टरेट ऑफ आपरेशन्स (जे.पी.), नई दिल्ली।

पर्यावरण और वन मंत्रालय

13. पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।

वित्त मंत्रालय

15. केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

**LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED INFORMATION
ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC RECORDS ACT, 1993**

A. Ministries/Departments/Offices

Ministry of Agriculture

1. Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat).
2. Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan)
3. Fishery Survey of India, Mumbai

Ministry of Chemical and Fertilizers.

4. Department of Fertilizers, New Delhi.

Ministry of Commerce and Industry

5. Department of Commerce, New Delhi.

Ministry of Communication and Information Technology.

6. Department of Posts, New Delhi.
7. Office of the Chief Postmaster General, (Karnataka Circle), Bangalore.
8. Office of the Chief Postmaster General, (Himachal Pradesh Circle), Shimla.
9. Department of Information Technology, New Delhi.

Ministry of Defence

10. Ministry of Defence, New Delhi.
11. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.
12. Air Headquarters, Directorate of Operations(JP), New Delhi.

Ministry of Environment and Forests.

13. Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
14. Forest Survey of India, Dehradun.

Ministry of Finance

15. Department of Expenditure, Central Pension Accounting Office, Ministry of Finance, New Delhi.
16. Department of Disinvestment, Ministry of Finance, New Delhi.

17. केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोवा।
18. आयकर आयुक्त (अपील-XXIV) का कार्यालय, नई दिल्ली।
19. आयकर आयुक्त (अपील-I) का कार्यालय, कानपुर।
20. नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

21. अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य योजना, मुंबई।
22. योग एवं प्राकृतिक उपचार केन्द्रीय अनुसंधान परिषद, आयुष विभाग।

गृह मंत्रालय

23. महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

24. व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, सेकेन्डरी एवं हायर एजुकेशन विभाग, कोलकाता।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

25. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
26. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे।
27. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई।
28. महानिदेशक, ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

29. रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली।
30. क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, कोचीन।

खान मंत्रालय

31. भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

32. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

33. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
34. पोत परिवहन विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।

17. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji, Goa.
18. Office of the Commissioner of Income Tax, (Appeal)-XXIV, New Delhi
19. Office of the Commissioner of Income Tax, (Appeal-I), Kanpur.
20. Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

Ministry of Health and Family Welfare

21. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai.
22. Central Council for Research in Yoga & Naturopathy, Department of Ayush.

Ministry of Home Affairs

23. Office of the Directorate General, CRPF, New Delhi.

Ministry of Human Resource Development

24. Board of Practical Training Eastern Region, Department of Secondary & Higher Education, Kolkata.

Ministry of Information and Broadcasting

25. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
26. National Film Archive of India, Pune.
27. Central Board of Film Certification, Mumbai.
28. Director General, All India Radio, New Delhi.

Ministry of Labour and Employment

29. Directorate General of Employment and Training, New Delhi
30. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin.

Ministry of Mines

31. Indian Bureau of Mines, Nagpur

Ministry of Science and Technology

32. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

33. Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways, New Delhi.
34. Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Shipping, New Delhi.

35. अधीक्षक अभियंता का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, चैन्नई ।
36. इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़ ।
37. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर ।

रेल मंत्रालय

38. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली ।

कपड़ा मंत्रालय

39. जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता ।

जल संसाधन मंत्रालय

40. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

ख अन्य संगठन

41. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।

योजना मंत्रालय

42. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
43. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल ।
44. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गुवाहाटी ।
45. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, पटना ।
46. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, शिमला ।
47. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, तिरुवनंतपुरम ।
48. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद ।
49. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर ।
50. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बंगलोर ।
51. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई ।
52. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चंडीगढ़ ।
53. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुंबई ।
54. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर ।
55. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता ।
56. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ ।

35. Office of the Superintending Engineer of Deptt of Road Transport and Highways, Chennai.
36. Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways) Chhattisgarh
37. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.

Ministry of Railways

38. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi.

Ministry of Textiles

39. Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

Ministry of Water Resources

40. Ministry of Water Resources, New Delhi.

B. OTHER ORGANISATION(S)

41. Prime Minister's Office, New Delhi.

Ministry of Planning

42. Planning Commission, New Delhi.
43. Project Evaluation Office, Bhopal.
44. Project Evaluation Office, Guwahati.
45. Project Evaluation Office, Patna.
46. Project Evaluation Office, Shimla
47. Project Evaluation Office, Thiruvanthapuram.
48. Project Evaluation Office, Ahmedabad
49. Project Evaluation Office, Bhubaneswar
50. Project Evaluation Office, Bangalore
51. Regional Evaluation Office, Chennai.
52. Regional Evaluation Office, Chandigarh.
53. Regional Evaluation Office, Mumbai.
54. Regional Evaluation Office, Jaipur.
55. Regional Evaluation Office, Kolkata.
56. Regional Evaluation Office, Lucknow.

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय इत्यादि

कृषि मंत्रालय

57. नारियल विकास बोर्ड, कोची ।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

58. प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, चेन्नई ।

59. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता ।

कोयला मंत्रालय

60. भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद ।

61. नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली ।

62. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली ।

नागर विमानन मंत्रालय

63. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

64. प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली ।

65. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर ।

66. नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर ।

67. जेम एण्ड ज्यूलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन परिषद, नई दिल्ली ।

68. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली ।

69. एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर ।

संस्कृति मंत्रालय

70. होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., मुंबई ।

रक्षा मंत्रालय

71. गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा ।

72. गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता ।

73. मजगांव डाक लि., हैदराबाद ।

74. भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद ।

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Agriculture

57. Coconut Development Board, Kochi

Ministry of Chemicals and Fertilizers

58. Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Chennai
59. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata

Ministry of Coal

60. Bharat Cooking Coal Ltd., Dhanbad
61. Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli
62. Northern Coalfields Ltd., Singrauli

Ministry of Civil Aviation

63. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli

Ministry of Commerce and Industry

64. Project Equipment Corporation Limited, New Delhi
65. Hindustan Salts Limited, Jaipur.
66. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
67. The Gem & Jewellery Export Promotion Council, New Delhi
68. State Trading Corporation of India Limited, New Delhi
69. STCL Ltd., Bangalore

Ministry of Culture

70. Hotel Corporation of India Ltd., Mumbai

Ministry of Defence

71. Goa Shipyard Limited, Vasco-de-Gama.
72. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd., Kolkata
73. Mazgaon Dock Limited, Hyderabad
74. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

75. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल ।
76. भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

77. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद ।
78. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।
79. नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग ।

श्रम मंत्रालय

80. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर ।
81. विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम ।

खान और खनिज मंत्रालय

82. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर ।
83. मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

84. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुम्बई ।
85. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई ।
86. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट ।
87. इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि., नई दिल्ली ।

रेल मंत्रालय

88. इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली ।

ऊर्जा मंत्रालय

89. नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद ।
90. पॉवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
91. पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि., शिलांग ।
92. न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन लि., मुम्बई ।

Ministry of Environment & Forest

- 75. Indian Institute of Forest Management, Bhopal
- 76. Wildlife Institute of India, Dehradun

Ministry of Human Resource Development

- 77. Indian Institute of Management, Ahmedabad
- 78. Jawaharlal Nehru University, New Delhi
- 79. North Eastern Hill University, Shillong

Ministry of Labour

- 80. Central Board for Workers Education, Nagpur
- 81. Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam

Ministry of Mines and Minerals

- 82. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar
- 83. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

- 84. Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai.
- 85. Chennai Petroleum Corporation Ltd., Chennai
- 86. Numaligarh Refinery Limited, Golaghat.
- 87. Engineering Projects (India) Ltd., New Delhi

Ministry of Railways

- 88. IRCON International Ltd., New Delhi

Ministry of Power

- 89. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad
- 90. Power Corporation of India, New Delhi
- 91. North Eastern Electric Power Corporation, Shillong.
- 92. Nuclear Power Corporation Ltd., Mumbai

जहाजरानी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

93. मर्मागाओ पत्तन न्यास, गोवा ।
94. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम ।
95. एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई ।
96. मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई
97. पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप ।
98. टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई ।
99. न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर ।
100. टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोरिन ।
101. कांडला पत्तन न्यास, कच्छ ।
102. सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लि., चेन्नई ।
103. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम ।

लघु उद्योग मंत्रालय

104. नेशनल लघु उद्योग कारपोरेशन लि., नई दिल्ली ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

105. जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर ।
106. इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, नवी मुम्बई ।
107. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद ।

कपड़ा मंत्रालय

108. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

109. जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्रिफेड), दिल्ली ।

जल संसाधन मंत्रालय

110. जल एवं उर्जा परामर्शी सेवाएँ, (वापकोस)
111. अपर यमुना रिवर बोर्ड, नई दिल्ली ।

Ministry of Shipping, Road Transport & Highways

93. Marmagao Port Trust, Goa
94. Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam
95. Ennore Port Limited., Chennai
96. Mumbai Port Trust, Mumbai.
97. Paradip Port Trust, Paradip
98. Tariff Authority for Major Ports, Mumbai
99. New Mangalore Port Trust, Mangalore
100. Tuticorin Port Trust, Tuticorin
101. Kandla Port Trust, Kutch
102. Sethusamudram Corporation Ltd., Chennai
103. Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam

Ministry of Small Scale Industries

104. The National Small Industries Corporation Limited, New Delhi.

Ministry of Science & Technology

105. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.
106. Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai
107. Central Electronics Ltd., Ghaziabad

Ministry of Textiles

108. National Handlooms Development Corporation Ltd., Lucknow

Ministry of Tribal Affairs

109. Tribal Cooperation Marketing Developing Federation (TRIFED), Delhi.

Ministry of Water Resources

110. Water & Power Consultancy Services (WAPCOS)
111. Upper Yamuna River Board, New Delhi

अनुलग्नक- II

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा विनष्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक विवरणियां प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्रम सं.	संगठन का नाम	प्राप्त अर्धवार्षिक विवरणों की सं.
कृषि मंत्रालय		
1.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड़, जिला सूरत।	1
2.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)।	1
3.	केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, नागपुर।	1
4.	केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर।	1
5.	जूट विकास निदेशालय, कोलकाता।	1
6.	बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर।	2
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
7.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली।	1
नागर विमानन मंत्रालय		
8.	प्रधान लेखा कार्यालय (नागर विमानन मंत्रालय), नई दिल्ली।	1
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
9.	वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली।	1
10.	अद्यौगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली।	1
11.	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2
रक्षा मंत्रालय		
12.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।	2

**LIST OF ORGANIZATIONS WHO HAVE FURNISHED
HALF YEARLY RETURNS ON PROGRESS
MADE BY THEM IN RECORDING, INDEXING, REVIEWING AND
WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS**

A. Ministries/ Departments/ Offices

Sr. No.	Name of Organizations	No. of Half Yearly Returns received
Ministry of Agriculture		
1.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Distt. Surat. <i>Department of Animal Husbandry & Dairying</i>	1
2.	Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan).	1
3.	Central Agmark Laboratory, Nagpur.	1
4.	Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.	1
5.	Directorate of Jute Development, Kolkata.	1
6.	Directorate of Millets Development, Jaipur.	2
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
7.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.	1
Ministry of Civil Aviation		
8.	Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), New Delhi.	1
Ministry of Commerce and Industry		
9.	Department of Commerce, New Delhi.	1
10.	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	1
11.	Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.	2
Ministry of Defence		
12.	Ministry of Defence, New Delhi.	2

13. सेना सम्पदा महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2
14. सेना मुख्यालय/आई.एस.संगठन।	1
15. क्षेत्रीय सेना उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)।	1
16. टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेट्री, चंडीगढ़।	1

पर्यावरण और वन मंत्रालय

17. पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
18. पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर।	1
19. क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र, भोपाल।	1

वित्त मंत्रालय

20. राजस्व विभाग, नई दिल्ली।	1
21. आयकर निपटान आयोग, नई दिल्ली।	2
22. कार्यालय आयकर महानिदेशक, नई दिल्ली।	1
23. कार्यालय केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद।	2
24. कार्यालय केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयुक्त, पणजी (गोवा)।	1
25. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर।	1
26. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, (अपील-1) कानपुर।	1
27. कार्यालय नमक आयुक्त, जयपुर।	1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

28. बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई।	1
29. कार्यालय अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई।	1
30. संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर।	2
31. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता।	1

गृह मंत्रालय

32. महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय, नई दिल्ली।	1
33. आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली।	1

13. Directorate General of Defence Estates, New Delhi. 2
14. Armed Forces Hqs/ IS organizations 1
15. Regional Centre for Military Airworthiness, Distt.Sultanpur(U.P.). 1
16. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh 1

Ministry of Environment and Forests

17. Ministry of Environment & Forests, New Delhi. 2
18. Eastern Regional Office, Bhubaneswar. 1
19. Regional Office, Western Region, Bhopal. 1

Ministry of Finance

20. Department of Revenue, New Delhi 1
21. Income Tax Settlement commission, New Delhi. 2
22. Office of the Director General of Income Tax, New Delhi. 1
23. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Augrangabad. 2
24. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa. 1
25. Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur. 1
26. Office of the Commissioner of Central Excise, (Appeal-I) Kanpur. 1
27. Office of the Salt Commissioner, Jaipur. 1

Ministry of Health and Family Welfare

28. B.G.G. Vaccine Laboratory, Chennai. 1
29. Office of the Additional Director, C.G.H.S., Mumbai. 1
30. Office of the Joint Director, C.G.H.S., Jabalpur. 2
31. Central Food Laboratory, Kolkata 1

Ministry of Home Affairs

32. Office of the Director General C.R.P.F., New Delhi. 1
33. Zonal Councils Secretariat, New Delhi. 1

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

34. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

1

श्रम और रोजगार मंत्रालय

35. अनु. जा./अनु. जनजाति के लिए कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार।

2

36. केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर।

1

37. कार्यालय श्रम उपायुक्त (मध्य), चंडीगढ़।

1

38. श्रम कल्याण आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद

1

39. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), कोचीन।

1

40. महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, (डाकोपग्रे-तुरा) मेघालय।

1

41. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना।

1

खान मंत्रालय

42. खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद

1

रेल मंत्रालय

43. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

1

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

44. कार्यालय महानिदेशक, मौसम विज्ञान।

1

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

45. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली।

2

46. जहाजरानी विभाग, नई दिल्ली।

2

47. महानिदेशालय दीप स्तंभ दीप पोत, नोएडा।

2

48. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर।

2

वस्त्र मंत्रालय

49. जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता।

2

शहरी विकास मंत्रालय

50. टाउन एवं कंट्री प्लानिंग संगठन, कोलकाता।

2

Ministry of Information and Broadcasting

34. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi. 1

Ministry of Labour and Employment

35. Coaching cum Guidance Centre for SC/ST, Hissar. 2
36. Central Board for Workers Education, Nagpur. 1
37. Office of the Deputy Chief Labour commissioner (Central) Chandigarh. 1
38. Office of the Labour Welfare Commissioner, Allahabad. 1
39. Office of the Regional Labour commissioner (Central) Cochin. 1
40. Regional vocational Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya. 1
41. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ludhiana. 1

Ministry of Mines

42. Directorate General of Mines Safety, Dhanbad. 1

Ministry of Railways

43. Railway Board, New Delhi 1

Ministry of Science & Technology

44. Office of the Director General of Meteorology 1

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

45. Department of Road Transport and Highways, New Delhi. 2
46. Department of Shipping, New Delhi. 2
47. Directorate General of Light Houses and Lightships, Noida. 2
48. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakhadweep Harbour Works, Port Blair. 2

Ministry of Textiles

49. Office of the Jute Commissioner, Kolkata. 2

Ministry of Urban Development

50. Town and Country Planning Organization, New Delhi. 2

जल संसाधन मंत्रालय

51. जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली।

1

ख. योजना आयोग

52. योजना आयोग, नई दिल्ली

2

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय आदि

कृषि मंत्रालय

53. नारियल विकास बोर्ड।

1

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

54. केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई।

1

55. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., कोलकाता।

2

कोयला मंत्रालय

56. भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद।

2

57. नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली।

2

नागर विमानन मंत्रालय

58. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली।

1

रक्षा मंत्रालय

59. भारत डायनैमिक लि. हैदराबाद।

1

60. गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा।

1

61. मजगांव डाक लि., हैदराबाद।

1

62. गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता।

1

खान और खनिज मंत्रालय

63. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर।

2

64. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर।

2

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

65. चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., चेन्नई।

1

Ministry of Water Resources

51. Ministry of Water Resources, New Delhi.

1

B Planning Commission

52. Planning Commission, New Delhi.

2

C Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporation/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Agriculture

53. Coconut Development Board

1

Ministry of Chemicals and Fertilizers

54. Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Chennai

1

55. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata

2

Ministry of Coal

56. Bharat Cooking Coal Ltd., Dhanbad

2

57. Neyvelli Lignite Corporation Ltd., Neyvelli

2

Ministry of Civil Aviation

58. Indira Gandhi Rastriya Uran Akademi, Rae Bareli.

1

Ministry of Defence

59. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

1

60. Goa Shipyard Limited, Vasco-de-Gama.

1

61. Mazgaon Dock Limited, Hyderabad

1

62. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd., Kolkata

1

Ministry of Mines and Minerals

63. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

2

64. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar

2

Ministry of Petroleum and Natural Gas

65. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.

1

66. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुम्बई । 1
67. इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि., नई दिल्ली । 1
68. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट । 2

रेल मंत्रालय

69. इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली । 1

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

70. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम । 1

जल संसाधन मंत्रालय

71. अपर यमुना रिवर बोर्ड, नई दिल्ली । 1

कपड़ा मंत्रालय

72. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ । 1

लघु उद्योग मंत्रालय

73. नेशनल लघु उद्योग कारपोरेशन लि., नई दिल्ली । 1

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

74. एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर । 1

75. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल । 1

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

76. जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर । 1

77. इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, नवी मुम्बई । 1

78. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद । 1

संस्कृति मंत्रालय

79. होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., मुंबई । 1

66.	Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai.	1
67.	Engineering Projects (India) Ltd., New Delhi	1
68.	Numaligarh Refinery Limited, Golaghat.	2
Ministry of Railways		
69.	IRCON International Ltd., New Delhi	1
Ministry of Shipping, Road Transport and Highways		
70.	Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam. <i>Mumbai Port Trust, Mumbai</i> <i>New Mangalore Port Trust, Mangalore.</i> <i>Ennore Port Limited, Chennai</i>	1
Ministry of Water Resources		
71.	Upper Yamuna River Board, New Delhi	1
Ministry of Textiles		
72.	National Handlooms Development Corporation Ltd., Lucknow	1
Ministry of Small Scale Industries <i>Ministry of Tribal Affairs</i> <i>- Tribal Co-operative Marketing Development</i> <i>Federation of India Limited, Delhi</i>		
73.	The National Small Industries Corporation Limited, New Delhi.	1
Ministry of Commerce and Industry		
74.	STCL Ltd., Bangalore	1
75.	Indian Institute of Forest Management, Bhopal	1
Ministry of Science & Technology		
76.	Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.	1
77.	Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai	1
78.	Central Electronics Ltd., Ghaziabad	1
Ministry of Culture		
79.	Hotel Corporation of India Ltd., Mumbai	1

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां भेजने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्रम सं.	संगठन का नाम	प्राप्त अर्धवार्षिक विवरणों की सं.
कृषि मंत्रालय		
1.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड़, जिला सूरत।	2
2.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)।	1
3.	केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर।	1
4.	कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।	1
5.	जूट विकास निदेशालय, कोलकाता।	1
6.	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कालीकट।	1
7.	बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर।	2
8.	राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र गाजियाबाद।	1
9.	दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)।	1
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
10.	रसायन और उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।	2
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
11.	वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली।	2
12.	आपूर्ति और निपटान निदेशालय, नई दिल्ली।	2
13.	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर।	2
रक्षा मंत्रालय		
14.	सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।	2
15.	गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2
16.	क्षेत्रीय सेना उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)	2

**List of organizations who have furnished Half Yearly Returns on
De-Classification of Classified Records**

A. Ministries/ Departments/ Offices

Sr. No.	Name of Organizations	No. of Half Yearly Returns received
Ministry of Agriculture		
1. ✓	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Distt. Surat. ✓	2
2.	Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan).	1
3.	Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.	1
4.	Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi	1
5.	Directorate of Jute Development, Kolkata.	1
6.	Directorate of Manating and Inspection, Calicut.	1
7.	Directorare of Millets Development, Jaipur.	2
8.	National Centre for Organic Farm, Ghaziabad..	1
9.	Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Distt. Ananatapur (A.P).	1
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
10.	Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi.	2
Ministry of Commerce and Industry		
11. ✓	Department of Commerce, New Delhi.	2
12. ✓	Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.	2
13.	Petroleum and Explosives Safety Organization, Nagpur.	2
Ministry of Defence		
14. ✓	Army Forces, Headquarters, New Delhi.	2
15.	Quality Assurance Estt. (S), New Delhi.	2
16. ✓	Regional Centre for Military Airworthiness, Distt. Sultanpur (U.P.).	2

MINISTRY OF COMMUNICATION AND
INFORMATION TECHNOLOGY.

1. Department of Posts, New Delhi

Ministry of Defence, New Delhi

पर्यावरण और वन मंत्रालय

- | | |
|---|---|
| 17. पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली। | 2 |
| 18. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर। | 2 |
| 19. वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई। | 2 |

वित्त मंत्रालय

- | | |
|---|---|
| 20. महाप्रबंधक इंडियन सिक्कोरिटी प्रेस, नासिक रोड। | 2 |
| 21. आयकर निपटान आयुक्त, नई दिल्ली | 2 |
| 22. केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद। | 2 |
| 23. केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर | 2 |
| 24. केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा) | 2 |
| 25. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मदुराई-2। | 2 |
| 26. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर। | 1 |

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- | | |
|--|---|
| 27. बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई। | 2 |
| 28. केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, नागपुर। | 1 |
| 29. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण, मुंबई। | 2 |
| 30. अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई। | 1 |
| 31. अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर। | 1 |
| 32. राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय, नई दिल्ली। | 1 |

गृह मंत्रालय

- | | |
|--|---|
| 33. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। | 2 |
| 34. महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय, नई दिल्ली। | 1 |

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

- | | |
|--|---|
| 35. सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली। | 1 |
| 36. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई। | 2 |
| 37. भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे। | 2 |
| 38. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे। | 1 |

Ministry of Environment and Forests

- | | | |
|-----|---|---|
| 17. | Ministry of Environment & Forests, New Delhi. | 2 |
| 18. | Eastern Regional Office, Bhubaneswar. | 2 |
| 19. | Wildlife Regional Office, Mumbai. | 2 |

Ministry of finance

- | | | |
|-----|--|---|
| 20. | General Manager, India Security Press, Nasik road. | 2 |
| 21. | Income Tax Settlement commission, New Delhi. | 2 |
| 22. | Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Augrangabad. | 2 |
| 23. | Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur | 2 |
| 24. | Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa. | 2 |
| 25. | Office of the Commissioner of Central Excise, Madurai-2. | 2 |
| 26. | Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur. | 1 |

Ministry of Health and Family Welfare

- | | | |
|-----|--|---|
| 27. | B.G.G. Vaccine Laboratory, Chennai. | 2 |
| 28. | Central Agmark Laboratory, Nagpur. | 1 |
| 29. | Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai. | 2 |
| 30. | Office of the Additional Director, C.G.H.S., Mumbai. | 1 |
| 31. | Office of the Additional Director, C.G.H.S., Jabalpur. | 1 |
| 32. | Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi. | 1 |
- Office of the Joint Director,
C.G.H.S., Jabalpur*

Ministry of Home Affairs

- | | | |
|-----|--|---|
| 33. | Ministry of Home Affairs, New Delhi | 2 |
| 34. | Office of the Directorate General C.R.P.F., New Delhi. | 1 |

Ministry of Information and Broadcasting

- | | | |
|-----|--|---|
| 35. | Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi. | 1 |
| 36. | Central Board of Film Certification, Mumbai | 2 |
| 37. | Film and Television Institute of India, Pune | 2 |
| 38. | National Film Archives of India, Pune | 1 |

श्रम और रोजगार मंत्रालय

39. अनु.जा./अन.जनजाति कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार। 2
40. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), कोचीन। 2
41. महिला क्षेत्रीय व्यावासायिक प्रशिक्षण संस्थान, डेकॉपग्रे-तुरा, मेघालय। 2

खान मंत्रालय

42. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स, नागपुर। 2

रेल मंत्रालय

43. रेल मंत्रालय (रेलव बोर्ड), नई दिल्ली। 1

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

44. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली। 2
45. जहाजरानी विभाग, नई दिल्ली। 2
46. महानिदेशालय, दीप स्तंभ दीप पोत, नोयडा। 2
47. मुख्य अभियंता और प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बरवर्क्स, पोर्ट ब्लेयर। 2

शहरी विकास मंत्रालय

48. प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली। 2
49. टाउन एन्ड कन्ट्री योजना संगठन, नई दिल्ली। 2

जल संसाधन मंत्रालय

50. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली। 2

परमाणु ऊर्जा विभाग

51. न्यूक्लियर ईंधन कांप्लैक्स, हैदराबाद। 1

ख. अन्य संगठन

52. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली। 2
53. योजना आयोग, नई दिल्ली। 2

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

54. केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई। 1

Ministry of Labour and Employment

39. Coaching cum Guidance Centre for SC/ ST, Hissar. 2
40. Office of the Regional Labour commissioner (Central) Cochin. 2
41. Regional vocational Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya. 2

Ministry of Mines

42. Department of Explosives, Nagpur 2

Ministry of Railways

43. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi. 1

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

44. Department of Road Transport and Highways, New Delhi. 2
45. Department of Shipping, New Delhi. 2
46. Directorate General of Light Houses and Lightships, Noida. 2
47. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakhadweep Harbour Works, Port Blair. 2

Ministry of Urban Development

48. Department of Publication, New Delhi. 2
49. Town and Country Planning Organization, New Delhi. 2

Ministry of Water Resources

50. Ministry of Water Resources, New Delhi. 2

Department of Atomic Energy

51. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. 1

B. Other Organization(S)

52. Prime Minister's Office, New Delhi. 2
53. Planning Commission, New Delhi. 2

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

54. Central Institute of Plastics Engineering & Technology, Chennai 1

55. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., कोलकाता ।	2
नागर विमानन मंत्रालय	
56. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली ।	1
रक्षा मंत्रालय	
57. भारत डायनैमिक लि. हैदराबाद ।	1
58. गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजिनियर्स लि., कोलकाता ।	1
59. गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि गामा ।	1
60. मजगांव डाक लि., हैदराबाद ।	1
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
61. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. मुंबई ।	1
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
62. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट ।	2
63. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुम्बई ।	1
ऊर्जा मंत्रालय	
64. पॉवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली ।	1
65. पूर्वोत्तर विद्युत पॉवर कारपोरेशन लि., शिलांग ।	1
66. न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन लि., मुम्बई ।	1
67. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद ।	1
जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
68. एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई ।	1
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
69. जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर ।	1
70. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गाजियाबाद ।	1
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
71. जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली में ।	1
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	
72. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल ।	1

55. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata

2

Ministry of Civil Aviation

56. Indira Gandhi Rashtriya Academy, Rae Bareli.

1

Ministry of Defence

57. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

1

58. National Film Development Corporation, Mumbai.

1

59. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd., Kolkata

60. Goa Shipyard Limited, Vasco-de-Gama.

1

61. Mazgaon Dock Limited, Hyderabad

1

Ministry of Petroleum and Natural Gas

62. Numaligarh Refinery Limited, Golaghat.

Chennai, Petroleum Corporation Ltd, Chennai

2

63. Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai

1

Ministry of Power

64. Power Corporation of India, New Delhi

1

65. North Eastern Electric Power Corporation, Shillong

1

66. Nuclear Power Corporation Ltd., Mumbai

1

67. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad

1

Ministry of Shipping, Road Transport & Highways

68. Ennore Port Limited, Chennai.

Tariff Authority for Major Ports, Mumbai
New Mangalore Port Trust, Mangalore.
Mumbai Port Trust, Mumbai

1

Ministry of Science and Technology

69. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.

1

70. Central Electronics Ltd., Ghaziabad

1

Ministry of Tribal Affairs

71. TRIFED (Tribal Cooperation Marketing Development Federation), Delhi

1

Ministry of Environment & Forest

72. Indian Institute of Forest Management, Bhopal

1

कोयला मंत्रालय

73. भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद । 1
74. नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली । 1

रेल मंत्रालय

75. इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली । 1

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

76. प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली । 1
77. एस.टी.सी.एल. लि., बंगलौर । 1

कृषि मंत्रालय

78. नारियल विकास बोर्ड । 1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

79. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद । 1

श्रम मंत्रालय

80. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर । 1
81. नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग । 1

Ministry of Coal

- | | | |
|-----|---|---|
| 73. | Bharat Cooking Coal Ltd., Dhanbad | 1 |
| 74. | Neyvelli Lignite Corporation Ltd., Neyvelli | 1 |

Ministry of Railways

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 75. | IRCON International Ltd., New Delhi | 1 |
|-----|-------------------------------------|---|

Ministry of Commerce and Industry

- | | | |
|-----|--|---|
| 76. | Project Equipment Corporation Limited, New Delhi | 1 |
| 77. | STCL Ltd., Bangalore | 1 |

Ministry of Agriculture

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 78. | Coconut Development Board, Kochi | 1 |
|-----|----------------------------------|---|

Ministry of Human Resource Development

- | | | |
|-----|---|---|
| 79. | Indian Institute of Management, Ahmedabad | 1 |
|-----|---|---|

Ministry of Labour

- | | | |
|-----|---|---|
| 80. | Central Board for Workers Education, Nagpur | 1 |
| 81. | North Eastern Hill University, Shillong | 1 |

अनुलग्नक-IV

अभिलेख प्रबंधन पर पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल हुए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

क्रमसं	विभागीय अभिलेख अधिकारी का नाम	प्रायोजक संस्था का नाम (अंग्रेजी वर्णानुक्रम में)
1.	मीणा, मन्नूलाल	अपर महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण, जयपुर
2.	जयपाल, राम रख	अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर
3.	प्रधान, पुरा	भारतीय मानक ब्यूरो, भुवनेश्वर
4.	माओ, डॉ. ए.ए.	बोटैनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, शिलांग
5.	प्रामनिक, डॉ. ए	बोटैनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, शिलांग
6.	अजीज, मो.नेहाल	बोटैनिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, शिलांग
7.	मोहन्ती, जय देव	सीएसटीई आफिस, एकोर, भुवनेश्वर
8.	रम्मासामी, बाबू	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, चेन्नई
9.	दास, नरहरि	कोयला खान भविष्य निधि (मुख्यालय), धनबाद
10.	नायक, तवलराम	कोयला खान भविष्य निधि (मुख्यालय), धनबाद
11.	सिन्हा, सुरेश कुमार	कोयला खान भविष्य निधि (मुख्यालय), धनबाद
12.	अग्रवाल, ए.के	कोयला खान भविष्य निधि (मुख्यालय), धनबाद
13.	सिंह, ए.के	कोयला खान भविष्य निधि (मुख्यालय), धनबाद
14.	मलिक, पार्थ	कोयला खान भविष्य निधि (मुख्यालय), धनबाद
15.	चौधरी, प्रवीर कृष्ण	कोयला खान भविष्य निधि (मुख्यालय), धनबाद
16.	सिन्हा, अनिल कुमार	कोयला खान भविष्य निधि (मुख्यालय), धनबाद
17.	सिन्हा, राजीव रंजन	कोयला खान भविष्य निधि (मुख्यालय), धनबाद
18.	नरेन्द्र, के.सी.	कन्ट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर फार सेल्यूलर एण्ड मॉलिक्युलर बायोलॉजी, हैदराबाद
19.	सिंह, सी.के.	केन्द्रीय फिल्म निगम बोर्ड, मुम्बई
20.	केलकर, एम.एस.	केन्द्रीय फिल्म निगम बोर्ड, मुम्बई
21.	अल्गु, नार्दू	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु

**NAME OF DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS
WHO HAVE ATTENDED FIVE DAY ORIENTATION
COURSE ON RECORDS MANAGEMENT**

S.No.	D.R.O.	Sponsoring Authority Address(in alphabetical order)
1.	Meena, Mannoolal	Additional S.G Survey of India, Jaipur
2.	Jaipal, Ram Rakh	Additional Commissioner Central Excise, Jaipur
3.	Pradhan, Pura	Bureau of Indian Standards, Bhubaneswar
4.	Mao, Dr. A.A.	Botanical Survey of India, Shillong
5.	Pramnik, Dr. A	Botanical Survey of India, Shillong
6.	Aziz, Md. Nehal	Botanical Survey of India, Shillong
7.	Mohanty, Jaydev	CSTE Office,ECOR,Bhubaneswar
8.	Rammasami, Babu	Central Board of Film Certification, Chennai.
9.	Das, Narhari	Coal Mines Provident Fund (H.Qr.), Dhanbad
10.	Naik, Twlaram	Coal Mines Provident Fund (H.Qr.), Dhanbad
11.	Sinha, Suresh Kumar	Coal Mines Provident Fund (H.Qr.), Dhanbad
12.	Agarwal, A.K.	Coal Mines Provident Fund (H.Qr.), Dhanbad
13.	Singh, A.K.	Coal Mines Provident Fund (H.Qr.), Dhanbad
14.	Mullick, Partha	Coal Mines Provident Fund (H.Qr.), Dhanbad
15.	Chaudhary, Prabir Krishna	Coal Mines Provident Fund (H.Qr.), Dhanbad
16.	Sinha, Anil Kumar	Coal Mines Provident Fund (H.Qr.), Dhanbad
17.	Sinha, Rajiv Ranjan	Coal Mines Provident Fund (H.Qr.), Dhanbad
18.	Narender, K. C.	Controller of Administration, Centre for Cellular and Molecular Biology, , Hyderabad
19.	Singh, C.K.	Central Board of Film Corporation, Mumbai
20.	Kelkar, M. S.	Central Board of Film Corporation, Mumbai
21.	Alagu, Cnadru	Central Electrochemical Research Institute, Tamil Nadu

22.	राउत, कैलाश चन्द	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भुवनेश्वर
23.	सिंघल, वी.पी.	निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
24.	परीदा, प्रसान्त कुमार	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, उड़ीसा
25.	रथ, विष्णु प्रसाद	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
26.	भगवंतराय, सुधाशु मोहन	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
27.	मोहैब, आर.एन.	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
28.	नायक, ब्रह्मानन्द	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
29.	बारिक, सुरेन्द्र किशोर	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
30.	साहू, रमेश चन्द्र	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
31.	प्रधान, एस.सी.	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
32.	साहू, नन्द किशोर	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
33.	मोहन्ती, उषारानी	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
34.	मजूमदार, आर.पी.	वन विभाग प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर
35.	चन्द्रकलाधर	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बनस लि., हैदराबाद
36.	वीरन्ना, आर	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बनस लि., हैदराबाद
37.	डे, शीतल कुमार	हिडाल्को इंडस्ट्रीज लि., कोलकाता
38.	कुमार, सी.एस. रवि	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर
39.	कंचन जी	भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक का कार्यालय, दक्षिण रेलवे, चेन्नई
40.	परमेश्वरन, जयश्री	भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, गोवा
41.	राव, जी.वी. पुल्ला	भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, एजीसीआर, नई दिल्ली
42.	बंधोपाध्याय, पी.एस.	श्रम कल्याण संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भुवनेश्वर
43.	प्रसाद, एम.राजेश्वर	पर्यावरण और वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
44.	मिश्रा, जयशंकर पाल	एम.एस.केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद), जयपुर
45.	कुमार, महेश	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन, (भारत सरकार का उपक्रम), नागपुर

22.	Rout, Kailash Chandra	Directorate of marketing & Inspection, Ministry of Agriculture, Bhubaneswar
23.	Singhal, V.P.	Director, National Commission for School Tribes Government of India, Regional Office, Jaipur
24.	Parida, Prasanta Kumar	DRDO, Ministry of Defence, Orissa
25.	Rath, Bishnu Prasad	East Coast Railway
26.	Bhagwantrai, Sudhansu Mohan	East Coast Railway
27.	Mohaib, R.N.	East Coast Railway
28.	Nayak, Brahamnanda	East Coast Railway
29.	Barik, Surendra Kishore	East Coast Railway
30.	Sahoo, Ramesh Chandra	East Coast Railway
31.	Pradhan, S.C.	East Coast Railway
32.	Sahoo, Nand Kishore	East Coast Railway
33.	Mohanty, Usharani	East Coast Railway
34.	Mazumdar, R.P.	Forest Department Administration, Port Blair
35.	Chandrakaladhar	Hindustan Fluorocarbons Ltd., Hyderabad
36.	Veeranna, R.	Hindustan Fluorocarbons Ltd., Hyderabad
37.	Dey, Sital Kumar	Hidalco Industries Limited, Kolkata
38.	Kumar, C.S. Ravi	Indian Academy of Sciences, Bangalore
39.	Kanchana, G.	Indian Audit & Account Department, Office of the Principal Director of Audit, Southern Railway, Chennai
40.	Parameshwaran, Jayashree	Indian Audit and Accounts Department, Goa
41.	Rao, G. V. Pulla	Indian Audit and Account Department AGCR, New Delhi
42.	Bandhopadhyay, P.S.	Labour Welfare Organisation, Ministry of Labour & Employment, Bhubaneswar
43.	Prasad, M. Rajeshwar	Ministry of Environment & Forests, Eastern Regional Office
44.	Mishra, Jai Shanker Pal	M.S. Central Research Institute (Ayurveda), Jaipur
45.	Kumar, Mahesh	Mineral Exploration Corporation (Govt. of India Enterprises), Nagpur

46.	किशोर नन्द	पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली
47.	कौर, दलजीत	जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
48.	कालरा अरुण	जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
49.	भारद्वाज, एन.आर	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
50.	जोशी, जनार्दन	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
51.	जैन, अरुण कुमार	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
52.	वर्मा, निखिल कुमार	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
53.	भगत, आर.पी.	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
54.	खतीब, एम.वाई	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
55.	मैथ्यु, पी.एम.	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
56.	बेहरा, विद्याधर	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
57.	अरोड़ा, नीरज	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
58.	प्रसाद, महेन्द्र	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
59.	शर्मा, संतोष	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
60.	अहमद, शिराज	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
61.	कुमार, दीपक	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
62.	खुशु, अशोक कुमार	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
63.	सिन्हा, राजेश	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
64.	दत्ता, अविनाश चन्द्र	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
65.	करकट्टा, राजीव रजंन	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
66.	भटनागर, एस.एम.	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
67.	गुप्ता, एस.सी.	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
68.	कुमार, संजीव	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
69.	घोष विश्वजीत	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
70.	रिचर्ड, ए.एम.	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
71.	कुमार, नरेश	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद

46.	Kishore, Nand	Ministry of Environment and Forest, New Delhi
47.	Kaur, Daljeet	Ministry of Water Resources, Central Soil and Material Research Station, New Delhi
48.	Kalra, Arun	Ministry of Water Resources, Central Soil and Material Research Station, New Delhi
49.	Bhardwaj, N.R.	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
50.	Joshi, Janardan	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
51.	Jain, Arun Kumar	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
52.	Verma, Nikhil Kumar	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
53.	Bhagat, R.P.	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
54.	Khateeb, M. Y.	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
55.	Mathew, P.M.	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
56.	Behera, Bidyadhar	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
57.	Arora, Neeraj	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
58.	Prasad, Mahendera	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
59.	Sharma, Santosh	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
60.	Ahmad Siraj	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
61.	Kumar, Deepak	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
62.	Khushoo, Ashok Kumar	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
63.	Sinha, Rajesh	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
64.	Dutta, Avinash Chandra	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
65.	Kerketta, Rajeev Ranjan	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
66.	Bhatnagar, S.M.	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
67.	Gupta, S.C.	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
68.	Kumar, Sanjeev	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
69.	Ghosh, Biswajit	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
70.	Richard, A.M.	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
71.	Kumar, Naresh	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad

72.	वर्मा, निखिल	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
73.	धारी, अविनाश	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
74.	बाला, रेनू	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
75.	भूषण, सुजाता	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
76.	अनिमेश	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
77.	कनौजिया, एम.पी.	नेशनल एटलस एंड थिमैटिक मैपिंग आर्गनाइजेशन, कोलकाता
78.	कांबले, टी.ए.	भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार
79.	शर्मा, वी.के.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जयपुर
80.	गोविंदराजू, प्रेमवती	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कल्पक्कम
81.	कामाक्षी, वी.	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कल्पक्कम
82.	मूर्थी, आर. मोहन	नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., तमिलनाडु
83.	मीणा, मदनलाल	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., जयपुर
84.	महौपात्रा, बी.एन.	उडीसा जीस्पाशियल डाटा सेंटर, भारतीय सर्वेक्षण, भुवनेश्वर
85.	नागपाल, ओमप्रकाश	महालेखाकार कार्यालय (ए. एंड ई.), जयपुर
86.	धमेजा, बिहारीलाल	क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, जयपुर
87.	मीणा, के.पी.	
88.	प्रेमकुमार, वी.	प्रधान महालेखाकार कार्यालय, चैनई
89.	वासुदेव, एस.एल	सीमा शुल्क कार्यालय, पनम्बूर
90.	गोपालन, एन.	सीमा शुल्क कार्यालय, पनम्बूर
91.	स्वामी, डी.पी. सुब्बू	सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, कन्नावरीथोटा, गुनटूर
92.	नरसिंहा, एस.	प्रधान महालेखाकार कार्यालय, चैनई
93.	चटर्जी, अमर कुमार	प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (आयुध फैक्ट्री), कोलकाता
94.	सिंह, थावर	नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर
95.	शर्मा, आर.सी.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली
96.	होसदा, श्याम चरण	भंडार विभाग, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर

72.	Verma, Nikhil	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
73.	Dhari, Avinash	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
74.	Bala, Renu	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
75.	Bhushan, Sujata	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
76.	Animesh	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
77.	Kanaujia, M.P.	National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata
78.	Kamble, T.A.	National Archives of India
79.	Sharma, V.K.	National Sample Survey Organisation, Jaipur
80.	Govindaraju, Premavathi	Nuclear Power Corporation of India Ltd., Madras Atomic Power Station, Kalpakkam
81.	Kamaskshi, V.	Nuclear Power Corporation of India Ltd., Madras Atomic Power Station, Kalpakkam,
82.	Murthy, R. Mohana	Neyveli Lignite Corporation Ltd., Tamil Nadu
83.	Meena, Madan Lal	Nuclear Power Corporation of India Limited, Jaipur
84.	Mahopatra, B.N.	Orissa Geospatial Data Centre, Survey of India, Bhubaneswar
85.	Nagpal, Om Prakash	Office of the Accountant General (A&E), Jaipur,
86.	Dhameja, Bihari Lal	Office of the Regional Director, Jaipur
87.	Meena, K.P.	
88.	Premkumar, V.	Office of the Principal Accountant General, Chennai
89.	Vasudeva, S.L.	Office of the Customs, Panambur
90.	Gopalan, N.	Office of the Customs, Panambur
91.	Swamy, D.P. Subbu	Office of the Customs & Central Excise, Kannavarithota, Guntur
92.	Narasimha, S.	Office of the Principal Accountant General, Chennai
93.	Chatterjee, Amar Kumar	Pr . Director of Audit (Ordinance Factories), Kolkata
94.	Singh, Thawar	Salt Commissioner's, Jaipur
95.	Shri R.C. Sharma	The State Trading Corporation of India, New Delhi
96.	Hausda, Shyam Charan	Stores Department, East Coast Railways, Bhubaneswar

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Scan complete

19/09/2023

Total pages - 135

“I am aware that serious scholarship in India on government policy is hampered by a lack of access to official documents.... In other democracies, after a specified period, scholars and researchers are given access to official papers. This has encouraged professional study of contemporary history and policy-making.....

.....I do hope that we do not have to depend only on memory and personal notes for a record of policy making”

Prime Minister Dr. Manmohan Singh

18 April, 2006

राष्ट्रीय अभिलेखागार
जनपथ, नई दिल्ली-110001



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
JANPATH, NEW DELHI - 110001

email : archives@nic.in
website : www.nationalarchives.gov.in